राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १२वां दिवस [संख्या १०

बृहस्पतिवार,
दिनांक १० मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष-पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, सिंचाई, खनिज, जन-स्वास्थ्य, खाद्य, गृह, स्वायत्त शासन, कृषि, नियुक्ति एवं विकास-विभाग)

(प्रश्न संख्या १४४)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री विजय सिंह झाला!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १४५

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री अब्दुलजब्बार।

तहसील निम्बाहेड़ा की खानों की नीलामी

१४६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निम्बाहेड़ा में भडला चारण और खोडिप की सीमाड़ा की खदान के लिए कितने व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दीं?

(२) क्या उक्त सीमाड़ा की खदान के आवेदन-पत्र आने के उपरान्त नीलाम किया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(३) इस समय इस खदान को कौन काट रहा है?

(४) क्या यह भी सही है कि खदान को काटे जाने से विभाग द्वारा रोक दिये जाने के उपरान्त भी वह काटी जा रही है? यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करती है?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) चार व्यक्तियों ने जिनके नाम निम्न प्रकार के हैं:—

(१) श्री बालकृष्ण, स्टोन ट्रेडिंग कम्पनी ने दिनांक ६-६-६३ को,

(२) मै० लाला टीकम चारण ने दिनांक ६-९-६३ को,

(३) जीवराज चारण ने दिनांक २२-१०-६३ को,

(४) श्री भूरा खां ने दिनांक २६-३-६४ को।

Page No. 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी नहीं, क्योंकि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५९ के अनुसार रेन्ट कम रोयल्टी लीजेज आवेदन-पत्रों के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुसार दी जाती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): आवाज नहीं निकल रही है। उप मंत्री महोदय जरा जोर से बोलें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : नीलाम नहीं की जाती है।

(३) इस समय इन खदानों को मे० बालकृष्ण स्टोन ट्रेडिंग कम्पनी व मे० लाला टीकम चारण काट रहे हैं जिन्हें रेन्ट कम रॉयल्टी लीज दिनांक ८-९-६५ से एक वर्ष के लिए दी गई है।

(४) श्री मंगलाराम एण्ड कम्पनी, निम्बाहेड़ा ने दिनांक १६-९-६५ को एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था, इस पर दोनों पार्टियों का कार्य दिनांक ११-११-६५ से उपरोक्त प्रतिवेदन पर निर्णय होने तक के लिए रोका गया। उक्त रिप्रेजेन्टेशन पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर दोनों पार्टियों को काम वापिस चालू करने के लिए ज्येष्ठ खनिज निरीक्षक, निम्बाहेड़ा को दिनांक १६-१२-६५ को लिखा गया है। अतः इन पार्टियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो आपने बतलाया है कि ९-११-६३ को एप्लीकेशन्स आईं और जैसा कि आपने प्रश्न नं० ३ के उत्तर में बतलाया कि ६५ से काट रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ६३ और ६५ के बीच में खदान में से पत्थर नहीं काटा गया है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार जब रेन्ट कम रॉयल्टी लीज ८-९-६५ को दी गई है तो उसमे पहले काटने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास भी रिप्रेजेन्टेशन हुए या दरख्वास्तें शिकायती आईं कि यह खदान काटी जा रही है और बगैर इजाजत के काटी जा रही है और इस प्रकार पत्थर निकाले जा रहे हैं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : बगैर इजाजत काटने की इस प्रकार की कोई शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि इस खदान को सरकार बेचना नहीं चाहती थी, किसी को अलॉट नहीं करना चाहती थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉट कर दी गई है।

श्री अब्दुल जब्बार : नहीं, इससे पूर्व मैं यह अलॉटमेन्ट किन सर्कमस्टान्सेज, में हुई है, इस पर तो बाद में प्रकाश डालूंगा, लेकिन क्या सरकार की यह नीति थी कि इस खदान को किसी को नहीं दिया जाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे पहले रास्ते का झगड़ा था और इस वजह से देरी हुई। जब रास्ते का झगड़ा साफ हो गया तो खदान को रेन्ट कम रॉयल्टी लीज पर दिया गया था।

Page No. 3

श्री अब्दुल जब्बार : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि खदान से पत्थर बराबर निकलता रहा, अलॉट करने से पहले ६५ में खदान दी गई है और ६६ का दूसरा महीना हुआ है। आप मेहरबानी करके अपने किसी प्रतिनिधि को भेज कर तलाश करायें कि खदान कितनी डेप्थ तक चली गई है, खदान में से कितना टन पत्थर निकला होगा और उससे कितनी रायल्टी का नुकसान हुआ होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सूचना आप दे रहे हैं। स्पेसिफिकली आप नाम बतायें कि किन लोगों ने अनआॅथोराइज्ड वर्क किया है तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानिकलाल नाम के व्यक्ति ने खुद ने एक गेंग बनाकर खुदाई शुरू करवा दी और गवर्नमेन्ट आॅफ राजस्थान के माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने इस खदान की खुदाई को रोकने का आदेश दिया तो उसकी अवहेलना की गई और उस ड्यूरेशन में खदान से पत्थर बराबर खोदते रहे। यह उसी वक्त जानकारी हो सकती है जबकि आप मौके पर जाकर या अपने प्रतिनिधि को भेज कर हकीकत मालूम करें कि जब स्टे आॅर्डर हुआ था उसके बीच में कितना पत्थर निकाला गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ११-११-६५ को स्टे आॅर्डर दिया गया था कि काम शुरू न करें, क्योंकि उनका रिप्रेजेन्टेशन था और १६-१२-६५ को वह तय हो गया तो १ महीना ५ दिन में स्टे आॅर्डर वेकेट होकर रेन्ट कम रॉयल्टी लीज पर जिन व्यक्तियों को दी थी, उनके नाम पर उन्हीं को काम करने का अधिकार रहा। उनकी जो एक वर्ष की अवधि है वह ८-६-६५ से प्रारम्भ हो गई है। ऐसी सूरत में ११-११-६५ और १६-१२-६५ के बीच में अव्वल तो उन्होंने नाजायज काम नहीं किया और अगर नाजायज काम भी किया गया बकौल आपके, तो भी सरकार को उससे हानि नहीं हुई, क्योंकि लीज पीरियड में वह शुमार है।

श्री अब्दुलजब्बार : तो क्या मंत्री महोदय इस बात को बतलायेंगे कि इस खदान को इससे ज्यादा ऊंची कीमत पर लेने के लिए आवेदन-पत्र आये थे और सरकार ने देने से इन्कार कर दिया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे आवेदन-पत्र जो आये हैं, वे मैंने आपके सामने रख दिये हैं। उनमें कम और ज्यादा कीमत का सवाल नहीं है। एक फिक्स्ड रेन्ट होता है उस रेन्ट पर जिस क्षेत्र के लिए ज्यादा दरख्वास्तें आती हैं तो वहां पर प्रायोरिटी सरकार चाहे जिसको दे सकती है। यहां पर नीलाम वाला प्रोसिजर नहीं है कि अधिक बोली आये उसको ही दी जाये। यह तो रेन्ट कम रॉयल्टी फिक्स्ड, रूल्स की तहत सारा एन्टायर एरिया फिक्स्ड आधार पर दिया जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रायोरिटी फिक्स करने का क्या आधार है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: प्रायोरिटी फिक्स करने का क्राइटेरिया स्पष्ट है, जिसको काम करने का अनुभव हो या वह पैसा लगाता है, ये सारी चीजें देख कर होता है। यह क्वेरीज का मामला है, बड़े भारी मिनरल्स और गहरी खान का मामला नहीं है

Page No. 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जिसमें इंजीनियरिंग और टैक्निकल नॉलिज की जरूरत हो। क्वेरीज का मामला है, सबको देते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : एक तरफ तो आप प्रायोरिटी का सवाल लेते हैं और कहते हैं कि जिसको एक्सपीरियन्स हो और पैसा लगाने को तैयार हो उसको देते हैं; मानिकलाल साहू को जरा भी तजुर्बा नहीं है, मजदूर काम करते हैं। आप बिचोलियों को खत्म करना चाहते हैं लेकिन इस मामले में मजदूर काम करते हैं, बिचोलिया फायदा उठाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक आदमी ने दो नाम से दरख्वास्तें दी थीं, उनमें से एक मंजूर हो गई, एक बालकृष्ण ट्रेडिंग कम्पनी की मंजूर हो गई। एक भूरे खां की दरख्वास्त सन् ६४ में पेश हुई थी, समय से बाद होने से उसको अलॉट नहीं हुई, बाकी ऊपर बतलाये गये दो को अलॉट हो गई। बाकी एक फर्म ने दो नाम से दरख्वास्त दी उसको अलॉट नहीं हुई।

श्री अब्दुलजब्बार: सवाल यह है कि जो हकीकत में पाने के अधिकारी थे उनको नहीं दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: किसको नहीं दी?

श्री अब्दुल जब्बार : मण्डला बारगांव के पूरे गांव के एक दर्जन लोगों ने दरख्वास्तें दीं उनको नहीं दी गई। आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूं कि खदान कब से कट रही है। मैं चेलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि इससे सरकार को नुक्सान हुआ है।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): इस खदान के बारे में केवल ४ लोगों ने दरख्वास्तें दी थी उन चारों में से दो को जिन्होंने ९-९-६३ से पहले दरख्वास्तें दी थीं उनको दे दी गई।

श्री अब्दुलजब्बार : ९-९-६३ की दर्ख्वास्तों को आप मानते हैं और उनको सन् ६५ में देते हैं, इसके बीच में खदान कटी है इस बात का मेरा दावा है।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है कि इसमें देरी हुई। देरी इसलिए हुई कि इस दरमियान एक ऐतराज किया गया था रास्ते के बारे में। जब उसकी सफाई हुई तब अलॉटमेंट हो गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): प्रश्न अलॉटमेंट का नहीं है, प्रश्न यह है कि सन् ६५ में अलॉटमेंट हुआ। इससे पहले काम हुआ या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं हुआ।

श्री अब्दुलजब्बार: प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि उस पर काम हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी: इसकी जांच कराली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बड़ी सादड़ी की नल योजना

१४७. श्री [illegible]लाल (सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
क्या यह सही है कि नगरपालिका बड़ी सादड़ी क्षेत्र में नल योजना स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

Page No. 5

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शंकरलाल: प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इसलिए कि योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

श्री शंकरलाल. क्या सर्वे हो चुका है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो सर्वे की रिपोर्ट आई, उसमें टेक्निकल नुक्स था । इसलिये वापिस भेजी गई है । वहां से आने के बाद पुनः विचार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दी जायेगी और वहां से सेंक्शन आने के बाद काम शुरू होगा ।

श्री शंकरलाल: प्रश्न तो उठ चुका है; यह कहिये कि विचाराधीन है ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): प्रिलिमिनेरी सर्वे हो चुका है, उसमें कमियां थीं, इस लिए उमको पूरा करने के लिये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजा गया है ।

प्रश्न संख्या १४८

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित— कृपया आगे देखिये)

करबा पहाड़ी की जल-प्रदाय योजना

१४९. श्री मजलिस खां (कामां): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा पहाड़ी, जिला भरतपुर की जल-प्रदाय योजना के लिये पंचायत समिति, नगर ने ५३५०) रु. कंट्रीब्यूशन के जमा करा दिये हैं और पाइप लाइन भी कुछ हिस्से में डाल दी गई है, लेकिन आगे का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या उक्त योजना में पानी पुराने कुओं से सप्लाई किया जावेगा ? यदि हां, तो किस ग्राम के कितने कुओं से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नए कुओं का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कहां पर ?

(३) क्या उक्त योजना की टंकी के निर्माण के लिए स्थान चुन लिया गया है ? यदि हां, तो किस जगह और यह योजना कब तक पूरी करा दी जावेगी ।

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां, पंचायत समिति नगर ने ५०००) रु० जन सहयोग के रूप में जमा कराया है । शहर में पाइप लाइन डाल दी गई है किन्तु अभी तक मीठे पानी का श्रोत प्राप्त नहीं होने के कारण काम अधूरा छोड़ दिया गया है ।

(२) जी नहीं । कुओं में पानी खारा होने की वजह से पानी नही लिया जावेगा । छपरा गांव की तरफ मीठे पानी के क्षेत्र में दो नल कूप बनाये जाने की योजना है।

(३) जी नहीं । सीमेन्ट की ऊंची टंकी का स्थान केवल मीठे पानी के साधन की उपलब्धि के स्थान का निर्णय हो जाने के बाद ही तय किया जावेगा । आवश्यक सामग्री एवं वित्त की उपलब्धि होने पर २ से ३ साल में योजना का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा ।

Page No. 6

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि सरकार ने बिना इस बात को मालूम किए कि यहां पर मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा, यह रुपया अन्य बातों में बेकार खर्च कर दिया ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पैसा बेकार खर्च नहीं हुआ है। दो कुएं सरकार की जनता की ओर से दिए गए हैं. इनका पानी पीने योग्य है लेकिन और भी अच्छा पानी मिल सके, इसके लिए कोशिश की जायेगी। यह लाइन काम आयेगी; स्कीम को प्रायोरिटी दी गई है, जल्दी ही पूरी की जायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कार्य प्रारम्भ होने से पहले पानी कहां पर उपलब्ध होगा, इसका सर्वे हुआ था नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : वे कुएं आज भी पानी दे रहे हैं, लेकिन अच्छा पानी उपलब्ध हो सके इसके लिए कोशिश जारी है।

प्रश्न संख्या १५०

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री कुमारसिंह।

लक्ष्मीपुरा तालाब की मरम्मत

१५१. श्री कुमारसिंह (खेवट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत गागरोन, तहसील सांगोद में पुराने तालाब से अभी कितनी सिंचाई की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि इस तालाब को व्यवस्थित ढंग से बना देने पर सैकड़ों बीघा में अधिक पानी दिया जा सकता है ?

(३) क्या सरकार लक्ष्मीपुरा तालाब की मरम्मत करने व इसे ठीक से बनाने पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(२) आवश्यक सर्वेक्षण आदि के उपरान्त ही कुछ कहा जा सकता है।

(३) जी हां, यदि प्रारंभिक निरीक्षण व जांच से उचित समझा गया तो।

श्री कुमारसिंह : यह तालाब तो एग्जिस्ट कर रहा है इसकी जानकारी भी विभाग को है, फिर समझ में नहीं आता कि कैसे कहा जा रहा है कि विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : यह विकास विभाग के अंतर्गत है इसलिये सिंचाई विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कुमारसिंह : सिंचाई की जमीन ५००-७०० बीघा जिसके नीचे होती है वह सिंचाई विभाग में होता है। विकास विभाग के पास तो छोटी सिंचाई योजनाएं हैं, २०० बीघा से ऊपर की सिंचाई विभाग के पास होती हैं। क्योंकि यह तालाब तोड़ दिया गया है इसलिये इसकी जानकारी न तो विभाग के पास है और न विकास वालों के पास। क्या इसका सर्वे करवाकर इसकी मरम्मत करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा है कि सर्वेक्षण के बाद सिंचाई विभाग

Page No. 7

(श्री दिनेशराय डांगी)
काम अपने हाथ में ले सकता है। यदि २५०००) रु० का काम है और ५० एकड़ से ज्यादा जमीन की सिंचाई उससे हो सकती है तो सिंचाई विभाग इस पर विचार करेगा।

श्री कुतर्री हु : ५० बीघा से ज्यादा सिंचाई तो आज भी हो रही है। टूटे हुए तालाब में भी ५० एकड़ से ज्यादा सिंचाई होती है, २५०००) से ज्यादा का मरम्मत का काम है। जितना अभी पंचायत समितियों को दिया जाता है उससे ज्यादा रकबा कमान्ड होता है। यह काफी अर्से से यों ही पड़ा है। इसलिये निवेदन है कि सिंचाई विभाग इसको हाथ में लेकर इसकी मरम्मत करावे।

श्री दिनेशराय डांगी : यदि २५ हजार से ज्यादा का काम है तो सिंचाई विभाग करेगा और भी कोई तालाब टूटे हुए हैं तो सिंचाई विभाग को करने के हैं उनकी मरम्मत वह करेगा। विकास विभाग को भी इस काम के लिये लोन मिलता है।

प्रश्न संख्या १५२

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती चूंडावत

युद्ध में वीर-गति प्राप्त सैनिक

१५३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चीन तथा पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जिन राजस्थानी सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की तथा जिन्हें सम्मान मिला उनके नाम, सम्मान का विवरण तथा कार्यों की सूची तथा अन्य पूरी जानकारी क्या राज्य सरकार के पास है?

(२) यदि हां, तो स्थानीय सूत्रों के द्वारा हैं या सैनिक संस्थानों की ऑफिशियल रिपोर्ट द्वारा?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थानी सैनिकों का इस प्रकार का विवरण प्राप्त करने के लिये पंजाब सरकार की भांति राजस्थान ने कोई सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किया।

(४) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जल, थल और नभ सेनाध्यक्षों को अब इस प्रकार की जानकारी राज्य को बराबर भेजते रहने के लिए लिखेगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां।

(२) यह जानकारी सैनिक संस्थाओं की ऑफिशियल सूचनाओं के द्वारा है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या आपके पास बराबर ऑफिशियल रिपोर्ट वहां से आ जाती है सम्मान वगैरह मिलता है उसके बारे में? अध्यक्ष महोदय, मैं कहती हूं कि इस प्रकार की ऑफिशियल जानकारी सरकार के पास नहीं है?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : आप क्या जानकारी करना चाहती हैं?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अगर आपके पास जानकारी है तो बता दीजिये आपकी सूची में चौधरी खेमाराम झुन्झुनू जिले का नाम है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सूची देखकर बता सकता हूं । लेकिन संक्षेप में मोटी बातें झुंझुनू के बारे में भी बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : वही पूछ रहा हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरूसिंह को मिला ।

श्री भैरोंसिंह : मैं खेमाराम के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको क्या ऑनर मिला है ?

श्री भैरोंसिंह : महावीर चक्र ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : महावीर चक्र प्राप्त ले. कर्नल. किशनसिंह और ले. कर्नल रघुवीरसिंह के नाम इस लिस्ट में हैं ।

श्री भैरोंसिंह : पिछले दिनों जयपुर नगर में जितने सैनिक थे उनका स्वागत किया गया था, जिनको पदों से विभूषित किया गया है । उनमें खेमाराम भी थे । उन्होंने बताया कि उनको महावीर चक्र मिला है लेकिन उसका रिकॉग्नीशन नहीं है; न तो स्टेट गवर्नमेन्ट में और न जो गवर्नमेन्ट का गजट नोटिफिकेशन होना चाहिये न वह हुआ है । मुख्य मंत्रीजी ने उस समय १० मिनट उनकी प्रशंसा में डिवोट किये थे, उनकी तारीफ में डिवोट किये थे । उनको महावीर चक्र मिला है, पर उनका नाम लिस्ट में नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब आप स्वयं ही डिस्प्यूटेड मान रहे हैं तो मेरी लिस्ट मे नाम होता कैसे ? जो लिस्ट हमें मिली है उसमे महावीर चक्र मिलने वालों में उसका नाम नही है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आप जानकारी कर लें और जो तथ्य हों वे आप बाद में सदन के सामने रख दें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, महावीर चक्र, परम वीर चक्र और जो दूसरे चक्र हैं उनको प्राप्त करने वालों के बारे में इस राज्य सरकार को पूरी जानकारी नहीं है, मैं पक्की तौर से कहती हूं कि राज्य सरकार को पूरी जानकारी नहीं है । मैं आपको निवेदन करूं कि पंजाब सरकार ने जल, थल व नभ के सैना अधिकारियों को लिख रखा है और जो कुछ ऐसे चक्र प्रदान किए जाते हैं उनकी जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाती है । लेकिन इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का हमारी सरकार के पास कोई प्रबन्ध नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे पास सूचना डिफेन्स मिनिस्ट्री से आती है या डिस्ट्रिक्ट सैलर्स एण्ड सोल्जर्स बोर्ड के थ्रू आती है, उसी के आधार पर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट सदन की मेज पर रखवादी जाय ।

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have no objection.

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

मालपुरा कृषि फार्म

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) [श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कितने कृषि फार्म्स हैं और कब कब से और कहां कहां पर स्थापित हैं ?

(२) इन फार्मों पर आज दिन तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ? एक एक फार्म के पृथक् से आंकड़े दें ?

(३) इन फार्मों के स्थापित होने के बाद से आज दिन किस किस फार्म से कितनी कितनी आमदनी हुई है ?

(४) क्या यह सत्य है कि मालपुरा कृषि फार्म जिला टोंक में १९६३-६४ तक ५४,०३३ रुपयों का नुकसान रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उसके स्थापित होने के बाद से ही वहां पर नुकसान रहा है ? यदि हां, तो फिर उस फार्म को क्यों कायम रखा जा रहा है ?

(५) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इन फार्मों से आज दिन तक लाभ नहीं हुआ है, तो उन्हें या तो किसी और जगह तब्दील करें या उन्हें बन्द कर दें ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ४८ कृषि फार्म चालू किये हैं जिनकी सूचना परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(२) परिशिष्ट (ख) संलग्न है ।

(३) परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है ।

(४) जी हां, मालपुरा डिग्गी फार्म में सन् १९६३-६४ तक ५३,१०६ रुपये का नुकसान रहा । इसका मूल कारण सिंचाई के पानी की कमी है, जिसको सुधारने के लिए अब कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण आइटम (५) के उत्तर में दिया गया है ।

(५) जिन फार्मों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे व जमीन समतल नहीं थी, वहां ये सब साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । डिग्गी फार्म जो मालपुरा पंचायत समिति के अधीन था अब उसे वापिस विभाग में ले लिया है और कुओं को बोरिंग द्वारा गहरा कराया जा रहा है । आशा है कि सिंचाई का पानी उपलब्ध होते ही फार्म की आमदनी बढ़ेगी ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट के लिए आप फर्मा रहे हैं वह मिली नहीं है । लेकिन आपने जैसा कहा कि इतने का लोस चल रहा है, तो वह कितने साल चलने के बाद, कितना खर्चा होने के बाद में लोस हुआ है ? कितना खर्चा कितने सालों में किया और उसके बाद में कितना नुकसान हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जो नुकसान हुआ है वह मैंने बता दिया है, लेकिन आपने उस सूची को अभी देखा नहीं है । यह प्रश्न दूसरे माननीय सदस्य का था, लेकिन आपने एक दम पूछ लिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मालपुरा कृषि फार्म कब से काम कर रहा है? इस फार्म की स्थापना कब हुई?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९५७-५८।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९५७ से लेकर आज तक जो नुकसान इस फार्म में रहा है इसका एकमात्र कारण यह है कि वहां पानी की सुविधा नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, इस फार्म की जो जमीन है, जिसको इस फार्म के लिए लिया है, इसमें कोई इरिगेशन का साधन नहीं था। इसलिए इस पर सागोला खेती करते रहे। खेती के लिए बरसात पर निर्भर करते हैं क्योंकि कूएं बने नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९५७-५८ से लेकर अब तक जो नुकसान हुआ उसका एकमात्र कारण आप पानी की कमी मानते हैं, तो प्रारम्भ से इस कमी को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया?

श्री नाथूराम मिर्धा : फार्म के लिए जब लैण्ड एक्वायर कर लेते हैं तो उसके बाद जितना पैसा होता है वह एक साल में ही प्रोवाइड नहीं हो जाता है। यह फार्म सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया गया था। इसे पहले पंचायत समिति को दिया गया। लेकिन जब उसके द्वारा ठीक काम नहीं हुआ तो वापिस गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके बाद में फेन्सिग लगाने का काम कर रहे हैं, कूएं का इरिगेशन सोर्स बनाने का काम कर रहे हैं। इन सब कामों में इन्वेस्टमेंट होता है। कोई फार्म बनाते हैं तो पहले जमीन का लेवलिंग होता है, सिंचाई के साधन जुटाने पड़ते हैं और स्टाफ के रहने के लिए प्रबन्ध करना होता है। ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, राजस्थान में जो भी फार्म बनाये हैं वह लोगों की डवलप्ड लैंड को एक्वायर करके बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जो सरकार की जमीन थी, जो थोड़ी मार्जिनल टाइप ऑफ लैण्ड थी, उसको फार्म के रूप में लाकर लेवलिंग, फेंसिंग करके कुएं के द्वारा इरिगेट करके डेवलप करना है और इसी दृष्टि से यह फार्म चालू किया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार ने इस फार्म के बारे में कोई फेज प्रोग्राम बनाया था कि अमुक साल में लैण्ड एक्वायर कर लेंगे, अमुक साल में पानी की व्यवस्था कर लेंगे? इस तरह का कोई फेज प्रोग्राम तैयार किया था कि पहली साल में यह कर लेंगे और अगली साल फेन्सिंग कर लेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि मैंने इस सदन में एक बार बताया था, हमने फार्म्स के बारे में एक्सपर्ट्स की, तीन आदमियों की, कमेटी बैठाई थी, जिसको यह जांच करनी थी कि जितने राजस्थान में फार्म्स हैं, उनमें क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है और कितना उन फार्म्स को डेवलप किया जा सकता है। उसकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर हमने आने वाले पांच सालों के लिए फेज प्रोग्राम बना लिया है फार्म्स के लिए और इन फार्म्स में जितनी कमी है उसको दूर करने के लिये हमने पिछले साल से ही व्यवस्था करना शुरू कर दिया है—इरिगेशन की व्यवस्था करनी है, लैण्ड का लेवलिंग करना है, उसका फेन्सिग करना है और जो फार्म्स चल रहे हैं उनमें कोई कमी हो गई है, बैल पुराने हो गये हैं या दूसरी चीजें हो गई हैं; उन सबके लिए हमने फेज प्रोग्राम बनाया है।

Page No. 11

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न के भाग (१), (२) व (३) में आपने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर मैं यह जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है, राजस्थान के अन्दर जितने फार्म्स चल रहे हैं, वे मुनाफे में नहीं चल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले भी कहा था कि यह भावना गलत है कि सब नुकसान में चल रहे हैं । मेरे पास लिस्ट है····

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने हैं वह बता दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुल ४८ फार्म्स मैंने बताये हैं, उनमें से ११ की इन्फोर्मेशन नहीं आई है; तो ४८ में से ११ निकाल दीजिए तो बाकी के ३७ में से कम से कम २० फार्म्स मुनाफे में चल रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : २० फार्म्स मुनाफे में चल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां । जो आंकड़े मैंने लिस्ट में बताये हैं वह आप देख लीजिये । वह लिस्ट टेबल पर पड़ी है ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : इर्रिगेटेड एरिया में औसत पैदावार क्या होती है और ड्राई एरिया में क्या होती है ? और क्या इन फार्म्स की औसत पैदावार काश्तकारों की औसत पैदावार से ज्यादा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जनरल क्वेश्चन है । वैसे कई फार्म्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है और कई का कम है ।

श्री जुझारसिंह : मालपुरा का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एवरेज प्रोडक्शन मुझे मालूम नहीं ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या इस फार्म को खोलने से पहले सरकार ने सिंचाई साधनों की सर्वे कराई थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

मादा जानवर काटे जाने पर प्रतिबंध

१५५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में मादा जानवर काटे जाने पर कब से प्रतिबन्ध है और किस आदेश के द्वारा ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि कुछ महीनों से जयपुर में मादा जानवर काटने की सरकारी आदेश द्वारा छूट दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सच है कि जीव-रक्षा कमेटी, जयपुर के द्वारा मादा जानवर काटने की छूट के आदेश के विरुद्ध हस्ताक्षर-आन्दोलन चला कर सरकार के पास प्रतिवेदन भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या सरकार दूध की कमी को ध्यान में रख कर मादा जानवरों को काटने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण): (१) दिनांक ४-१०-५१ के आदेश द्वारा प्रतिबन्ध है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। ऑफिसर कमान्डिंग, सप्लाई डिपो की सिफारिश व खाद्य स्थिति को देखते हुए मादा बकरियों को जिनके पेट में बच्चे न होवें, अस्थायी रूप से छः माह के लिये जयपुर शहर में काटने की छूट दी गई है।

(३) दिनांक १७-१-६६ को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

(४) आइटम नं० (३) के अनुसार मामला विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इससे खाद्य स्थिति को योगदान किस प्रकार मिला है?

श्री दौलतराम सारण : मिलिटरी वालों को शिकायत थी कि उनको मांस कम अवेलेबल हो रहा था। इसलिये उन्होंने मांग की थी कि बकरियों के काटने पर जो प्रतिबन्ध लगाया हुआ है इससे उनको मांस कम उपलब्ध हो रहा है। उनकी शिकायत को देख कर और उस समय की स्थिति को देख कर यह निर्णय लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार के पास मांस खाने वालों की शिकायत आई थी या बकरे काटने वालों की?

श्री दौलतराम सारण : ऑफिसर कमांडिंग, सप्लाई डिपो की सिफारिश को देख कर यह निर्णय लिया गया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि बकरे और बकरी के मांस में क्या अन्तर है?

श्री दौलतराम सारण : यह तो माननीय सदस्य ही जानते होंगे। मैंने तो टैस्ट किया नहीं।

स्वायत् शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): बात यह थी कि मीट अवेलेबल नहीं हो रहा था और आर्मी वालों का यह ख्याल था कि अगर बकरों के साथ बकरियों को काटने की भी इजाजत दी जाये तो आर्मी को मीट मिल सकेगा आसानी से, इसलिए हमने छः महीने के लिये यह इजाजत दे दी।

श्री जयनारायण सालोदिया : बकरी काटने से बच्चा नहीं होगा तो बकरे भी नहीं होंगे।

श्री दौलतराम सारण : बिना बच्चे वाली बकरी काटने की इजाजत दी है, बच्चे वाली की नहीं।

एक माननीय सदस्या : आपने किसी विशेषज्ञ से पूछा है इस बारे में?

श्री दौलतराम सारण : हमने शीप और वूल विभाग से पूछा था कि इस तरह की पोजीशन है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? उनका जवाब आने पर फिर से जांच की जायेगी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): जोधपुर से देहली रोज पांच-छः ट्रक्स भेड़, बकरियों की जाती हैं, उनमें शी गोट्स भी

(श्री मोतीलाल चौधरी)
आती हैं जिनमें कई तो बच्चा देने के लायक होती हैं और अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, वे ट्रक खातीपुरा में रुकती हैं। मैंने खुद ने ऐसी बकरियां खरीदी हैं और उनके बच्चे पाले हैं।

श्री दौलतराम सारण: बकरियों के काटने के पहले जांच की जाती है कि कोई बच्चे वाली तो नहीं है और ऐसी बकरियो को काटने की इजाजत नहीं दी जाती।

श्री बरकतुल्ला खां: मादा भेड़ नहीं काटी जा सकती और मादा बकरी काटने के के लिये भी केवल जयपुर में इजाजत दी गई है।

श्री मोतीलाल चौधरी: राजस्थान से बाहर जो मादा भेड़ जाती हैं, कभी चरने के नाम पर और कभी कैसे, इसको रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है। पंजाब को जाती हैं, काश्मीर को जाती हैं।

श्री दौलतराम सारण: बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो इससे भेड़ पालकों को ही ज्यादा नुकसान होगा, इसलिये वे ही इसका विरोध करेंगे। उनकी कीमत गिर जायेगी, इसलिये भेड़ पालक इस बात को नहीं मंजूर करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय मंत्रीजी यह बतावेंगे कि उस चिट्ठी के बाद कितनी मादा बकरियें काटी गईं?

श्री दौलतराम सारण: कितनी बकरियें काटी गईं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: अभी आपने कहा कि बकरियो को काटने से पहले यह जांच की जाती है कि आया बच्चा उनके पेट में तो नहीं है। जब आपके यहां पर जांच की जाती है तो रेकर्ड होगा।

श्री दौलतराम सारण: इसका कोई रेकर्ड नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले गोस्त के भाव में और बाद में गोस्त के भाव में कोई फर्क पड़ा है? यदि पड़ा है तो पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है?

श्री बरकतुल्ला खां: मिलिट्री की चिट्ठी आई कि मीट का भाव बढ़ रहा है और मिलिट्री के लिये मीट की आवश्यकता है। मिलिट्री अधिकारियों ने इमीडियेट लैटर लिखकर भेजा और लिखा कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, क्योंकि मीट की आर्मी के लिये जरूरत है। इसलिये गवर्नमेंट ने मिलिट्री की डिमान्ड को देखते हुए यह इजाजत दी है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यह आज्ञा मिलिट्री के अधिकारियों को मिलिट्री के आदमियों को गोस्त के लिये दी गई? क्या यह मांस मिलिट्री वालों को ही सप्लाई किया गया या और लोगों को भी सप्लाई किया गया?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने उनकी एज क्या रखी है यह भी जरा बता दें।

श्री बरकतुल्ला खां: यह बात है कि पहले बकरे ही कटते थे। अब यह बात है कि सिर्फ बकरी नहीं कट सकती। आर्मी के यह दिमाग में आया कि गोस्त का भाव बढ़ता जा रहा है, उन्होंने चिट्ठी लिख कर भेजी।

Page No. 14

(श्री बरकतुल्ला खां)
जहां तक दूध देने वाली बकरियों का प्रश्न है, लोग खुद अपनी बकरियों को जो दूध देती हैं कभी स्लाटर हाउस नहीं ले जावेंगे और कटवायेंगे। लोग उन्हीं बकरियों को कटवाएंगे जो दूध नहीं देती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच कराली थी कि मांस के भाव बढ़ते जा रहे हैं वह सही है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मीट के भाव हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि एक दम से जब डिमान्ड बढ़ जाती है तो भाव बढ़ जाते हैं। आर्मी की डिमान्ड बढ़ी और आप जानते हैं जैसे जैसे डिमान्ड बढ़ती है दाम भी बढ़ते जाते हैं। इसलिये हमने मिलिट्री के आदमियों के लिये उनके कहने से यह किया। हमने किसी और के कहने से नहीं किया। आर्मी की तरफ से जब यह करवाया तो सरकार ने बड़े रिलक्टेन्ट व्यू से डिसीजन लिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, बकरी काटने की इजाजत दी सरकार ने तो यह इजाजत कितनी हजार मादा बकरियों को काटने के लिये दी ? आखिर कार आपने कोई तादाद तो फिक्स की होगी कि इतनी मादा बकरियों को काटा जाए।

श्री बरकतुल्लाखां : तादाद तो फिक्स नहीं की गई थी। जो अपनी बकरी को बेच कर कटवाना चाहे, उसको इजाजत दी गई थी।

श्री जगन्नारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि राजस्थान भर की बकरियें जयपुर में आकर कटती हैं। यहां पर बकरे बहुत कम कटते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की टोपोग्राफिकल कन्डीशन्स को देखते हुए इस सदन की राय भी बने कि बकरी धन को कम ही किया जावे तो मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा।

श्री जोरावरसिंह चौहान (गिरवा) : बकरी को काटना धर्म के खिलाफ समझते हैं। इसलिए इसके लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है कि ये नहीं काटी जावे। इसके अलावा क्या सरकार ने इस बारे में कोई आदेश दिया है कि जहां पर बकरी कटती है वहां पर नोटिस लगा दिया जावे कि वहां पर बकरी मांस बिकता है। इसके लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : बकरी की एज क्या हो, यह भी आपने क्या तय किया है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। आखिरकार सरकार मादा बकरी को काटने के लिये आदेश देती है तो या तो उसके लिये कोई समय निर्धारित होना चाहिये कि इतने समय तक के लिये मादा बकरी काटी जावेगी और अगर समय निर्धारित नहीं है तो तादाद निर्धारित होनी चाहिये कि इतनी मादा बकरियें काटी जावेगी। अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब मेरे खयाल से देश को........

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : आप लोग खाना बन्द कर दें।

Page No. 15

श्री जयनारायण सालोदिया : आप ज्यादा खाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इससे बहुत हानि होगी। आपका कोई न कोई प्लॉन तो होना चाहिये कि इतने हजार या लाख बकरियें काटी जावेंगी या इतने समय तक बकरियें काटने का निर्णय लिया है। उसके बाद सारी जो भी स्थिति हो उसका रिव्यू करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने बकरी को काटने पर काफी चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिये मैं माननीय सदस्यों व सदन के विचार के लिये निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ८० लाख भेड़ और ८५ लाख बकरियें हैं और यह जो वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि जितना नुकसान बकरी के खुर से और मुंह से होता है उतना भेड़ और दूसरे किसी जानवर से पेड़ों को नहीं होता है। इसलिए यह सदन राजस्थान की हालत है उसको देखते हुए सारे राजस्थान में बकरियों को जैसे जयपुर में किया है सारे राजस्थान में किया जा सके तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिकों की राय से चूंकि बकरियों से नुकसान होता है उनके लिए यह आदेश जारी कर दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि मनुष्यों के मूत्र के लिए वैज्ञानिकों की यह राय है कि जितनी जमीन खराब होती है वह किसी पानी से खराब नहीं होती है। जिस प्रकार बकरियों को यों खत्म कर दें उसी तरह से उनके लिए भी किया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह वैज्ञानिकों की राय नहीं है।

आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेटरीन तो बहुत अच्छी खाद है। वैज्ञानिकों का यह मत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप जो वैज्ञानिकों की राय की बात यहां ला रहे हैं वह हिन्दुस्तान के बारे में नहीं है मैं आपकी इस राय को दावत दे सकता हूं कि उनकी यह राय हिन्दुस्तान की धरती के लिए नहीं है यह तो फोरिन कन्ट्रीज के लिए है। वहां पर वे लोग बकरी नहीं रख सकते, जहां पर जमीन की कमी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां जमीन की कमी नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : हम इस स्थिति को फिर से रिव्यू करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : श्री नाथूरामजी ने जो वैज्ञानिकों के फैसले का जिक्र किया वह फैसला पुराना हो गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अंगोरा बकरी है उनके ठहरने के लिए और खाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अंगोरा बकरी के लिए यह राय हो सकती है। यह राय साइंटिस्टों की सारे हिन्दुस्तान की बकरियों के लिए यह लागू नहीं हो सकती।

श्री मोतीलाल चौधरी : अभी दिल्ली में दो लाख के फण्ड से इटली से, कनाडा से बकरी लाने के लिए लोगों की हैल्प की जाती है और बकरी गरीब की गाय मानी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्वाइन्ट ऑफ व्यू से बकरी की मैंगनी में नाईट्रोजन, एन्टीजर्म, डी होक, जितना मजबूत है दुनिया

Page No. 16

(श्री मोतीलाल चौधरी)
की किसी भी खाद में नहीं है। अमरिका ने गाय के लिए किया है उसके सींग खत्म कर दिए। इसी तरह अंगोरा बकरी को चराने का तरीका बदल दिया। तो विज्ञान आज इतना प्रगतिशील बन गया है कि चन्द्रमा तक पहुंचने लग गया है आज का मानव।

फिर बकरी हमारे देश में आज तीन से पांच पौंड तक दूध देती है। उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। इसलिए ऐसी बात करनी नहीं चाहिए।

प्रश्न संख्या १५६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं इसको पूछने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को शिकायत रह जाती है कि उनके प्रश्न पूछे नहीं जाते, और इस तरह काफी प्रश्न रह जाते हैं।

श्री गोयल १५७।

कालपुरा, कोटा में झोपड़ियों में बसे व्यक्तियों की बेदखली।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत शासन मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने आदेश सरक्यूलर नम्बर ५ (१५-६-६४) के द्वारा, जो उप सचिव, स्वायत शासन विभाग द्वारा समस्त जिलाधीशों को भेजा गया है नजूल लैंड पर अतिक्रमण के विक्रय के सम्बन्ध में व्यवस्था की है ?

(२) क्या यह सत्य है कि नगर-परिषद् कोटा के वार्ड नयापुरा, कालपुरा की झोंपड़ियों में बसे व्यक्तियों की नजूललैन्ड बेचे जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश एफ ७।१८७ एल. एस. जी. ५८ दिनांक ६-५-६३ द्वारा आदेश हो चुके हैं अगर हां, तो उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि अभी नगर परिषद् कोटा द्वारा कालपुरा की झोंपड़ियों में बसे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन, (श्री दौलतराम सारण) :

(१) यह सत्य है। इसमें कुछ शर्तों के साथ जमीन बेचने की व्यवस्था है।

(२) इसके सम्बन्ध में मन्डी कमेटी को रिजर्व प्राइस (नज़राना) तय करने के लिए निवेदन किया जा चुका है।

(३) इस क्षेत्र में अधिकृत व्यक्तियों को हटाने की कोई कार्यवाही नगर-परिषद् द्वारा नहीं की जा रही है। केवल उनके विरुद्ध ही कार्यवाही करेंगे जो उपरोक्त सरक्यूलर के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कब लिखा आपने ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो मेरे पास अभी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : साल बता दीजिये, महिना बता दीजिये । मैंने प्रश्न पूछा था, उस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार उनके पास नोटिस भेजे हैं और इसके बाद हटाने की कार्यवाही की गई है और केस करवा रक्खे हैं; आपने बताया कि लिख दिया था, तो कब किस महीने में लिखा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने भी निश्चित उत्तर दिया है कि जो सक्यूलर के अन्तर्गत आते हैं उनको हटाने की कार्यवाही नहीं की गई है; जो नहीं आते उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई होगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 'होगी' नहीं; 'होगी' का सवाल नहीं है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): फरवरी या मार्च ६६ में मण्डी कमेटी को लिखा जा चुका है ।

प्रश्न संख्या १५२

श्री अध्यक्ष : श्री चौथमल वर्मा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री मोहनराज ।

मेरिट पे

१५३. श्री मोहनराज (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में कार्य कर रहे तकनीकी व गैर तकनीकी अधिकारियों को मेरिट पे नाम से विशेष वेतन दिया जाता है ?

(२) यह किस आधार पर व किस दर से दिया जाता है ?

(३) यह विशेष वेतन देने की पद्धति कब से प्रारम्भ हुई व किसकी सिफारिश पर ?

(४) अब यह विशेष वेतन कितने तकनीकी व कितने गैर तकनीकी अधिकारियों को दिया जा रहा है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, मेरिट पे तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों को दी जाती है ।

(२) योग्यता के आधार पर । आवेदक द्वारा दिये गये अनुसंधान या मौलिक कार्य के मूल्यांकन के आधार पर मेरिट पे दी जाती है । दर ५०), १००) तथा १५०)रु. प्रतिमाह से । कार्य का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है ।

सन् १९६१ से । यह पद्धति राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है ।

(४) अब तक १४ राज्य कर्मचारियों को मेरिट पे स्वीकृत की गई है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है:

चिकित्सा ३, इन्जीनीयरी ४, प्राणी शास्त्र (जिओलोजी १, भौतिक शास्त्र (फिजिक्स) १, रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) १, वनस्पति शास्त्र (बोटैनी) १, दर्शन शास्त्र (फिलासोफी) १, इतिहास १, हिन्दी १ ।

विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 18

श्री मोहनराज : विशेषज्ञ समिति में कितने सदस्य हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह विषय के अनुसार समिति बनाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए प्राणी शास्त्र के कर्मचारी का केस है तो दो आदमी तो प्राणी शास्त्र के एक्सपर्ट होते हैं और एक आदमी कम से कम राजस्थान के बाहर का होना चाहिए और एक आदमी पी. एस. सी. के चेयरमैन या सदस्य होते हैं। इस तरह ३ की समिति बनती है जो मिलकर निर्णय करती है। उसके निर्णय और सिफारिश के आधार पर मैरिट पे दी जाती है।

श्री मोहनराज : राजस्थान के बाहर का जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम बताइये ?

श्री चन्दनमल वैद : वह तो अलग-अलग विषयों के अनुसार होते हैं। कोई एक तय नहीं है। इस तरह से एक्सपर्ट कमेटी कोई बनी हुई नहीं है। जब जरूरत होती है उस विषय की बन जाती है।

प्रश्न संख्या १६०

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसहाय।

गंगापुर नल योजना के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

१६१. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर नल योजना के अन्तर्गत किसानों की चाही जमीन अवाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी जमीन ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चाही जमीन के पास ही सिवाय चक जमीन उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो सकती है ? यदि हां, तो चाही जमीन क्यों ली जा रही है और क्या इससे सरकार को अधिक मुआवजा नहीं चुकाना पड़ेगा ?

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : क्या नल योजना के लिए जमीन अवाप्त नहीं की जा रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार के पास इस प्रकार की सूचना नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय : यह जानकर मुझे भी दुःख हुआ कि वहां पर काम चल रहा है, पाइप लाइन बिछाई जा रही है और मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं 'जी नहीं'।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या जिलाधीश से जानकारी की है ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जमीन की जितनी आवश्यकता थी, क्वार्टर्स वगैरह बनाने के लिए नगरपालिका ने प्राइवेट लोगों से खरीद कर उतनी जमीन डिपार्टमेन्ट को दे दी है, इसलिए एक्वीजीशन का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश से जानकारी की है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी जरूरत नहीं रही। क्योंकि जितनी जमीन की जरूरत थी, दो हजार रुपयों में प्राइवेट लोगों से खरीद कर डिपार्टमेन्ट को दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : अब बताइये कि एक्वीजीशन की कार्यवाही नहीं चल रही है, यह आपने किस सूचना के आधार पर गलत बताया है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई एक्वीजीशन की कार्यवाही नहीं की गई इसलिए।

श्री भैरोंसिंह : पर उस वाटर वर्क्स के काम के लिए एक्वीजीशन की कार्यवाही की जा रही है। यह गलत है या सही, यह बता दीजिए आप।

श्री हरिदेव जोशी : डिपार्टमेन्ट ने किसी जमीन की आवश्यकता इसके बाद महसूस नहीं की और न किसी जमीन के लिए एक्वायर करने के बारे में कलेक्टर को लिखा ही है कि एक्वायर करके जमीन दे दो अमुक कार्य के लिए। इसलिए निवेदन हम कर सकते हैं कि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : जिलाधीश और उसके अन्तर्गत कार्य करने वालों ने लोगों को नोटिसेज दिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप जानकारी करेंगे कि इस प्रकार के जो नोटिस दिये जाने के बाद भी आपको इस तरह के उत्तर देने के लिये बाध्य किया कि कोई एक्वीजीशन की कार्यवाही नहो हो रही है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में है ही नहीं कि कोई एक्वीजीशन की कार्यवाही हमारी मांग पर की गई हो, क्योंकि डिपार्टमेन्ट ने जो मांग की उस पर उसको जमीन मिल गई न हमने एक्वायर करने के लिए लिखा है और इसलिए एक्वायर हो रही हो यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अगर यह जानकारी आपको दे रहे हैं तो आप जानकारी कर लें, हो सकता है आपकी जमीन के लिए एक्वायर को कार्यवाही की गई हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर उत्तर देने को तैयार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : जो जमीन खरीदी है क्या वह सरकार की अनुमति से खरीदी है ?

श्री हरिदेव जोशी : नगरपालिका किसी प्राइवेट पार्टी से खरीदने को स्वतन्त्र है, जिसने खरीदकर विभाग को दी है।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका अमुक धनराशि तक खर्च करने के लिए सीमित है। अगर अधिक धनराशि खर्च करती है तो इसके लिए तो परमिशन लेती है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर ऐसा है तो लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट से ली होगी परमीशन। दो हजार में खरीदी है और इसकी इत्तला हमें दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : कब खरीदी और कब इत्तला दी।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक तरीख तो मुझे मालूम नहीं, पर लैटर की कापी मेरे पास है।

प्रश्न संख्या 162

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री धर्माराम।

अणगेर बांध

163. श्री धर्माराम आर्य (सिरोही): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही तहसील में अणगेर का बांध के कार्य के लिये मन्जूरी हो गई है?

(2) अगर हां, तो अभी तक कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है और कब तक शुरू होगा?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (1) जी नहीं, योजना-आयोग से अभी मन्जूर होकर नहीं आया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्माराम आर्य: यह कितने वर्ष से पड़ा है?

श्री दिनेशराय डांगी: 'वर्ष' से नहीं, अभी आया है और जैसे ही धन-राशि उपलब्ध होगी काम प्रारंभ कर दिया जावेगा।

श्री बलपतसिंह (आबू): इस अणगेर बांध का सर्वे तीन साल से हुआ पड़ा है, कागजी कार्यवाही चल रही है। इसके बाद में जिला परिषद् ने भी लिखा है सिरोही से। तो अब कब तक हो जावेगा काम शुरू इसका?

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, यह इनकी सूचना बिल्कुल गलत है। धर्माराम जी एम. एल. ए. ने लिखा-पढ़ी करके सर्वे कराई है। कोई जिला परिषद् से लिखा हुआ नहीं आया। इसके पश्चात् सर्वे होने के बाद योजना कमीशन को भेज दिया है। यह चौथी योजना में शामिल है। वहां से स्वीकृति आने पर इस पर काम शुरू किया जावेगा।

श्री बलपतसिंह : जिला परिषद् ने नहीं लिखा, आप यह कहते हैं तो भी तीन साल से इस पर कार्यवाही चल रही है।

श्री दिनेशराय डांगी: मैंने कहा कि जिला परिषद् से सिफारिश नहीं आई है। किसी और की आई है। आपकी भी नहीं है।

श्री बलपतसिंह: आई तो है। आप सिरोही गये थे, तब भी जुबानी बात हुई थी। फुल फलैज्ड मन्त्री भी बता देंगे कि कितने वर्षों से यह चल रहा था।

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): यह ठीक बात है। सिरोही के कई लोगों ने अलग अलग और जिला परिषद् के लोगों ने भी इसके बारे में मुझे चिट्ठियां लिखी हैं। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों की इसके बारे में काफी मांग है और यह बांध भी काफी बड़ा है और यूज़फुल है। पर इसके सर्वे करने में, वर्क आउट करने में सर्वे शुरू होने के बाद भी अलग अलग लेवल पर कागज वापिस भी आते हैं, जाते भी हैं, भेजने पड़ते हैं। फिर नाप-जोख पक्की होती है। अब यह फाइनल होकर राजस्थान

(श्री नाथूराम मिर्धा)
सरकार ने इसे सी. डब्ल्यू. पी. सी. को उनकी सैंक्शन के लिए भेजा है। उम्मीद है उनकी मन्जूरी जल्दी आ जायेगी। फिर चौथी योजना में जिस प्रकार धन राशि की व्यवस्था होगी, हम इसे शुरू करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): यह है चीफ मिनिस्टर लायक जवाब।

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल।

अजमेर में हायर पर्चेज आधार पर दूकान देने की व्यवस्था

१६४. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार अजमेर नगरपालिका द्वारा बालाजी के मन्दिर, गांधी भवन एवं कचहरी रोड, अजमेर पर पुरुषार्थियों को जो दूकानें दी गई हैं, उनको भी जयपुर व जोधपुर के थड़ी वालों की भांति ये दूकानें हायर पर्चेज बेसिस पर दिलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(२) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पालिका द्वारा हायर पर्चेज पर कोई दूकानें नहीं दी गई हैं।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री पोहूमल ईसरदास: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि दूकान बनाने के लिए कितना ऋण उनको मिला है?

श्री दौलतराम सारण: नगरपरिषद् अजमेर ने सूचित किया है कि दो तरह की दूकानें हैं। पहली दूकानें परिषद् द्वारा ही बनाई गई हैं और किराए पर हैं और दूसरी वे हैं, जिनके बनाने के लिए जमीन लीज पर दी है और दूकानें किराये दारों द्वारा बनाई गई हैं।

श्री पोहूमल ईसरदास: दूकानों पर कितनी कीमत लगी है?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री पोहूमल ईसरदास : किराया क्या वसूल किया जाता है?

श्री दौलतराम सारण : यह भी सूचना नहीं है।

श्री पोहूमल ईसरदास: मेरा कहना है कि ये दूकानें १४००) रु. में बनाई गई हैं। और पुरुषार्थियों से ३५) रु. किराया वसूल किया जाता है। अगर वह लीज पर लेना चाहें, तो आप उनको देंगे क्या?

श्री दौलतराम सारण: यह नगरपालिका क्षेत्र में हैं जैसे वह उचित समझती है, वैसे ही वह करती है।

प्रश्न संख्या १६५

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६६

श्री मांगीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

सिनेमा टिकटों का ब्लैक मार्केट

१६७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर में सिनेमा के टिकटों के ब्लैक मार्केट को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की हुई है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): जयपुर नगर के छवि गृहों (सिनेमाओं) के टिकटों के ब्लैक मार्केट की घटनाओं को रोकने के लिये मुकामी थानों से पुलिस मैन भेजे जाते हैं जो निगरानी रखते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या यह सही नहीं है कि वे पुलिस वाले ही ब्लैक मार्केट में शामिल हो जाते हैं, पुलिस वालों से मिलकर ही ब्लैक मार्केट किया जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऐसा नहीं है।

श्री जयनाराण सालोदिया: मैं उप-मंत्री से बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं कि कुछ आदमियों का गिरोह होता है ब्लैक मार्केट करने वालों का। वे पुलिस वालों से मिलकर ज्यादा टिकट लेते हैं और उनके मार्फत ब्लैक मार्केट होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऐसा नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: ऐसा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप नहीं जानते कि बाढ़ खेत को खा जाती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यहां न बाढ़ है, न खेत है; खाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर): कभी आपने लाइन में टिकट खरीदा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: बहुत समय पहले बी० ए० और एम० ए० तक यही काम किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया: बी० ए० और एम० ए० तक किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपके तो नसीब में ही बी० ए० और एम० ए० नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सरकार ने टिकटों के ब्लैक रोकने के लिए जो व्यवस्था की है, उससे संतुष्ट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: निगरानी रखते हैं कि न हो।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आपके पास क्या कानूनी अधिकारी हैं, इस चीज को रोकने के लिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यही महत्वपूर्ण प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: सिपाही तो रखते हैं, लेकिन वे क्या करें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: सिनेमा एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। हम सोच रहे हैं कि कहां प्रावधान लाएं।

श्री अध्यक्ष: कई राज्यों में विशेष प्रावधान हैं। उनका आप अध्ययन करें। जब तक कानूनी स्थिति नहीं सुधरेगी, आप इस पर

(श्री अध्यक्ष)
काबू नहीं पा सकते, जितना कि आप चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं विभिन्न राज्यों से पता लगाऊंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उधर मन्त्री महोदय कहते थे कि ब्लैक मार्केट का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

ग्रामीण जल योजना

१६८. **श्री मोहनराज (बाली) :** क्या मन्त्री, जन स्वास्थ्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सुमेरपुर पंचायत समिति के ग्राम् चानीद व रानी पंचायत समिति के ग्राम खोड़ व जवाली में पीने के पानी की प्रति वर्ष कमी रहती है और गत वर्ष अकाल के कारण नहर द्वारा व ट्रकों द्वारा इन गांवों को पानी पहुँचाया गया था?

(२) क्या यह सही है कि इन सब कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए जिला परिषद् पाली ने इन ग्रामों की नल जल योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अपना सुझाव सरकार को दिया है?

(३) क्या राज्य सरकार उपरोक्त तीनों ग्रामों की अकाल पीड़ित जनता को पीने के पानी की समुचित एवं शीघ्र व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करेगी?

उप-मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) नलों द्वारा पानी सप्लाई करने की स्कीमें शीघ्र ही तैयार की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

टंगस्टन की खान

१६९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, (भीम) :** क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि डेगाएंे के पास टंगस्टन नामक धातु की खान है?

(२) क्या यह सही है कि यह धातु सुरक्षात्मक कार्यों के लिए तथा आवश्यक सामग्री के लिए बड़ी उपयोगी एवं दुर्लभ धातु है?

(३) यदि हां, तो इस धातु की खुदाई के लिए सरकार की क्या योजना है?

(४) यदि नहीं है, तो क्यों?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) राजस्थान सरकार ने इसकी खुदवाई अपने हाथ में ले ली है और यह कार्य मई १९६५ से शुरू कर दिया गया है। अब कार्य हाथों से किया जा रहा है लेकिन भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ माइन्स की प्रोस्पेक्टिंग

Page No. 24

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जायगी और तब कार्य बड़े पैमाने पर किया जायगा ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसके अन्दर कितना भण्डार उपलब्ध होगा ? आपने डिटेल्ड सर्वे कराया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात यह है कि कितना उपलब्ध होगा, यह प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट आने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उससे कहा जा सकता है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि मई १९६५ से हमने कार्य शुरू किया और १५–२–६६ तक मेरे पास सार है जो १४-१५ टन माल है इसका सेलेक्शन है दो टन प्रति माह के हिसाब से·······

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : प्रति माह या प्रति दिन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो टन प्रति माह ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : सर्वे कब हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पिछले पांच सालों में भारत सरकार के विभाग ने किया था और सर्वे कम्प्लीट हो जाने के बाद ही हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू बढाने की दृष्टि से गत वर्ष शुरू किया था । करीब ३२५–३३० मजदूर इसमें रोजाना काम करते हैं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : सरकार ने पहले क्यों नहीं देखा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ब्यूरो ऑफ माइन्स ने किया, उसके बाद में स्टेट एन्टरप्राइज में तो नहीं, लेकिन विभाग की तरफ से काम शुरू किया है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को जानकारी सेकन्ड वर्ल्ड वार के समय में ही थी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है कि इसकी डिपाजिट्स के सम्बन्ध में उस समय भी जानकारी हो, लेकिन कामर्शियल तरीके से यह हो सकता है या नहीं; इसकी वेल्यू, इसका प्रोडेक्शन कोस्ट वगैरह, ये सारी चीजें जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी तब देखेंगे कि किन चीज की जरूरत रहती है । इसलिए हमने फिलहाल काम शुरू किया है और वह धीरे धीरे बढता जा रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यहां पर काम में ली जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एटॉमिक एनर्जी मिलने से फोरिन एक्सचेंज की बचत होगी । आज जो चीजें इम्पोर्ट करते हैं उनके बजाय अपने यहां ही काम में लेंगे तो इन्डाइरेक्टली इससे फायदा होगा ।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि सेकन्ड वर्ल्ड वार के समय डेवलपमेंट हो रहा था उसके बाद असेम्बली के इस सत्र में ही भारत सरकार से जानकारी मिली, कि इस प्रकार का धातु इम्पोर्ट कर रहे हैं और लाखों रुपये देने पड़ रहे है फिर भी देरी क्यों हुई ?

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : यह सही है कि सेकन्ड वर्ल्ड वार के समय

(श्री हरिदेव जोशी)
जोधपुर स्टेट के जमाने में इस पर काम हुआ था, पुराने कन्स्ट्रक्शन्स भी हैं किन्तु उसके बाद में स्टेट के जमाने में ही यह काम बन्द हो गया था। उसके बाद में विभाग को जब महसूस हुआ तो काम शुरू कर दिया गया। मगर बड़े पैमाने पर काम बढ़ाने के लिए प्रोस्पेक्टिग रिपोर्ट की जरूरत है जिसका इंतजार किया जा रहा है। हमारी प्रोडक्शन को नुकसान नहीं है।

श्री गोविंदसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि इस मैटर का एक्सपोर्ट हो सकता है और फोरिन एक्सचेंज मिल सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : हमारा जितना प्रोडक्शन है, इस देश में ही उसकी जरूरत है; अभी तो बाहर भेजने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती गौरी पूनिया : आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में 'जी हां' कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, यह उपयोगी है लेकिन अभी थोड़ा सा निकालने का काम कर रहे हैं। अब इसको अच्छे पैमाने पर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मशीनरी वगैरह सारी चीज की जरूरत होगी, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार करना होगा और उसके बाद कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ३२५ से ४०० मजदूर रोजाना काम कर रहे हैं। एक आदमी २-४ किलोग्राम्स निकालता है उससे कई टन बनते हैं।

(१२.०० मध्यान्ह)

प्रश्न संख्या १४४

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४५

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४८

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ११० का जवाब दिलाया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १५६ का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

अनुसूचित जाति के थानेदार

१५०. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) [श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस समय अनुसूचित जाति के कुल कितने एस., एच. ओज. पुलिस विभाग में नियुक्त हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी इन लोगों के साथ पक्षपात करते हैं और इन्हें थाना इन्चार्ज नहीं बनाते ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

(श्री रावतराम)

(३) क्या यह सही है कि इन लोगों से जूनियर थानेदारों को थाना इन्चार्ज बनाया गया है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) केवल ४।

(२) जी नहीं। एस. एच. ओ. की नियुक्ति के लिए कोई पक्षपात नहीं बरता जाता है। किसी उप-निरीक्षक को एस. एच. ओ. लगाने के लिए उसकी वरिष्ठता के अतिरिक्त उसकी तफतीशी कार्य-क्षमता तथा थाने के इन्चार्ज पद का अनुभव और योग्यता इत्यादि का ध्यान रखा जाता है, न कि केवल वरिष्ठता का ही।

(३) भाग (२) में दिये गये उत्तर की दृष्टि में इसका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि ये लोग मैट्रिक से भी ऊपर हैं और आप मिडल पास को भी एस. एच. ओ. बना देते हैं, फिर इनको क्यो नहीं बनाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैट्रिक और मिडल, यही बात नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : कई एल. एल. बी. भी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कार्य-क्षमता थाना इन्चार्ज की कार्य क्षमता, योग्यता और इन्टीग्रिटी ये तीन-चार बातें हैं, इनको देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति एस. एच. ओ. के पद का भार उठाने काबिल है या नहीं।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : आपने किसी को भी अभी तक इनमें से इन्चार्ज थाना नहीं बनाया है, किसी को भी एस. एच. ओ. नहीं बनाया है, सी. आई. डी. में और पुलिस में लगा देते है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६ हैं उनमें से चार हैं और बाकी के इम्पोर्टेन्ट पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ज्यों ही वे इन तीन-चार केटेगरीज में आवेंगे उनको इन पदों पर हम लावेंगे। आप इस प्रकार का प्रश्न उठा कर ख्वामख्वाह ऐसी बात क्यों पैदा करते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पुलिस विभाग में तो पक्षपात जैसे होता ही नहीं है।

श्री गोपीलाल गोठवाल : आप कहते हैं कि पक्षपात नहीं है। मैं काफी नाम बता सकता हूं। कहां नहीं है। अलवर में है। बहुत सारे थानेदार हैं, पुलिस स्टेशन पर रहते हैं; 'उनकी' उल्टी-सुलटी शिकायतें करते हैं; उनको किसी भी थाने पर टिकने नहीं देते। एक साल तक तो उनको किसी भी थाने पर नहीं टिकने देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यक्तिगत प्रश्न पर तो मैं अर्ज नहीं कर सकता। सी. आई. डी. में भेजे जाते हैं तो ह्यूमन साइकोलोजी, गतिविधियां आदि बातें देखी जाती हैं। सी. आई. डी. की सर्विस तो बहुत मुश्किल से मिलती है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्रमोशन के सम्बन्ध में पक्षपात तो इतना होता है कि मंत्री महोदय चाहें तो उदयपुर और चित्तौड़ जिले की मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुसूचित जाति तक ही यह सीमित हैं।

Page No. 27

श्री अब्दुल जब्बार : हैड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल मर जाते है, बेचारों को प्रमोशन नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : यहां तो प्रमोशन हुओं को ठीक नहीं लगाते हैं।

श्री गोपीलाल गोठवाल: मंत्री महोदय यह बतायें कि १६५५ के बाद किन अनुसूचित-जाति के लोगों को लगाया गया ? किसी को नहीं लगाया गया। जब कि उसके बाद कई दूसरे लोगों को सब-इन्स्पेक्टर लगा दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सब इन्स्पेक्टर लगाये जाते हैं तो उसके लिए नियम है कमेटी रिक्रूट करती है, जिम्मेदार लोग कमेटी में बैठते हैं। मेरा प्रश्न थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : रिज़र्वेशन का प्रावधान भी है।

श्री गोपीलाल गोठवाल : पास में पंजाब है। वहां पर प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन है। यह सरकार प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन नहीं कर पायी है। सन् १६५५ के बाद एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को एस० एच० ओ० नहीं बनाया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसका पहले सत्र में विस्तृत रूप से जवाब दिया था सार रूप में। क्या कमियां रही हैं, क्या मजबूरियां रही हैं ? यह सब अलग से प्रश्न है। आप-हम बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पिछले वर्षों में सीधी भरती हुई तो वहां रिज़र्वेशन का प्रतिशत पूरा हुआ या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, मैं यह आपको बतला दूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : सारे एस० एच० ओ० सन् ५५ से पहले के हैं। उनको दस साल हो गये हैं। क्या किसी थाने के एस० एच० ओ० बनने लायक वे अब तक नहीं बने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने प्रश्न कर दिया। यह इस प्रश्न की सीमा में नहीं आता है। आपने डिसएबल कर दिया, इस प्रश्न से माननीय अध्यक्ष महोदय को उत्तर पेश कर दूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : कई बार सब-इन्स्पेक्टर्स सस्पेन्ड होते हैं, बीसों ऐसे केसेज़ हमारे सामने हैं, उनको आप लगाते हैं और ये जो काबिल हैं उनको नहीं लगाते हैं, क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है।

श्री मोतीलाल चौधरी : सब को थानों पर रखेंगे क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: वही योग्यता, इन्टीग्रिटी, कार्य-क्षमता आदि को देखकर।

श्री गोपीलाल गोठवाल : एक दो साल के सब-इन्स्पेक्टर्स हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है। फिर भी वे लगे हुए हैं और जो दस साल से काम कर रहे हैं, उनको कोई अनुभव नहीं मानते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: हाइपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, उस स्थिति में नहीं हूं।

श्री गोपीलाल गोठवाल : एक निवेदन करूं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट के नियम हैं;

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

रूल्स बने हुए हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एस० आई० है वह उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से एक ही जगह पर, एक ही डिस्ट्रिक्ट और तहसील में थानेदार लगे हुए हैं; जैसे मदनसिंह थानेदार है, तहसील फागी का रहने वाला है। उसके ट्रान्सफर्स के राजस्थान सरकार ने आॅर्डर्स कर दिये, लेकिन बार बार ट्रान्सफर के आॅर्डर्स केन्सल हो जाते हैं, वह वहां का वहीं रहता है और हरिजनों को निकाल देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आपको जो व्यक्तिगत शिकायत है, उसके लिए सदन का उपयोग न करें; मंत्री महोदय को आप कह सकते हैं। अभी इसका मंत्री महोदय को नोटिस नहीं है।

श्री गोपीलाल गोठवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंन्ट के नियम बने हुए हैं, फिर भी बहुत से लोग इस प्रकार रह रहे हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का तो ट्रान्सफर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १५६।

अवैध रूप से घुसे पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी

१५६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर) [श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) के द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत कुछ दिनों में राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की, जो अवैध रूप से राज्य में निवास कर रहे थे, धर-पकड़ की गई? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति कहां कहां और कब कब पकड़े गए?

(२) इन व्यक्तियों में से कितनों को पाकिस्तान भेज दिया गया और कितने अभी तक यहां पर हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चालू है?

(३) राज्य सरकार ने राज्य में अवैध रूप से बसे हुए इन पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने तथा उन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए क्या विशेष कदम उठाये हैं?

(४) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि राज्य में पाकिस्तानी गुप्तचरों की कार्यवाहियां अनेक स्थानों पर चालू हैं? यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केन्द्र से सम्बन्धित है। इसलिये मैंने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उत्तर इसका देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ये गिरफ्तारियां सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट की पुलिस ने की हैं या राजस्थान की पुलिस ने की हैं? कितने लोगों को सरकार ने पकड़ा? आप कहते हैं कि मामला केन्द्र से सम्बन्धित है, इसलिये इस असेम्बली में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। पर मेरा प्रश्न तो यह है कि राजस्थान पुलिस ने चूंकि गिरफ्तारियां की हैं इसलिये यह जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि कितनों को गिरफ्तार किया? अब क्यों किया, अगर यह पूछता हूं तो आप केन्द्र की बात कह सकते हैं। पर कितनों को

(श्री भैरोंसिंह)
गिरफ्तार किया ? कितनों को आपने पाकिस्तान भेज दिया, कितनों को छोड़ दिया, यह तो बता सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, अध्यक्ष महोदय। मैं आगे चलकर इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहूंगा इसलिये निवेदन कर चुका हूं कि चूंकि यह सेन्ट्रल सबजेक्ट है, मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं और इसलिये मैंने पहले निवेदन प्रस्तुत किया है कि मुझ से इसका उत्तर न दिलाया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह जानकारी क्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक अपने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भी राजस्थान में रह रहे हैं या पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और बिना किसी पासपोर्ट के भी कितने पाकिस्तानी हैं, कितने पकड़े गये, कितनों को आपने सजा दी या यहां से पाकिस्तान भेज दिया या कितने स्वयं भाग गये। क्या राजस्थान सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन के प्रांगण का प्रश्न है। यहां पर यह सब बताने में मेरी मजबूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विधान सभा को यह पूरा अधिकार है कि वास्तव में क्या स्थिति है इस बारे में यह जान सके।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है साहब, १६६।

श्री गोपालवाडी कालोनी

१६६. **श्री मांगीलाल रिणवा** (रायपुर) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर शहर में गोपालवाड़ी कॉलोनी सेठ रामेश्वर लाल सहरिया, निवासी कालाडेरा ने सरकार की इजाजत से बसाई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कोलोनी बसाने की मन्जूरी देते समय स्वायत्त शासन विभाग ने यह शर्त रखी थी कि उपरोक्त व्यक्ति डामर की सड़कें बनायेगा और सड़क के दोनों तरफ पक्की नालियां बनायेगा ?

(३) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त कोलोनी में अभी तक कोई सड़क नहीं बनाई है और पूरी सड़के डामर की नहीं बनी हैं और नालियां बिलकुल ही नहीं बनी हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी न करने के बावजूद भी उसके द्वारा बसाई गई हथरोई कोलोनी को सरकार ने मन्जूर कर दिया है ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति ने ऊपर लिखित दोनों कोलोनीज़ के प्लॉटों की बिक्री का पैसा अपने पास रखा है, सरकार को कुछ भी नहीं दिया है और निर्धारित शर्तों को भी पूरा नहीं किया है ?

(६) क्या सरकार गोपालवाड़ी कोलोनी की शर्तों को पूरा करवाने के लिये हथरोई कोलोनी की मंजूरी रद्द करके और उन कोलोनीज़ में तामीर का काम बन्द करके

(श्री मांगीलाल रिणवा)
गोपालवाड़ी कॉलोनी की शर्तों को पूरा करवाने के लिये उपरोक्त व्यक्ति को बाध्य करेंगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस कॉलोनी में लगभग सब ही सड़कों का निर्माण हो चुका है किन्तु नालियां नहीं बनी हैं, डामर भी नहीं पड़ा है।

(४) यह सही है कि हथरोई योजना की स्वीकृति गोपालवाड़ी योजना के पूर्ण होने से पहले देदी गई थी, क्योंकि गोपालवाड़ी योजना के निर्माण का कार्य इस दौरान में चल रहा था।

(५) चूंकि यह एक निजी योजना थी इसलिये सरकार को कुछ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्धारित शर्तों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में जब इकरारनामे भरने की कार्यवाही अन्तिम रूप में थी, कॉलोनाइजर श्री सहरिया का स्वर्गवास हो गया।

(६) गोपालबाड़ी व हथरोई दोनों अलग अलग योजनाएं हैं जो अलग अलग समय में स्वीकृत हुई हैं, अतः एक का सम्बन्ध दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिन सड़कों का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, उनको पी. डब्ल्यू. डी. ने बनाया है, न कि कॉलोनाइजर ने ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सही है। सिचुएशन ऐसी हुई कि यह कॉलोनाइजेशन की स्कीम सहरिया ने बनाई और उसने प्लॉट बेचना शुरू किया। इस दौरान में कन्ट्राक्ट इस सबका उनके साथ कराया जा रहा था कि उनका देहान्त हो गया। इसके बाद वह कन्ट्राक्ट करा नहीं पाये। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह कन्ट्राक्ट उनके सक्सेसर से पूरा कराया जाय।

अब लोगों को इस दर्मियान परेशानी हुई, इसलिये पी. डब्ल्यू. डी. के सहयोग से ये सड़कें बनाई गईं और कोशिश यह कर रहे हैं कि सक्सेसर से पैसा सड़कों का वसूल किया जाय और ये सड़कें पूरी कराई जायं।

इसके लिये जरूरत पड़ने पर हम लॉ कोर्ट में भी जावेंगे। मेरी निजी राय यह है कि हमें जाने के लिये काफी वजहात हैं जो हमारे फेवर में हैं।

श्री भैरोंसिह : सहरिया को बिना नोटिस दिये ही ये सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. से बनाई गई हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : उनकी डेथ हो गई। हमने उनके सक्सेसर को लिखा। उनका कोई जवाब नहीं आया। हमें अधिकार था कि हम सड़कें बनवा सकते हैं तो लोगों की परेशानी को देखते हुए हमने पी. डब्लू. डी. से बनवाई।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न साफ और सीधा है; परेशान थी जनता, सहरिया का स्वर्गवास हो गया, आप उनके पहले कन्ट्राक्ट नहीं करा पाये, स्वीकृति आपने भले ही पहले दे दी हो। मेरा प्रश्न है कि आपने जो एग्रीमेंट किया है उनके अनुसार जितना डेवलपमेंट का काम करना चाहिये वह जब उसने नहीं किया तो आपने एग्रीमेन्ट के अनुसार नोटिस क्यों नहीं दिया ? बिना नोटिस दिये ही आपने काम क्यों चालू करवाया ?

श्री बरकतुल्ला खां : एग्रीमेन्ट जैसा मैंने निवेदन किया, हुआ ही नहीं; एग्रीमेन्ट कराने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। हुआ क्या, सारे फैक्ट्स बताता हूं। काफी मिस-अन्डरस्टेन्डिंग इसमें है। मैं उसे साफ कर देता हूं। १२ जनवरी, ५७ को यह जमीन एक्वायर करने के लिये गवर्नमेन्ट को लिखा गया। श्री सहरिया ने १४ दिसम्बर, ५९ को यह लिखा कि यह जमीन हिज़ हाईनैस से उसने खरीद ली है इसलिये वह इस जमीन को बेच रहे हैं और वे इसका डेवलपमेन्ट भी करना चाहते हैं। २९ जुलाई, ६० में एक्वीज़ीशन की प्रोसीडिंग्ज विथ्ड्रा कर ली गईं।

इसके बाद सरकार ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को लिखा कि यह डेवलपमेन्ट करने के लिये पार्टी तैयार है; तो इस तरह का एक कन्ट्राक्ट उनसे किया जाय। इसके लिये हमने बाकायदा कन्ट्राक्ट के ड्राफ्ट की रूप-रेखा बनाकर दी। वे बिजली के लिये खम्भों का प्रोवीजन रखेंगे, पानी के लिये व्यवस्था करेंगे, सड़कें, बनावेंगे और इस तरह से यह सारा कन्ट्राक्ट होगा। इसी दौरान में उनकी डैथ हो गई। इसके बाद उनके जो सक्सेसर थे, उनका पता लगाने में समय लगा। काफी देर बाद पता लगा कि उनके सक्सेसर कौन हैं। कई बार तक तो जवाब नहीं आया। हमने सक्सेसर को लिखा, पर उनका जवाब नहीं आया। गवर्नमेन्ट अब यह सोच रही है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन जो लिया जा सकता हो वह लिया जाय। इस बीच कुछ सड़कें बनानी थीं, जिनके कारण लोग तकलीफ पा रहे थे तो उनको बनाया हमने कुछ को। इसके लिये ८ हजार रुपये ट्रस्ट में सहरियों ने जमा भी कराये थे।

श्री भैरोंसिंह : ट्रस्ट ने, जिन प्लॉटों को सहरियाजी ने सेल किया, उन पर मकान की अनुमति किस कन्ट्राक्ट के आधार पर दी फिर।

श्री बरकतुल्लाखां : सरकार ने जो ऑर्डर दिया, उसमें लिखा गया कि इस तरह से बस्ती का डेवलपमेन्ट श्री सहरिया करावेंगे, इस तरह से सड़कें बनावेंगे और इसी कन्डीशन पर परमिशन दी थी। पर कन्ट्राक्ट ड्रॉ हुआ इससे पहले उनकी डैथ हो गई। इसलिये ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता अब नहीं रह गई। सरकार इस बारे में लीगल ओपीनीयिन लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता तो इसलिये है कि सरकार अपनी कास्ट पर पी. डब्ल्यू. डी. से सड़कें वगैरह बनवा कर डेवलपमेन्ट का काम करा रही है। अब चूंकि कन्ट्राक्ट पहले हुआ नहीं, तो इसलिये प्लॉट जिसने बेचे हैं, उस पर लीगल लाएबिलिटी आती नहीं। सरकार ही सब खर्चा पे करेगी। सरकार ने शुरू में एक्वीज़ीशन का नोटिस दिया, एक्वीज़ीशन के सेक्शन १७ के नोटिस सबके पास चले गये। उस समय सहरिया ने सरकार को एप्रोच किया। वहां से जमीन रिलीज़ कराई। काफी कीमतें लेकर ऊंचे से ऊंचे भाव पर प्लॉट बेचे उसने। यह कह कर कि वह इस तरह की कन्डीशनें फुलफिल करेगा। पर वह सब कुछ नहीं हुआ, समझदारी तो उसकी इतनी थी कि स्वयं कन्ट्राक्ट में नहीं बंधा, और बिना कन्ट्राक्ट किये ही, उसने आपसे पर्मिशन ले ली, मकान बनाने की मन्जूरी आपने दे दी। अब आप कहते हैं कि कन्ट्राक्ट करावेंगे,

(श्री भैरोंसिंह)
ऐसी सूरत में अब उस पर कोई लीगल लाए-बिलिटी नहीं बनती। आपको इस खर्चे में डेवलपमेंन्ट के लिये एक पैसा उस पार्टी से नहीं मिल सकता। लीगल पोजीशन तो यह है। जब आपने इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट को ऑर्डर दिया कि कन्ट्राक्ट लिखवा कर फिर जमीन उसे अलॉट करें। और मकान बनाने की सारी मंजूरी की कार्यवाही बाद में करें; पर बिना कन्ट्राक्ट किये ही आपने मजूरी दी मकान बनवाने की; जिन-जिन ने प्लॉट लिये थे। तो इस तरह से सरकार का ऑर्डर नहीं मानने के लिये ट्रस्ट के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री बरकतुल्ला खाँ : १२ अक्टूबर, ६० को लिखा कि यह सारी कण्डीशन के साथ पार्टी के साथ कन्ट्राक्ट ड्रॉ कर लीजिये। सहरिया ने सरकार को एश्योर किया कि वह करेगा। कन्ट्राक्ट सिग्नेचर के लिए भी भेज दिया गया। पर इसी बीच सहरिया का देहान्त हो गया। उनके सक्सेसर को लिखा जवाब उनका नहीं आया। जयपुर में वे रहते नहीं। कलकत्ता में रहते हैं। अब सरकार सोच रही है कि सहरिया के सक्सेसर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कन्ट्राक्ट आपने कराया नहीं और अब लीगल एक्शन की बात करते है, बिना कन्ट्राक्ट आपने मकान बनाने की परमिशन दे दी, पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत डेवलपमेन्ट का काम सरकार अपने खर्चे से करा रही है, काफी सड़कों का काम सरकार ने करा दिया। फिर किस हिसाब से सरकार यह पैसा वसूल कर पावेगी।

अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या यह सरकार की पॉलिसी है कि गवर्नमेन्ट लैंड के सिवाय प्राइवेट लैंड को इस तरह से प्लॉट बेचने और डेवलप करने की स्वीकृति प्राइवेट पार्टी को सरकार देती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने ६२ में चार्ज लिया और तब से यह पॉलिसी रक्खी है कि प्राइवेट पार्टियों को इस तरह से स्वीकृति न दी जाय। इस बारे में हमारे अनुभव बड़े कटु रहे हैं। जहां जहां इस तरह की स्वीकृति दी गई है, मेरी राय है निजी तौर से कि प्राइवेट कोलोनाइज़ेशन को प्रोत्साहन न दिया जाय, उनसे प्लॉट नहीं बिकवाये जावें। उसे एक्वायर करके सरकार अपनी रेट पर ही बेचे और स्वयं ही उसे डेवलप करावे। इससे सरकार रेट पर भी कन्ट्रोल कर सकेगी; नहीं तो प्राइवेट कोलोनाइज़ेशन में तो छोटे लोगों को स्थान ही नहीं मिल सकता। हमारी पॉलिसी है कि इस तरह के कोलोनाइजेशन में मिडल और लोअर ग्रुप दोनों को एडजस्ट किया जाय। इसलिये सरकार कुछ ऑक्शन करती है. कुछ फिक्स्ड रेट पर मिडलमैन को देती है पर प्राइवेट कॉलोनाइज़र तो अपने इन्टरेस्ट में सारे के सारे प्लॉट ऑक्शन करेगा। सरकार ऑक्शन भी रखती है और अलॉटमेन्ट भी करती है। इसलिये सरकार इस तरह की प्राइवेट कोलोनाइज़ेशन के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार प्राइवेट कोलोनाइज़ेशन के खिलाफ कब से है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सन् ६२ से यह तय किया है कि प्राइवेट कोलोनाइज़ेशन को प्रोत्साहन न दिया जाय, हम स्वयं सारे लैंड को एक्वायर करेंगे और जो इम्प्रूवमेन्ट होगा वह ट्रस्ट करेगा।

(श्री बरकतुल्ला खां)

चालू स्कीम में ६३ में सरकार की ओर से इस प्रकार का उत्तर दिया गया था वह इस पॉलिसी के खिलाफ है। डेफीनेटली तो मैं नहीं कह सकता पर ५८ में बनी थी, उस समय खिलाफ थी सरकार यह बता रहा हूं।

जहां तक मुझे याद है यह स्कीम सन् ५६ में या ६० में हुई थी। गुलाबबाड़ी ६० में हुई और हथरोई ६१ में हुई है। इसके बाद से कभी भी प्राइवेट कोलोनाइजेशन को सरकार ने एन्करेज नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : फिर ६२ में यह कैसे हो गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : १२ अप्रेल, ६० बताया था मैंने।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार यह नहीं समझती कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कन्ट्राक्ट पहले नहीं करके स्वीकृति देकर गलती की।

श्री बरकतुल्ला खां : वह कन्ट्राक्ट करा रही थी कि उनका देहान्त हो गया।

श्री भैरोंसिंह : आपके आदेश का पालन नहीं करके पहले ही ट्रस्ट ने मकान बनाने की स्वीकृति दे दी, कन्ट्राक्ट होने से पहले ही तो इसके लिये ट्रस्ट के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने की नीयत है या नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो कन्ट्राक्ट के लिये कहा कि उन्होंने दस्तखतों के लिये भेजा। इस दौरान जमीन बेच दी।

श्री भैरोंसिंह : आप मेन पोइन्ट को इवेड क्यों करते हैं ? आप कह दीजिये कि आप के ऑर्डर की तामील उसने की थी।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार के हुक्म की तामील करने जा रहा था कि उनका देहान्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : जब तक कन्ट्राक्ट की शर्तें पूरी नहीं हुई, उससे पहले अगर आप स्वीकृति नहीं देते तो प्लॉट बेच नहीं सकता था वह, और बेच भी दिया तो आपकी स्वीकृति के बिना मकान बना नहीं सकते थे।

श्री बरकतुल्ला खां : एक्वीजीशन का नोटिस विद्ड्रॉ किया, उस वक्त जमीन बेच दी थी और लोगों ने खरीद भी ली थीं। कुछ प्लॉट बाद में खरीदे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे गैर-कानूनी हैं अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो।

श्री भैरोंसिंह : अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से बात होने से पहले ही बेच दी थी यह है क्या आपका मतलब ?

श्री बरकतुल्ला खां : मेरी जानकारी के हिसाब से तो यही हुआ था। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि एच. एच. से खरीदी है उसने तो वह उसका डेवलपमेन्ट करेंगे और डेवलपमेन्ट का खर्चा भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उन सेल को रिकग्नॉइज नहीं करते तो आपस में लड़कर झगड़ कर कुछ तो तय कर लेते। अब चूंकि कन्ट्राक्ट नहीं हुआ तो इसलिये कानून का ब्रीच हुआ, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : सब्जेक्ट टू दैट कन्डीशन आपने किया है तो इससे आप खर्चा वसूल कैसे कर सकते हैं। यह गलत भी हो सकता है। जिन्होंने जमीनें खरीदीं उनको परमिशन आपने मकान बनाने की दी, यह क्यों दी ? अब वे क्यों परेशान हों, सहरिया ने अगर कन्डीशन फुलफिल नहीं की है तो ?

श्री अध्यक्ष : यह तो उनको सोचना था कि जो चीज वे खरीद रहे हैं उसके लिये सरकार से परमिशन मिली है या नहीं। तो खतरा मोल लेकर उन्होंने भी खरीदी है।

श्री भैरोंसिंह : उनके पास तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चिट्ठियां हैं कि वे मकान बना सकते हैं। कन्डीशन वे फुलफिल सहरियाजी से करा लेंगे। तो उनकी गलती कहां है ?

इसकी तो सारी की जांच होनी चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके लिये तैयार हूं अध्यक्ष महोदय।

आप जो नाम सजेस्ट करें, उसी से करवा लें।

श्री भैरोंसिंह : आप जो कह रहे हैं कि लोगों की डिमाण्ड पर डेवलपमेंट आपने कराया. यह भी तथ्य नहीं है। एक व्यक्ति के यहां शादी थी इसलिये आपने सड़कों की मरम्मत कराई। जिधर से मोटरें निकल सकतीं थीं, उनको आपने ठीक कराया और सड़कों को उसके लिये आपने इतना चौड़ा कराया कि बिजली के खम्भे भी उसके बीच में आ गये। इतना चौड़ा कराया है। गोगालवाड़ी में जिनके यहां शादी थी, उनको पी. डब्ल्यू. डी. को ओब्लाइज करना था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(कृपया शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय विभागों के कार्यकरण का समय

१४४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार राजकीय विभागों के वर्तमान कार्यकरण के समय में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

काश्तकारों की कठिनाई

१४५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल के समीप दक्षिण की ओर बानगंगा नदी के पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया है उसका पानी फसल बोने व ढोने के समय निकाले जाने के कारण काश्तकारों को बड़ी कठिनाई हो जाती है तथा आवागमन के साधन भी बन्द हो जाते हैं ?

(२) क्या यह सही कि इस सम्बन्धी निवेदन सरकार को किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में ऐसी

(श्री लक्ष्मीचन्द)
व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे काश्तकारों को नुकसान व कठिनाई न हो ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ऐसा कोई बांध नहीं बनाया गया है। मांगरोल के दक्षिण में दांई मुख्य नहर पर एक ऐस्केप अवश्य बनाया है। जिससे कभी कभी कुछ असुविधाएं हो जाती हैं।

(२) जी हां, कठिनाई का निवारण विचाराधीन है।

व्यापारियों द्वारा सूची न टांगे जाने पर चालान

१४८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला जालोर की सांचोर तहसील के कितने व्यापारियों के सूची न टांगने के कारण व धान के व्यापार के सम्बन्ध में फूड ग्रेन लाइसेन्सिग ऑर्डर लागू होने के बाद चालान एस. डी. ओ., जालोर की अदालत में पेश किए ?

(२) उनमें से कितने मामलों में सजा दी गई और कितने दोषी बरी किये गये ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि कई मुकदमों में यह लिखा गया है कि तहसीलदार ने चालान पेश किया मगर वह दुकान पर गया नहीं वह गलत पेश किया गया है ? यदि हां तो गलत चालान पेश करने के विषय में तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) सांचोर तहसील के चालान पेश हुए जिसमें २५ व्यक्ति दोषी थे।

(२) ६ मुकदमों में १३ दोषियों को सजा दी गई, ४ मुकदमों में १० दोषी बरी हुए और १ मुकद्मा २ मुलजिम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(३) जी नहीं।

भीलवाड़ा नगरपालिका के प्रशासक को एलाउन्स

१५२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाडा की वर्तमान नगरपालिका के चुनावों में पहले वहां किन्हीं गैर-सरकारी सज्जन को नगरपालिका प्रशासक नियुक्त किया था ? यदि हां, तो किन को और कौनसी तारीख से कौनसी तारीख तक ?

(२) क्या यह सही है कि इनको प्रशासक की हैसियत से काम करने का २५०) रु० (ढाई सौ रुपया) माहवार एलाउन्स दिया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी रकम कौनसी तारीख को चुकाई गई ? क्या इस रकम को चुकाने की स्वीकृति नगरपालिका से ली गई थी ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को ?

उत्तर

(१) जी हां, श्री चेनसुख अजमेरा जो भूतपूर्व बोर्ड में अध्यक्ष थे उनको दिनांक १-२-६२ से राज्य सरकार द्वारा प्रशासक

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

नियुक्त किये गये थे और श्री चेनसुख इस पद पर दिनांक ३-१२-६१ तक रहे थे।

(२) जी हां, श्री चेनसुख को इस प्रशासक कार्य का ऑनरेरियम रु० २५०) मासिक दिया गया है और इस अलाउन्स की राशि दिनांक ९-२-६२ से ३-१२-६१ तक रु० ५४५२.७६ पै० ता० ५-५-६५ को चुकाए गये हैं। श्री चेनसुख ने इसका ऑनरेरियम दिलाने की स्वीकृति राज्यादेश सं० एफ. १८(सी २६) डी.एल.बी ६५।१०५६६ ता० ३-५-६५ प्रदान की गई और तदनुसार चुकारा किया गया है।

लसाड़िया प्रोजेक्ट से सिंचाई

१५८. श्री चौथमल शर्मा(भिनाय सु०): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अजमेर जिला स्थित लसाड़िया प्रोजेक्ट बनाने का सरकार ने निश्चय किया? अगर हां, तो उसका कार्य सरकार कब प्रारम्भ करने जा रही है और उसमें सरकार ने कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है?

(२) उक्त प्रोजेक्ट से किन किन ग्रामों में कितनी जमीन की सिंचाई होगी?

उत्तर

(१) जी हां, किन्तु संकटकालीन स्थिति के कारण इस योजना के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में तथा १९६६-६७ के वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं रखा जा सका। योजना पर लगभग २०.०० लाख रु० खर्च होने का अनुमान है।

(२) इस योजना के अन्तर्गत ग्रामवार सिंचाई इस प्रकार होगी:—

१	लसाड़िया	३०० एकड़
२	जक बुनियां	४० एकड़
३	जूनिया	२२ एकड़
४	चबरिया	२१३ एकड़
५	देवलिया खुर्द	७५२ एकड़
६	बघेरा	३२२६ एकड़

बनास-पिलानी योजना

१६०. श्री अमरसिंह (टूटू): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर रियासत के जमाने में एक बनास-पिलानी योजना सिंचाई व बिजली उत्पादन के वास्ते बनी थी?

(२) क्या बनास नदी से जयपुर जिले को पानी देने की योजना को सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

उत्तर

(१) जी हां, भूतपूर्व जयपुर रियासत एवं मेवाड़ स्टेट ने मिल कर एक ऐसी योजना बनाई थी।

(२) जी हां, यदि तकनीक दृष्टि से ऐसा सम्भव हो सका और उचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सका।

राजस्थान पुलिस रेगुलेशन्स

१६२. श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भीमसैन)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस रेगुलेशन्स, १९५१ राजस्थान हाई-कोर्ट द्वारा अवैधानिक घोषित किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या राज्य सरकार ने नये पुलिस रेगुलेशन्स तैयार करके लागू कर दिये हैं ? अगर हां, तो उक्त रेगुलेशन्स की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) राजस्थान पुलिस रेगुलेशन, १९४८ (न कि १९५१) के समस्त प्रावधानों को राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित नहीं किया । केवल यह निर्णय दिया कि यह रेगुलेशन प्रशासनिक आज्ञा के रूप में है और सी. सी. ए. रूल्स जो विधान के Article ३०९ के तहत हैं, उनको निरस्त नहीं कर सकते ।

(२) नये पुलिस रेगुलेशन्स का भाग नं० ३ तैयार कर राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक दिनांक १८-१०-६५ में प्रकाशित कर दिया गया है ।

काश्तकारों को परेशानी

१६५. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि काश्तकार भी नियमानुसार २० क्विन्टल से ज्यादा गेहूं बिना डिक्लेरेशन दिये अपने पास नहीं रख सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम से काश्तकारों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इसमें संशोधन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, राज्य सरकार आने वाली गेहूं की फसल व आमद को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रोजेनी ऑरचार्ड से आय

३०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा के नगर परिषद् क्षेत्र में प्रोजेनी ऑरचार्ड बना हुआ है ? अगर हां, तो वह कब बना व उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(२) उक्त ऑरचार्ड से कितनी आय हुई तथा इस समय वह किस स्थिति में है ?

उत्तर

(१) जी हां । यह सन् १९६३-६४ में स्थापित किया गया । खर्चा व आमदनी की तालिका संलग्न है ।

(२) आय का प्रश्न अभी नहीं उठता, क्योंकि इसमें कलमी आम, कागजी नींबू, नारंगी, चीकू व अन्य जो फलदार पौधे लगाए हैं वे सन् १९६८ तक फल देंगे ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

भीनमाल सब-डिवीजन के पुलिस थानों में हत्याओं आदि के मामले

३१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर के भीनमाल सब-डिवीजन के पुलिस थानों में १९६५ में किस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
किस थाने में कितने हत्याओं के व कितने नाक कान काटने के मामले हुए ?

(२) उन मामलों में से कितने मुकदमों का चालान पेश किया गया ?

उत्तर

(१) जिला जालोर के भीनमाल सब-डिवीजन के पुलिस थानों में सन् १९६५ में इस प्रकार हत्या तथा नाक-कान काटने के अपराध दर्ज हुए :—

नाम थाना	हत्या	नाक-कान काटना
(अ) सरवाना	४	१
(ब) भीनमाल	२	–
(स) सांचोर	२	–
(द) बागोदा	३	–
(ई) मौदरां	२	२

(२) इनमें से ५ हत्या के तथा ३ नाक-कान काटने के मामलों का चालान किया जा सका है।

थाना निवाई क्षेत्र में चोरियों के मामले

१२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) थाना निवाई के क्षेत्र में सन् ६३-६४ व ६४-६५ में कुल कितनी चोरियां हुईं ?

(२) उन चोरियों में से कितनी बरामद हुईं ?

(३) चोरी के उक्त मामलों में से कितने केस अदालत में चालान किये गये व उनमें से कितने केसेज में मुलजिम बरी हुए व कितने केसेज में सजा हुई ?

उत्तर

(१) थाना निवाई में सन् ६३-६४ व ६४-६५ में क्रमशः २६ व २७ चोरियां हुईं।

(२) छब्बीस।

(३) २६ का ही चालान किया गया जिनमें से ७ में सजा हुई तथा ५ में राजीनामा से बरी हुये।

बनास नदी पर बीसलपुर प्रोजेक्ट

३३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बनास नदी पर बीसलपुर प्रोजेक्ट सरकार के विचाराधीन है ?

(२) प्रोजेक्ट का काम कब शुरू होगा ? क्या सर्वे का काम पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

(३) कितने गांव इसकी डूब में आवेंगे ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? कुल कितनी भूमि डूब में आवेगी ?

(४) इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी होगी ? इससे कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(२) कार्य आरम्भ करने के लिए अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। विभागीय सर्वे सन् ५९ में की गई थी तथा अब विस्तृत सर्वे और किया जायेगा।

(३) ११ ग्राम डूब में आवेंगे तथा २१ अन्य गांवों की भूमि का कुछ भाग डूब में आवेगा। ग्रामों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कुल मिलाकर लगभग १४००० एकड़ भूमि डूब में आवेगी।

(४) इसकी अनुमानित लागत दस करोड़ रुपये है एवं लगभग १।। से २ लाख एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई संभव होगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बागोलिया बांध

३४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार मावली तहसील में बागोलिया बांध में किसी नई योजना द्वारा किसी नदी या केनाल से पानी लाकर डालने की बात सोच रही है?

(२) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा और कहां से पानी लाया जायेगा?

(३) क्या यह सही है कि बागोलया बांध कई वर्षों से पूरा नहीं भरा है?

(४) बागोलिया बांध से कितनी लम्बी केनाल्स सिंचाई के लिए बनाई गई हैं और वे कौन कौन से गांवों में जाती हैं?

(५) क्या यह सही है कि मावली ब्लॉक के पास कई जगह जहां नहर खुदी हुई थी उसको ढक दी गई है या वह बन्द हो गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) बागोलिया बांध से सिंचाई के लिए ३० मील लम्बी नहर बनाई हुई है और ग्राम सालेरा, मावली गायरा वास भीणाखेड़ा फतहपुरा बसन्तपुरा राक्षमी गन्दोलीखेड़ा खेतपुरा लद्दाणा अमृतपुरा तथा लौ-पड़ा आदि में होकर जाती है।

(५) जी हां, मावली माइनर के टेल के कुछ भाग को काश्तकारों ने अवश्य बन्द कर दिया है क्योंकि यह भाग कुछ तकनीकी कारणवश कुछ समय से काम में नहीं लिया जा सका था।

ठेलों की संख्या

३५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नगर परिषद् क्षेत्र जयपुर में आदमी द्वारा खींचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के ठेलों की संख्या क्या है? अलग अलग प्रकार के ठेलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हाथ ठेलिया (दो पहिये की) १,९९६

Page No. 40

(स्वायत्त शासन मंत्री)
वर्ष ६५-६६ में लाइसेन्स प्राप्त। फेरी वाले ठेले (चार पहिए वाले) १,९१० वर्ष ६५-६६ में लाइसेन्स प्राप्त।

(१२.२५ म. प.)

वित्त मंत्री महोदय सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तक पर हुई कार्यवाही विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है।

श्री अध्यक्ष : उसकी नकल भेज दी है सरकार के पास।

श्री भैरोंसिंह : पर अध्यक्ष महोदय, वह बड़ा जरूरी है। सरकार अगर शाम तक जवाब देदे तो मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं वरना मामला बड़ा अहम् है। अगर मंत्री महोदय शाम तक सारी जानकारी ले लें और आप अगर आदेश देगें तो शाम तक वे जानकारी ले लेंगे और हाउस एडजोर्न हो, उस से पहले वे जवाब दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): जानकारी की तो आवश्यकता है। इसमें उन्होंने दो-तीन चीजें रखी हैं। मैं १३ तक उत्तर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी का सवाल पूछा, उसके साथ कितनी दुर्घटनाएं होंगी तब तक। आप केस बता दें हाउस को। कनविंस कर दें कि केस ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर इसमें कोई अनियमितता हो रही है केस में तो आप संकेत कर दें। ध्यान रखेंगे वे उनका और फिर प्रस्ताव को आगे रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन की जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि एक कैलाश वर्णवाल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : निराकरण और उसका संकेत दोनों ये ही कर दें ताकि एडजोर्नमेन्ट मोशन पूरा हो जावे।

श्री भैरोंसिंह : 'राजस्थान के भ्रष्ट वित्त मन्त्री' नामक पुस्तक कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित हुई है। उसके लेखक हैं श्री कैलाश वर्णवाल। यह पुस्तिका कांग्रेस अधिवेशन के समय बांटी गई और डी. आई. जी., सी. आई. डी. ने एक लेटर अजमेर के एस. पी. को लिखा। १२ तारीख को यह पुस्तिका बंटी. मैं मानता हूं कि इससे कौल साहब की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ होगा निश्चित रूप से क्योंकि यह पुस्तिका उस समय बंटी जब मुख्य मन्त्री बनने का वे स्वप्न ले रहे थे। उनका स्वप्न भंग हुआ यह स्वाभाविक है और इस लिए इस पुस्तक के लेखक से बदला लेने की भावना भी होना स्वाभाविक और निश्चित थी।

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अजमेर को जो पत्र लिखा उसको मैं यहां पढ़ देता हूं :

To,

The Superintendent of Police,
Ajmer District.

"Enclosing herewith a copy of the letter from Shri Kesri Chand Choudhary, General Secretary of Ajmer City Congress Committee,

Page No. 41

(श्री भैरोंसिह)

and Member, Rajasthan Provincial Congress Committee..."

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, ये जो तथ्य दे रहे हैं, अच्छा हो वे उन्हें मुझे दे दें आउट साइड दी हाउस नही तो रिपीटीशन ऑफ दी एडजोर्नमेन्ट मोशन यह हो जायगा। आज भी हो जावेगा और जब मैं जवाब दूंगा तब और हो जावेगा। अभी दे दें ताकि फिर मैं दुबारा नहीं बोलूंगा उनको।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया है कि माननीय सदस्य की मंशा यह है कि ऐसी कोई बात हो रही है जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो तो वे कर दें। मामला फिर यहीं समाप्त माना जावेगा।

श्री भैरोंसिह : जनरल सेक्रेटरी, अजमेर कांग्रेस कमेटी, और मेम्बर, राजस्थान पी. सी. सी. के द्वारा उनको शिकायत मिली है। उसके लिए लिखा है—

"It is requested that the allegations against Shri Kailash Burnwal should be enquired into through Sub-Inspector and results be sent to this office.

Besides, your comments may also please be sent along with the above."

यह पुस्तिका १२ तारीख को डिस्ट्रिब्यूट हुई और १३ तारीख को लेटर लिखा गया। पुलिस ने फिर एक्शन लिया। एक साल पहले ४२० का केस रजिस्टर हुआ था श्री कैलाश बर्णवाल के खिलाफ जो कि साप्ताहिक राष्ट्र-वाणी के सम्पादक भी हैं, उस केस पर फाइनल रिपोर्ट भी दे दी गई थी। केस वह उस वक्त समाप्त समझा गया था। पर इसके लिए सीधे मान-हानि के मामले में कोर्ट में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस के मार्फत मामला निपटाने की कोशिश की गई और लिखा गया। अब नये एस० आई० जाते हैं और कहते हैं कि इन-इन कागजों की उनको जरूरत है। वह लेटर मेरे पास है। उसको यहां पढ़ कर मैं समय नहीं लेना चाहता यों पुलिस की कस्टडी में था, यह पुराना केस था, जो उसी वक्त जांच होकर बन्द कर दिया गया था। पर फिर पुलिस आई। घर पर गई। बच्चों को, औरतों को तंग किया गया और कल सुबह पकड़ कर उनको थाने में बिठा दिया। उन्होने वकील को इत्तला दी। वकील कोर्ट में गया। वहां बुलाया गया तो थानेदार ने कहा कि वह हमारी कस्टडी में नहीं हैं। पर आज उसके पीछे ये सब पड़े हैं। यह सब काण्ड है।

कौल साहब की हिम्मत थी तो इस पुस्तिका को लेकर लेखक के खिलाफ सिविल सूट दायर करते। डिफेमेशन का केस दायर करते। पर जिसने पुस्तक लिखी है, उसके तथ्य गलत नहीं हैं। इसलिए न सरकार की हिम्मत है न कौल साहब की हिम्मत है कि इसे कोर्ट में ले जायं। इसलिए यह रास्ता उसको तंग करने का निकाला है कि पुलिस के द्वारा उसे इसका सबक सिखाया जाय।

कोई भी पुस्तिका लिखने का किसी को भी अधिकार है; संवैधानिक अधिकार है। लिखने का, प्रकाशन करने का संवैधानिक

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकार है । अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करने का अथवा उस ओपीनियन को पुस्तिका के रूप में एक्सप्रेस करने का अधिकार है तो इस संवैधानिक अधिकार को कौल साहब और उनकी पुलिस अपनी हथकड़ी-बेड़ी से नहीं दबा सकती । एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा रहा है । इस तरह के पुलिस के हथकण्डों से इस स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता । किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के बारे में हर नागरिक को अपनी राय एक्सप्रेस करने का संवैधानिक अधिकार है । यह मामला बहुत सीरियस है । एक नागरिक के प्रति इस तरह से उसके संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने पर ज्यादती की जा रही है और उसी पर्पज के लिए भी यह एड्जोर्नमेन्ट मोशन आपके सामने रखा है, वह एप्लीकेशन जो हाई-कोर्ट से आई है वह भी एड्जोर्नमेन्ट मोशन के साथ दी है और उस व्यक्ति ने जो मुझे लेटर भेजा है वह मैंने इसके साथ शामिल किया है, यह किताब शामिल की है और बाकी की जो पत्रावली है वह भी आपके सामने पढ़कर सुनाई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय मिलने पर १३ तारीख को सारी स्थिति बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है आप उचित समझें तो सदन को तथ्य बता दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर ठीक है, मैं उचित नहीं समझता ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो चाहते हैं कि कौल साहब की प्रतिष्ठा गिरे ।

(१२. ३१ म. प.)

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के विवरण को भी सदन के सामने रखता हूं ।

राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९३३
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री अध्यक्ष : टीनेन्सी वाला पहला आइटम है, इसलिए पहले उसको रखें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब उसको ले लें ।

राजस्थान यात्री तथा माल-कर (संशोधन, विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

Page No. 43

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(१२.३२ म. प.)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६६

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति विचार-विमर्श एंव पारित)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव से पहले जो इसे निरस्त करने के लिए संशोधन आये हैं उस पर माननीय सदस्य बोलेंगे।

(परिनियत संकल्प इस प्रकार है)

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २२ नवम्बर, १९६५ को प्रख्यापित राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को अस्वीकार करता है"

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान प्रिमिसेस (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) (अमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स, १९६५ का प्रश्न है इसके अन्दर जो १५ साल के बजाय २० साल की अवधि बढ़ाने का प्रश्न है उसकी तो मैं सराहना करता हूं और उसका स्वागत करता हूं लेकिन जो अहम् मुद्दा आॅर्डिनेन्स को लेकर समय समय पर इसी सदन के बीच उठाया गया है कि आॅर्डिनेन्सेज़ किन हालात के अन्दर निकालना चाहिए। जहां तक हो सकता हो विधान सभा के सत्र के अन्दर उस बिल को विधान सभा के सदस्यों के सामने लाकर पारित कराया जाये, लेकिन सरकार की हमेशा से मनोवृत्ति इस प्रकार की रही है कि विधान सभा के अधिकारों की हमेशा अवहेलना करते हुए बिना सदस्यों की राय को जाने हमारी सरकार हमेशा से अभी तक आॅर्डिनेन्सेज का सहारा लेती आई है। जहां तक इस एक्ट का सवाल है यह एक्ट १९५० का है और १५ साल की इसमें अवधि है और इस प्रकार से यह एक्ट २८ नवम्बर, १९६५ को हो समाप्त हो जाता है।

तो मैं तो सरकार से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जिस एक्ट की अवधि २८ नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने वाली है क्या इस सम्बन्ध में सरकार को जानकारी नहीं थी कि जो सत्र इससे पहले सितम्बर और अक्टूबर तक चला है उसके अन्दर सरकार इस विधेयक को लाती? सरकार के सामने ऐसी कौनसी आपदायें थीं, ऐसी कौनसी मजबूरियां थीं कि जिनके कारण सरकार इस विधेयक को ५ साल की अवधि को बढ़ाने के लिये इस विधान सभा के सामने लेकर नहीं आई। इसके लिए या तो यह मान कर चला जाये कि राज्य सरकार इतनी लापरवाह है कि कौन-कौन से एक्ट कब-कब उनकी अवधि है और कब वह समाप्त होने वाली है इसका

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भी उसको पता नहीं और या फिर इसको यह माना जाये कि आज सरकार को मालूम तो था लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सरकार विधान सभा के अन्दर इस पर विचार लेकर इसको विधान सभा के अन्दर लाती और सरकार ने इस प्रकार से लोकतंत्र की अवहेलना करके ऑर्डिनेन्स का सहारा लेकर उनकी जो मन्शा है उसकी पूर्ति की है। मैं पूछना चाहूंगा कि दोनों में से कौन से कारण हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था जो इसको पहले सत्र में नहीं लाई या सरकार की फिर यह मन्शा है कि विधान सभा के अन्दर कोई भी बिल लाने की आवश्यकता नहीं है और जो ऑर्डिनेन्स का सहारा मिलता है उसका वह उपयोग कर ले? जो अहम् मसला है और जिस प्रश्न के ऊपर बार बार यहां विधान सभा में जिक्र किया गया है और ऑर्डिनेन्स की भर्त्सना की गई है फिर क्या कारण है कि सरकार को इस प्रश्न के ऊपर ऑर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ा और विधान सभा के अन्दर इस बिल को नहीं लाई?

जहां तक ऑर्डिनेन्स का प्रश्न है सरकार ने विधान सभा के अधिकारों की अवहेलना की है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो यह एक्ट है यह सन् १९५० के अन्दर बनाया गया था। सन् ५० में जो राजस्थान की परिस्थिति थी बहुत से शरणार्थी पाकिस्तान से राजस्थान में आये। हमारे यहां मकानों की कमी थी, स्थान की कमी थी, किरायों के अन्दर लगातार बढ़ोत्तरी होती रही। जो मकान मालिक थे वह अपने मकान का नाजायज फायदा उठाकर ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का सहारा लेकर, जो कि उन दिनों में एक मात्र एक्ट था, उसके तहत बेदखली आरम्भ की। किरायेदार मजबूरी के अन्दर बेदखल होते रहे। मकान मालिकों ने किरायों को मन्शा की माफिक बढ़ाया और उस समय ऐसी स्थिति थी जब कि सरकार जल्दबाजी में इस एक्ट को लाई और इससे जहां तक किरायेदार थे उनको काफी राहत मिली। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुःख यह है कि जिस स्प्रिट के अन्दर यह एक्ट बनाया था वह स्प्रिट अभी तक इसके अन्दर है। उसके बाद में राजस्थान के अन्दर नयी-नयी तब्दीलियां आईं, लैंड लॉर्ड्स और टेनेन्ट्स में पहले जिस प्रकार के रिलेशन्स थे उसमें क्या क्या तब्दीलियां आईं-आज तक सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करूंगा कि इस संबंध में इस सत्र के पूर्व जो संशोधन लाया गया था उससे किरायेदारों को राहत जरूर मिली है। मकान मालिकों के जो एक्शन थे और जिस दफा के कारण वह नाजायज फायदा उठाकर केवल डिफाल्ट्स के आधार पर किरायेदारों को बेदखल कर दिया करते थे उसके अन्दर रुकावट आई है, लेकिन सरकार ने कोई नया विचार दिया हो ऐसी बात उसके अन्दर नहीं है। केवल हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण जो पेचीदगियां पैदा हुईं और जो मनसूबा था जो सबब इस एक्ट को लाने का था वह सरकार को असफल दिखाई दिया तो केवल उस दृष्टिकोण को लेकर उस संशोधन को लाया गया। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्थिति यह है कि सन् ५० के बाद और लगातार अब तक मकान बनते चले जा रहे हैं। मकानात बने हैं लेकिन यह एक्ट जो नये मकान बने हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सरकार ने जो भिन्न भिन्न योजनायें मकानों के लिए बनाई, चाहे एल० आई० एच० जी० के तहत बने, चाहे एम. आई. एच. जी. के तहत बने आज स्थिति यह है कि इन मकानों के अन्दर यद्यपि सरकार की मन्शा है कि स्वयं मकान बनाने वाला ही उसके अन्दर रहे और किराये पर वह मकान नहीं दे लेकिन राजस्थान के अन्दर क्या स्थिति यह नहीं है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इन स्कीमों के तहत सरकार से कर्ज लिया और उससे मकान बनाये और आज वह सरकारी बंगलों के अन्दर रहते हैं, आज पुराने मकानों के अन्दर मामूली किराये पर रहते हैं, लेकिन जिन्होंने इस योजना के तहत मकान बना लिए हैं उसके अन्दर वे अनापशनाप किराया वसूल कर रहे हैं।

इन मकानात के ऊपर कोई एक्ट लागू नहीं होता। उन नये मकानात पर इस एक्ट का कोई पालन नहीं होता। आज उन लोगों ने सरकार से कर्जे ले लिए हैं और अपने मकान बना लिए हैं और खुद पुराने और सस्ते मकानों में रहते हैं और अपने मकानों में दूसरे किरायेदारों को बसा रखा है। खुद सरकारी बंगलों में रहते हैं लेकिन अपने मकानों को किराये पर देकर मुनाफा उठाते चले जा रहे हैं।

तो इस सरकार को इस दृष्टि से सोचना चाहिए। भिन्न २ योजनाओं के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं और नये-नये मकान बनाए जा रहे हैं। वे सरकार से पैसा लेकर बनाए हुए मकानात का नाजायज फायदा उठाते चले जा रहे हैं और मनमाना किराया वसूल करते हैं तो क्या सरकार इस एक्ट को उन मकानात पर भी लागू करेगी? क्या सरकार इस एक्ट के प्रोवीजन्स को नए मकानात के ऊपर, जो बाद के अन्दर बनाए गए हैं और जिनके ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होता, क्या सरकार उन पर भी यह एक्ट लागू करने का प्रावधान करेगी? इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इससे भी विचित्र स्थिति है। यद्यपि एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी मकान मालिक अगर किसी किरायेदार की अमेनिटीज को डिसकनेक्ट करता है, एमेनिटीज में चाहे बिजली हो, चाहे नल हो, अगर वह उनको काट देता है, तो वह व्यक्ति अदालत के अन्दर जाकर अपनी वहां रेमेडी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्थिति यह है कि मकान मालिक किरायेदारों की एमेनिटीज काट देते हैं और किरायेदार अदालत के अन्दर जाते हैं तो भी जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वह एमेनिटीज रेस्टोर नहीं की जाती है। क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस प्रकार का मेंडेटरी प्रोवीजन अदालत को दिया जाय कि ज्योंही किरायेदार अदालत की शरण में आता है वह तुरन्त लैंड लार्ड को एमेनिटीज को रेस्टोर करने का आदेश दे, क्योंकि होता यह है कि मकान मालिक तो एमेनिटीज को काट देता है और किरायेदार अदालत में जाता है तो भी जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, वे एमेनिटीज रेस्टोर नहीं की जाती हैं। इस दृष्टि से सरकार ने कभी विचार नहीं किया है।

तो अध्यक्ष महोदय केवल इसी सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्ट सन् ५० का बनाया हुआ है और सन् ५० में इस एक्ट के बनाए जाने के बाद जहां तक रिहायशी का सवाल है इसमें पेचीदगियां बड़ी हैं। आज सरकार यह मान कर नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चल सकती कि आने वाले एक, दो या तीन सालों में यह रिहायशी समस्या सुलझ जायेगी आपकी खुद की मान्यता है कि शहर के अन्दर आबादी बढ़ती जा रही है। शहरों के अन्दर की आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ मकानों की कमी है। किरायेदार दुखी हैं और मकान मालिक फायदा उठाते जा रहे हैं। इस दृष्टि से जो समस्या सन् ५० से ६६ तक पैदा हुई है उस दृष्टि से ही पहले सरकार विचार करे और एक नया बिल, लैंड लार्ड और टीनैन्ट्स के व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए विधान सभा के सामने लाये और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जो किराएदार हैं उनको मकान-मालिक परेशान न कर सकें।

तो अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की यह मान्यता है कि वह विधान सभा की अवहेलना करे और ऑर्डिनेन्स के रास्ते पर जाकर कोई नई चीज लाई जाय, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का कार्य लोकतंत्रीय परम्परा पर आघात है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के ६६-६७ के वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा राजस्थान के वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल ने प्रस्तुत किया है और इस लेखे जोखे को इस सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमारे वित्त मन्त्री गत चार वर्षों से प्राप्त करते चले आ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे सदन का ध्यान और आपके द्वारा इस मन्त्रिमण्डल का ध्यान भी इस बात पर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि जिस वित्त मन्त्री को राजस्थान के लोगों की हालत के बारे में चार साल से बराबर मालूम हो गया हो और जैसा उन्होंने अपने बजट के भाषण में इस बात को माना भी है कि अब इस राजस्थान की जनता की ऐसी हालत नजर नहीं आती कि किसी भी कोने में मुझे कोई ऐसी सुराख या गुंजाइश नजर नहीं आती कि मैं उनके ऊपर कोई विशेष कर लगा सकूं। दबी जबान में ही कम से कम वित्त मन्त्री ने यह बात मानने की चेष्टा की है तो इस ओर मैं सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह बात विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप यह जानते हैं कि राजस्थान की जनता की ऐसी हालत है और गुजिश्ता चार साल से इस बजट को जब कभी आपने बनाया, और आप ही बनाते चले जा रहे हैं, आपने इनके द्वारा करों का भार इतना बढ़ा दिया है और इतना भार बढ़ाने के बाद भी आपने किसी प्रकार की राहत उनको नहीं दी है।

आप योजनायें बनाते जा रहे हैं और इन योजनाओं के द्वारा आप देश में कल्याण और देश में समृद्धि लाने की कल्पना करके चलना चाहते थे लेकिन क्या उस कल्पना का संतोष भी आप प्राप्त कर सके हैं? हमें वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद हमने, इस देश के लोगों ने, इस कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस सरकार के हाथ में, देश की हुकूमत रखी। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल्पना की थी कि जैसा महात्मा गांधी कहा करते थे कि इस देश में हम राम राज्य कायम करके रहेंगे और इस देश में दूध की नदियां बहा देंगे। देश में दूध की नदियां बहना तो दूर रहा, आज तो पहले जो देशी घी मिलता था लोगों को उसके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ऊपर भी टैक्स लगा दिया है और उस टैक्स के लगाने का परिणाम यह होगा कि देशी घी लोगों को नहीं मिलेगा। आज देश में कौन सी अच्छी चीज मिलती है, कौन सा अच्छा खाने को लोगों को मिलता है, केवल एक यही देशी घी खाने को मिल जाया करता था, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। इस टैक्स के लगा देने से लोगों की कितनी हानि होगी इस चीज को आपने नहीं देखा है। वैसे तो यह बहुत मामूली बात है अब मैं और भी महत्व पूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय सबसे पहले बजट इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो उस समय हमारे सामने बड़ी २ बातें कही गई और कहा गया कि अभी तक हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी थीं लेकिन अब हम आगे प्रगति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इससे भी आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है और इसलिए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। जब हमारे पास पैसा आएगा तो देश समृद्धि की ओर बढ़ता रहेगा और इसी कारण से योजनायें भी बनाई गई। योजनायें एक बनी, दो-तीन और अब चौथी योजना बनाई जा रही है और इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय ने भी इस बात को माना है कि इन योजनाओं से जनता पर करों का भार और बढ़ेगा.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समय बजट पर बहस नहीं हो रही है। क्योंकि यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है जो विशेष कारणों से लाया गया है, इसके बारे में ही बोलें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बात को यहीं समाप्त करने के पश्चात् यह कहूंगा यह सरकार की टेंडेंसी रही है, सरकार का यह ट्रेंड रहा है कि इस प्रकार के कार्य करती रहे लेकिन साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की सबसे भयंकर टेन्डेंसी जो चली आ रही है वह यह है कि इन सारी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो वह भी नहीं देखती कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवीजन क्या है? संविधान में आर्डिनेन्स जारी करने की शक्ति गवर्नर महोदय को है, इस बात को हम डिनाई नहीं करते और इस बात को चेलेंज भी नहीं करते। लेकिन किन सर्कमस्टांसेज और किन परिस्थितियों में आर्डिनेन्स को प्रोमलगेट किया जाना चाहिये, वह ऑर्डिनेन्स लाया जाना चाहिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हाईकोर्ट ने और देश के अन्य हाईकोर्टों ने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब कभी ऑर्डिनेन्स प्रोमलगेट करने का सवाल पैदा होता है तो जब तक ऑर्डिनेन्स प्रोमलगेट करने के सर्कमस्टांसेज को जब तक सरकार द्वारा कंसीडर नहीं कर लिया जाता, वह ऑर्डिनेन्स गलत होता है।

मैं तो यह कहूंगा कि सरकार जिस प्रकार आज ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करती है वे जोर जबरदस्ती करके लोगों पर कानून थोपने की तारीफ में ये आर्डिनेन्सेज आते हैं। आपका जो यह राजस्थान प्रिमिसेज (कंट्रोल ऑफ रेंट एण्ड इविक्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १९६५ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई आपका बनाया हुआ कानून नहीं है। सन् ४९ में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थीं और लोगों

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
को मकानों का अभाव पैदा हुआ था। ऐसे समय में जयपुर स्टेट में जयपुर रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से यह कानून बनाया गया था। इसके बाद राजस्थान बना और राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार ने वेरियस स्टेट्स के अन्दर भी जो इस प्रकार के कानून थे, उन सबको लेकर यह कानून बनाया था यह कानून बनाया था सरकार ने केवल किरायेदारों को सहूलियतें देने के लिए। जो मकान मालिक किराया बढ़ा देते हैं और किरायादारों और मकान मालिकों में झगड़े होते हैं तो उनका संतुलन बनाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। मकान मालिकों को भी उनके मकानों का वाजिब किराया मिलता रहे और किरायेदारों को भी हानि न हो इस दृष्टि से यह कानून बनाया गया था।

इस कानून की दो-दो साल कर के, ५-५ साल करके अवधि बार बार बढ़ाते गये। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जैसा कि पहले एमेंडमेंट का सवाल आया था, उस समय आपको भी, माननीय अध्यक्ष, यह याद होगा कि यह प्रेस किया गया था, इस सरकार के सामने कि अगर सरकार यह समझती है कि ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के मूल कानून में कोई परिवर्तन करने की जरूरत हो तो इस तरह का प्रावधान बेसिक एक्ट में इन्सर्ट कर दिया जाय तो लोगों को राहत मिल जाय और दिक्कत न हो। उस समय राज्य सरकार के द्वारा जो उत्तर मिला वह विचारणीय है। उन्होंने कहा कि इमर्जेन्सी के मेटर और एक्सीजेन्सी के मेटर को देखते हुए वे यह समझते हैं कि आरजी तौर पर १-२ साल के लिए ये परिस्थितियां और रहेंगी और इसी दृष्टिकोण से हम इस कानून को आगे कन्टीन्यू करना चाहते हैं। जब एक तरफ तो यह समझते हैं कि इसको ज्यादा समय तक कन्टीन्यू करने की जरूरत नहीं है और दूसरी और यह असेम्बली चले और उस असेम्बली के ५-७ दिन बाद में यह ऑर्डिनेन्स जारी कर दें, तो दो ही बातें, माननीय अध्यक्ष, इस सरकार के लिए कही जा सकती हैं कि या तो यह सरकार इतनी गाफिल, नशेबाजों की हालत में रहती है कि किस कानून की मयाद कब खत्म होने वाली है यह मालूम नहीं रखती है या इनका डिपार्टमेंट इतना इनएफिशियेन्ट है या मिनिस्टर लोग इतने इनएफिशियेन्ट हैं....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : यह दूसरी बात ठीक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह दोनों बातें आप स्पष्ट देख लें। या तो गाफिल रहने की सूरत आती है या आपकी डेलीबरेटली ऐसा करने की आदत पड़ गई है कि किसी के घाव हो गया तो आप नमक छिड़केंगे। तकलीफ तो उनको होगी और मजा इनको आयेगा। दोनों में से कौनसी बात सही है? तीसरा ऑल्टर्नेटिव मंत्री महोदय के सामने नहीं हो सकता है। या तो उनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है कि जबर्दस्ती इस प्रकार की गलती करते रहते हैं या इतने गाफिल है या इनएफिशियेन्ट हैं कि उनको इस बात का बिलकुल ही ध्यान नहीं होता है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि मौजूदा सूरत में राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) एक्ट जो है उसको ऑर्डिनेन्स के द्वारा आप बढ़ा रहे हैं। यह प्रवृत्ति आपकी बहुत बुरी है।

(श्री दुर्गालाल बादवार)

दो बातें इसके सिलसिले में जो विचारणीय हैं, मैं आपके सामने और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि इस एमेंडमेंट के ऊपर जब बहस चल रही थी तो आपने यहां पर जोधपुर के लोगों के इन्स्टान्सेज देते हुए, कुछ और लोगों के बारे में इन्स्टान्सेज देते हुए यह भी कहने की कोशिश की थी कि कानून को आप संतुलित रखना चाहते हैं। हमको लैण्डलॉर्ड्स का भी फायदा देखना है और टेनेन्ट्स का भी फायदा देखना है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सूरते मौजूदा मे जो कानून आपने बनाया है और इस कानून में जो जजमेंट्स राजस्थान हाई कोर्ट के हो गये थे तो उन जजमेंट्स को सब का नलिटी कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि आप राहत दे दें, लेकिन एक डिफिकल्टी और रह जाती है इसको क्या आपने विचार करने की कोशिश की है? वह बात यह होती है कि जब एक रेट मुकर्रर करते हैं इस कानून के एक एक प्रावधान के लिए, माननीय अध्यक्ष, कि जिस दिन वह कोर्ट डिटरमिन करे और कोर्ट के डिटरमिन करने के बाद कोई रेन्ट होगा तो वह रेन्ट मय खर्चे के जमा करा दे। इससे बचने का भी एक रास्ता निकाल रखा है और बहुत भारी डिस्प्यूट चल रहे हैं। किसी आदमी ने कहा कि ५०) रु० माहवार पर किराये पर दिया लेकिन वह कहता है कि यह बात बिल्कुल गलत है। यह ५) रु० महीने पर दिया गया है, तो नतीजा क्या हुआ कि उसके डिटरमिनेशन होने के बाद अगर कोई निर्णय कोर्ट दे दे तब तो प्रोटेक्शन मिल गया। उस क्लॉज में इसका प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो यह सारी प्रोसीडिंग्ज बेकार हो जाती हैं। तो उसमें कोर्ट को भी ऐसे पॉवर्स नहीं दिये हैं इस कानून में जिसके तहत रेन्ट का डिटरमिनेशन नहीं हो सके, पार्टीज के एग्रीमेंट के आधार पर या दूसरे सर्कम्स्टान्सेज के आधार पर तो इस एक्ट में एक प्रोवीजन और होकर अगर स्टेण्डर्ड रेन्ट डिटरमिन कर सकें तो ठीक रहेगा। तो कम से कम ऐसे पॉवर्स कोर्ट को मिल जायं कि एक स्टेण्डर्ड रेन्ट किस प्रकार से डिटरमिन किया जाय और उस स्टेण्डर्ड रेन्ट के डिटरमिनेशन के आधार पर पार्टीज के राइट को इफेक्ट करने वाला चाहे न हो, पूरी एन्क्वायरी होने के बाद, पूरी तहकीकात होने के बाद जो निर्णय दे वह मान्य माना जाय, ऐसे पॉवर्स कोर्ट को अगर मिल जाते हैं तो सहूलियत की बात होगी।

दूसरी बात यह है कि ६ महीने का, सिक्स डिफाल्ट्स का आपने रखा है तो इसमें दो-तीन बातें आती हैं। कम से कम शुरू में मैंने जैसा कि निवेदन किया था और इतना रीजनेबल वह हो जाता है कि इसमें दो प्रवृत्तियां हो जाती हैं। बहुत से किरायेदारों की भी वही प्रवृत्ति रहती है जिस तरह की माननीय मंत्री महोदय की प्रवृत्ति रहती है कि पंचों का हुकुम सिर माथे पर लेकिन परनाला तो यहीं पर गिरेगा। दो महीने का किराया चढ़ गया तो स्माल-कॉज कोर्ट में जाता है और दावा करा लेता है। खर्चे का सवाल होता है। २ महीने बाद फिर जायेगा और दावा करेगा। इस प्रकार से ३-४ डिक्रियां हो जाती हैं तो ६-६ बार और डिक्रियां कराने का सरकार मौका देती है। तब भी सवाल यह पैदा होगा कि डिक्रियां हो जाती हैं तो रियेलाइजेशन की कोई गुन्जायश नहीं। डिक्रियां करा-करा कर रखते गये। हमारे यहां यह कहावत है

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
कि दावा कर तकाजा चालू भूरमी दक्षिणा बांटो. आखरी फैसले पर डिग्री हो जाय तो शहद लगा कर चाटो। डिक्री करा ली तो डिक्री कराने के बाद भी रियेलाइजेशन की गुन्जाइश नहीं होती है।

जब इतने कॉम्प्लीकेशन्स और सारी बातें हैं तो नम्र निवेदन करूंगा कि जब कभी आप कोई कानून बनायें तो आप लॉ डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से कन्सल्ट करें। लॉ डिपार्टमेंट को इन्स्ट्रक्ट करें कि वह अच्छी तरह से विजिलेन्ट रहे और ६ महीने पहले ही आपको इत्तिला दे दें, क्योंकि असेम्बली के पहले ६ महीने का काफी टाइम मिल जाता है और आपको मालूम हो जायेगा कि कानून की जरूरत पड़ेगी। आप अच्छी तरह से विचार-विमर्श कर सकेंगे। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके विचारों को भी सुनने का मौका मिल जायेगा। आप अपनी ताकत को अपने हाथ में लेकर इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स बनाने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो वह किसी भी प्रकार से सही प्रक्रिया नहीं है। संविधान में प्रावधान होते हुए भी संविधान इतने भारी अधिकार आपको नहीं देता है कि जिस किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कम्स्टान्सेज में, जब भी आप चाहें तभी आप ऑर्डिनेन्स बना दें। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आयन्दा इस सदन के सामने कम से कम यह विश्वास दिला देंगे, इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स जब तक बहुत ही आवश्यक न होंगे, जारी न करेंगे और गलत तरीके से ऑर्डिनेन्स जारी करने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने जो ऑर्डिनेन्स के बारे में राय रखी है उसके लिए मुझे विशेष कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं होती है कि सिद्धान्ततः दोनों ही मानते हैं कि यह बिल जरूरी है क्योंकि रेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर जो १९५० में हमने पारित किया था और १९६५ में तरमीम-शुदा जो इस सदन ने कानून बनाया था, उसके बाद दफा ३१ के अन्दर १९५० वाले कानून की मयाद २७ सितम्बर, १९६५ को खत्म हो जाती थी। यह कहा गया कि ऑर्डिनेन्स नहीं लाना चाहिए और मैं माननीय सदस्यों को यह तसल्ली दिलवा सकता हूं कि राजस्थान सरकार की नीति यह है कि जहां तक हो सके वह ऑर्डिनेन्स लाने की नहीं है, बल्कि असेम्बली में कानून बिल के जरिये लाकर, आप लोगों की राय से कानून बनाने की रही है। फिर भी राज्य सरकार को अपने कार्य को संचालित करने के लिए कभी कभी ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं जिनकी वजह से ऑर्डिनेन्स लाने पड़ते हैं, और ऑर्डिनेन्स का सहारा इसलिए भी लेना पड़ता है कभी कभी कुछ ऐसी हालत बन जाती है कि—जैसे लास्ट असेम्बली का सेशन जो हमारे यहां पर हुआ था तो २० अक्तूबर से १ नवम्बर तक १० दिन के लिए मिलने वाले थे, लेकिन उसके बाद में सीज फायर होने की वजह से ८ दिन तक और ज्यादा मिल पाये। उस वक्त सदन का वातावरण इस प्रकार का नहीं था. सदन की चिन्ता बोर्डर की ओर थी, उस समय ऐसे-ऐसे छोटे कानूनों का बिल लाकर सदन का समय लिया जाय, उचित नहीं था।

उसके बाद यह कॉन्करेण्ट सब्जेक्ट होने की वजह से इस पर प्रेसीडेन्ट की आज्ञा लेने

(श्री मथुरादास माथुर)

की आवश्यकता थी तो उसमें काफी समय हो जाता है। उस समय यह बिल सदन में नहीं लाया जा सका। उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों से विचार करने पर भी ऐसा महसूस हुआ कि इसमें ऐसी कोई कन्ट्रोवर्शल चीज नहीं है, आॉर्डिनेन्स में भी लाया जा सकता है तो उस वक्त में राष्ट्रपति की भी इजाजत नहीं आई थी और वह बाद में पहुंची इसलिए उस सेशन में इस बिल को इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सके। बाद में इजाजत आने के बाद आॉर्डिनेन्स के जरिये मयाद को ५ साल बढ़ा दिया है। उसके लिए दो मत माननीय सदस्यों के, इस ओर और उस ओर बैठे वालों के, नहीं हो सकते हैं। आॉर्डिनेन्स जिन सर्कमस्टान्सेज में पेश किया है वह साफ पंजीशन मैंने कर दी है। उसमें न सरकार की गफलत थी और सरकार की आॉर्डिनेन्स लाने की नीति है, मगर हालात ऐसे बन गए थे कि उसको लाना पड़ा।

(१.०० म. प.)

दूसरा मैं यह निवेदन करता हूं कि बाकी जो मुद्दे उठाये गये हैं, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि सन् ६५ में जब हमने जब अमेन्डमेन्ट्स बिल में पेश किये थे, उस समय खास तौर से सिलेक्ट कमेटी में डिस्कस किया था। जो मुद्दे दो तीन उठाये हैं उनमें बिजली-पानी का भी है, डिफॉल्टर्स का सवाल है उस समय जो सवाल उठे थे, उन सब का जवाब दिया गया है। आपको उस में मिल जायगा। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। राज्य सरकार हमेशा टेनेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना चाहती है इसलिए कानून में मेन लॉ जो है उसकी मयाद बढ़ाना चाहते हैं। टेनेन्ट्स और लैंड लॉर्ड्स का जहां तक सवाल है लॉ हमेशा टैनेन्ट्स के फेवर में जावे ऐसा प्रयास किया जाता है इसलिए सन् ६५ में यह कानून रखा था। यह डाइनामिक सोसाइटी है। ज्यों ज्यों चेतना आती है दृष्टिकोण बदलता रहता है उसके अनुसार एमेंडमेन्ट भी किये जा सकते हैं। और भी कुछ कमी रह जाए तो उस पर चिन्तन किया जा सकता है। अभी तो ६ साल बढ़ाने का ही सवाल है। बाकी मुद्दों पर न तो राज्य सरकार ने चिन्तन किया है और न इसकी आवश्यकता पड़ी है। यदि प्रोब्लम पैदा होगी तो चिन्तन करेंगे और एमेन्डमेंट लायेंगे। आज उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल आपके सामने हैं माननीय सदस्य उसको पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष एक संकल्प है जो इस प्रकार है:

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक २२ नवम्बर, १९६५ को प्रख्यापित राजस्थान भूगृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को अस्वीकार करता है।"

श्री मथुरादास माथुर : इसको तो आप विद्ड्रॉ करलें।

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य और थे।

प्रश्न यह है कि संकल्प स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण

(श्री मथुरादास माथुर)

तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूगृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूगृहादि (किराया नियंत्रण तथा वेदखलो) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूगृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(१.४ म.प.)

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६९

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : इसमें एक प्रस्ताव और है जो सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, कृष्णकुमार गोयल, विजयसिंह झाला, दुर्गालाल बादवार और, मथुरेशबिहारी माथुर ने पेश किया है।

(विराम)

सभी माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६९ जो सदन के सामने लाया गया है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था और उस केस के दौरान में कुछ प्रोविजन्स के बारे में शंका की गई थी और यह बताया गया था कि इसके अंदर जहां फाइनेन्स एक्ट का हवाला इस कानून में था उसको प्रिवियस इन्सट्रक्शन्स प्रेसिडेन्ट से नहीं ली थी और बाद में उस कानून पर प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट भी नहीं कर पाये थे, इसलिये इस आधार पर जो आगे कार्यवाही हुई है वह अवैधानिक है और उन्होंने इसकी चर्चा करते समय, हम १९६४ में पहले एक आर्डिनेन्स और बाद में कानून एसेम्बली में लाये थे, पास कर रहे थे, उसकी भी चर्चा की। क्योंकि उसके जरिये हमने पुरानी कमियों को वेलिडेट किया था, चर्चा करते समय कानूनी नुक्स पोइन्ट आउट किया। जिस रूप में सन् ६४ में सेक्शन ४ के जरिये उसको वेलिडेट किया गया है उसको वेलिडेट करना उचित नहीं था और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वेलिडेट करना दो तरह से हो सकता है या तो प्रेसिडेन्ट की प्रायर एसेन्ट नहीं हुई है तो कानून पास करने के बाद प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट ली जा सकती है, यह तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कानून के जिन प्रावधानों को वेलिडेट करने की व्यवस्था सन् ६४ में की थी उनको हम रीइनैक्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने सेक्शन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
४ की लेंग्वेज लिखी थी प्रेसिडेन्ट के एसेन्ट के बिना, कॉन्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को बिना मीट किये कानून बनाया था उसको वेलिड मान लिया जाय। ऐसा लेजिस्लेचर ने किया, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से उनको करने का अधिकार नहीं था। या तो इसको रीइनेक्ट करें या अब एसेंट प्राप्त करें। अब एसेन्ट प्राप्त करने का मतलब यह होगा कि एसेन्ट प्राप्त करने की तारीख से यह लागू होगा, जबकि टैक्सेशन का पैसा हमने पहले ही वसूल कर लिया है। अब अगर एसेन्ट लेते हैं तो जो पैसा वसूल किया है उसको रिफण्ड करने का सवाल आ सकता है इसलिए रिइनेक्टमेंट के प्रोवीजन को करते हुए हम यह संशोधन लाये हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो प्रोवीजन आप लाये हैं उसको तहत पैसा वसूल करना है या कर चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पैसा वसूल कर चुके हैं। उसको वेलिडेट करना है। सन् ६४ में जो तरीका वेलिडेट करने का सेक्शन ४ में रखा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन ४ के जरिये वेलिड किया है उसको लैंग्वेज में लिखा है जिसमे लेजिस्लेचर ने यह कह दिया है कि जो कानून अवैधानिक था उसको वैधानिक मान लिया जाय ऐसा लेजिस्लेचर को नहीं करना चाहिये बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट था, उस पर ख्याल करना चाहिये था। वह डिफेक्ट प्रेसिडेन्ट का एसेन्ट नहीं लेने का था। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया कि या तो एसेन्ट अब ले ली जाय या अब रिइनेक्ट किया जाय। रिइनेक्ट करने में लेजिस्लेचर इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकता है। क्योंकि २ करोड़ रुपयों से ऊपर अमाउन्ट वसूल किया जा चुका है इसलिये यह तरीका इन्ट्रोड्यूस किया जाय, यह बहतर समझा गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख कर यह कानून सदन के सामने रखा है। पहले केसेज चले थे, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा मान लिया था कि यह रिइनेक्टेड है लेकिन इस सम्बन्ध में अब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है और उस पर ऑब्जर्वेशन होगा यदि उस तारीफ में नहीं आता है, वेलिडेशन की तारीफ में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। इस मकसद से ध्यान आकर्षित किया है और इस लिये यह कानून लाया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन इसको पारित करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयलः अध्यक्ष महोदय, जहां तक आप ऑर्डिनेन्स, १९६९ के आधार पर जो अमेंडमेंट इस बिल के अन्दर लेकर आये हैं वह इसलिए लाये हैं कि उसमें कोई एक लीगल कॉम्प्लीकेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, उस जजमेंट की लाइट के अन्दर जो आपने अमेंडमेंट किये हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मुझे फिर भी कुछ ऐसी शंका है कि जिस लैकुनाज़ को आपने फिल-अप करना चाहा है वह आप कर पाये हैं या नहीं कर पाये हैं ? दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर जो लोग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रिफन्ड मांगने वाले हैं. उनको आप रोक सकेंगे या नहीं ? यह अलग से प्रश्न है लेकिन जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स, १९६५ के आधार पर लेकर आये हैं उसका तो मैं समर्थन करता हूं। किन्तु इसके बाद में १९६६ के अन्दर जो आपने एक ऑर्डिनेन्स निकाला है और १९६५ और १९६६ के दोनों ऑर्डिनेन्स को शामिल करते हुए जो आपने एक नया बिल सदन के समक्ष रखा है और जिसको आप पारित कराना चाहते हैं उस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, कल इस सदन में वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मैं जनता पर कोई नया टैक्स लगाने वाला नहीं हूं। कई इस प्रकार के टैक्सों के भार से जनता को दबा हुआ देखकर सरकार नहीं चाहती कि जनता पर कोई नया टैक्स लगाया जाय। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स राज्यपाल साहब के द्वारा निकलवाया है उसके तहत पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स के अन्तर्गत पांच प्रतिशत और दस प्रतिशत की इन्क्रीज की है या नहीं ? जो आपने पेसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स को पांच प्रतिशत और दस प्रतिशत बढ़ाया है, यह बढ़ोतरी क्या ठीक है जब कि वित्त मन्त्री इस सदन के सामने १९६६-६७ का बजट पेश करने जा रहे थे और जब इस सदन के द्वारा राजस्थान की जनता के समक्ष गत वर्ष के आय-व्यय के देते हुए नया बजट पेश करने वाले थे और आगामी वर्ष के लिए व्यय को देखते हुए आय के आंकड़े रखने वाले थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि १ फरवरी, १९६६ को इस ऑर्डिनेन्स को निकाल कर इसके द्वारा २५ प्रतिशत और २० प्रतिशत टैक्स किया है, १५ प्रतिशत की जगह तो आपने २० प्रतिशत किया है और २० प्रतिशत की जगह २५ प्रतिशत किया है ? मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बढ़ोत्तरी करने का आपको बिना इस प्रकार की बजट में वित्त मन्त्री द्वारा बिना घोषणा किये हुये इस प्रकार का प्रावधान करने का क्या अधिकार था ? क्या ऐसी जरूरत थी जब कि इस साल का विधान सभा का अधिवेशन २६ से होने जा रहा था और आने वाला साल २८ फरवरी से शुरू होने वाला था और ९ मार्च को वित्त मन्त्री द्वारा बजट पेश किया जाने वाला था ? क्यों आपने इस ऑर्डिनेन्स को जारी करा कर टैक्स में इन्क्रीज किया ? आप इन्क्रीज करना चाहते थे क्या उसके लिए तब तक के लिए इन्तजार नहीं कर सकते थे, जब कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बजट इस विधान सभा के सामने रखते ? जब वह बजट विधान सभा के सामने रखते तब आप टैक्स इन्क्रीज करते तो उस पर विचार किया जा सकता था. लेकिन आपने राजस्थान की जनता की आंखों में धूल डालना चाहा है। आप इस विधान सभा के सामने बजट रखते समय जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, कोई किराया या भाड़ा नहीं बढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आप जब किराया बढ़ाते हैं या जब कोई भाड़ा बढ़ाते हैं तो क्या उससे किसी उद्योगपति पर बोझ पड़ता है ? क्या समाज के किसी ऐसे व्यक्ति पर बोझ पड़ता है जो समाज का शोषक है ? यह किराया-भाड़ा आखिर किसको देना पड़ता है ? यह साधारण व्यक्तियों को देना पड़ेगा। आपने जो गुड्स टैक्स बढ़ाया है इससे सब चीजें मंहगी होंगी-उन्हें आखिर खरीदेगा कौन ? वह खरीदेगा, साधारण ग्रामीण और साधा-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रण व्यक्ति । इन पर ही इसका बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं इस बिल को लाने वाली सरकार की भर्त्सना करते हुए कहना चाहता हूं कि पेसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स आपने बढाया है ऑर्डिनेन्स के द्वारा और इस बिल के द्वारा जिस पर इस सदन की मोहर लगवाना चाहते हैं, इससे आपने राजस्थान की जनता की आंखों में धूल डालने का प्रयास किया हैं । यदि आपमें हिम्मत होती, यदि आपमें साहस होता तो ऑर्डिनेन्स जारी न करवाकर और उसे इस बिल के रूप में न लाकर आप बजट पेश करते वक्त वित्त मन्त्री से यहां पर घोषणा करवाते और यह कहलवाते कि हमने पांच प्रतिशत इन्क्रीज पैसेन्जर और गुड्स टैक्स में की है । लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और आपने यह बैक-डोर से घुसने का रास्ता पकड़ लिया है।

मैं समझता हूं कि यह बैक डोर का रास्ता पकड़ना उचित नहीं है क्योंकि यह इन्क्रीज इतनी अधिक है जिसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है । पहले ही उस पर टैक्स का बोझ काफी है, उसके साथ ही आपने आज जो किराया और भाड़ा इतना बढ़ा दिया है– इसका भार जिस साधारण जनता पर पड़ता है वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं । मैं इन शब्दों के साथ राजस्थान सरकार की भर्त्सना करता हूं और इस बिल का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स उस मौके पर नहीं निकालना चाहिए जब कि थोड़े दिन में ही फाइनेन्स मिनिस्टर विधान सभा के सामने बजट रखने वाले हों । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से सरकार पैसेन्जर और गुड्स टैक्स में बढोत्तरी भी करना चाहती थी जो उस प्रश्न को विधान सभा के समक्ष पहले लाना चाहिए था ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।"]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक १९६६ पर मैंने एक संशोधन दिया है कि इसको तीन महीने के लिये जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हमारे राजस्थान का बजट इस विधान सभा में वित्त मन्त्री द्वारा पेश हुआ है और उस पर गौर करने के लिए हमें अवसर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल खुली हुई है, जाहिर है क्योंकि मन्त्री महोदय यह जाहिर कर चुके हैं, सरकार यह बता चुकी है कि हम राजस्थान की जनता पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं । लेकिन यह टैक्स ऑर्डिनेन्स के जरिये उन पैसेन्जर्स के ऊपर लगाया है जो कि या तो शादी-विवाह में जाते हैं, या अपने अजीजो से मिलने के लिए जाते हैं, या किसी बीमार को अस्पताल में दाखिल कराने के लिये लेकर जाते हैं, या फिर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को उलट-उलट कर देखें, आपको मालूम होगा कि समय समय पर जजिया नाम के कर को बुरा कहा गया है । उस कर को बुरा कहा

(श्री अब्दुल सत्तार)

गया है जो पहले के बादशाह लोग जजिया कर लगाते थे । तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसको जजिया कर के नाम से पुकारता हूं और मैं इस सरकार पर दोषारोपण करता हूं कि यह सरकार जजिया कर हमारे पैसेन्जर्स पर लगाती है ।

उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि आज एक व्यक्ति तीर्थ करने के लिये जाता है तो आपने उसके ऊपर तीर्थ यात्रा करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया है । क्योंकि आप कहते हो जब तक तुम यह पैसेन्जर टैक्स नहीं दोगे तब तक तुम्हें नहीं जाने दिया जायेगा । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं ने भी इस प्रकार का टैक्स लगा कर पैसेन्जर पर बोझ डाल रखा है । यदि आप पुष्कर यात्रा करने जायं तो मोटर में से उतरते ही कहा जाता है चार पैसे दो । अगर नहीं दोगे तो आप तीर्थ स्नान नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एक तरफ तो आर्डिनेंस निकालें और जनता पर टैक्स लगायें, जनता से कहें कि अब से २० प्रतिशत के बजाय २५ प्रतिशत टैक्स लगाते हैं और जो घाटा है उसको इस रूप के पूरा करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट स्पीच में बताते हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है । मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा में बजट पेश होने से पहले टैक्स लगाना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, जनता को धोखा देना है और जनता के विचारों को कुचलने वाली बात है ।

मेरा प्रस्ताव जो इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का है उस पर मंत्री महोदय गम्भीरता से सोचें और इस बिल को जनता की राय जानने के लिए भेजें क्योंकि इस बिल के आधार पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसका हिसाब-किताब पूरा और सही नहीं है आज भी कितना ही अमाउन्ट लोगों के पास में पड़ा हुआ है और उस पैसे से लोग फायदा उठा रहे हैं । मैं आपको निवेदन करूं कि पैसेन्जर लोग तो पैसेन्जर टैक्स दे देते हैं लेकिन मोटर ऑपरेटर उस पैसे को अपनी जेब में रख लेता है और सरकार उसको वसूल करने के अन्दर कामयाब नहीं होती है । १९६२-६३ की जनरल डिबेट में मैंने यह सुझाव दिया था कि जिस तरह सिनेमा के टिकिट पर रेवेन्यू का टिकिट लगाया जाता है उसी तरह जो आपने बस स्टेण्ड मुकर्रर कर रखे हैं तो एक स्टेण्ड से दूसरे स्टेण्ड तक जाने वाली मोटरों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय और मोटर ऑपरेटरों को यह आदेश जारी कर दिये जाएं कि वह टिकिट पर रेवेन्यू टिकिट लगायें । यह हो जाता है तो फिर पैसेन्जर टैक्स की वसूली के लिए आपको इतनी लम्बी-चौड़ी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी कि आप इंस्पेक्टर रखें और इन्सपेक्टर मोटर ऑपरेटर के पास जाकर कहे कि पैसा दो । और अगर वह न दे तो आप कार्यवाही करो, अदालत में जाना पड़े, रिटें दायर हों । मेरा निवेदन है कि यदि इस बात का प्रावधान कर दिया जाय तो न रिटें दायर होंगी और न और दिक्कतें पैदा होंगी। आज स्थिति यह है कि जनता से तो पैसा वसूल कर लिया जाय और मोटर ऑपरेटर सरकार को अंगूठा दिखा दें और सरकार कुछ भी नहीं कर सके । इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से सोचे ।

(श्री अब्दुल जब्बार)

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इसका मैं विरोध करता हूं, खुले तौर पर विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इस पर जनमत जानने के लिए इसको प्रसारित किया जाय। जिससे जो जनता को दुःख और पीड़ा होती है वह साफ हो जाय। साथ ही क्योंकि बड़ा हेस्टी स्टेप लिया गया है जिससे अन्य पार्टियों को इस पर विचार करने का मौका नहीं मिल सका है। यह ऑर्डिनेन्स पांच फरवरी को जारी किया गया और छब्बीस को विधान सभा मिलती है। यदि यह विधान सभा के समक्ष आता तो हम इसका प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते थे। आज यू.पी. के अन्दर ऑर्डिनेन्सेज़ का विरोध किया जा रहा है, सरकार का वहां पर मुकाबला किया जा रहा है और हाई कोर्ट में सरकार को चेलेंज किया जा रहा है। ऐसे मसलों पर पहले विधान सभा में विचार किया जाय, इस बात को राजस्थान सरकार ने माना है। लेकिन वह खुले दिमाग से इस पर विचार नहीं करती है और इस प्रकार टैक्स लगाये जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार ऑर्डिनेन्सेज के जरिये टैक्स लगाना घोर अन्याय है, इसलिए आप इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित कीजिए और फिर आप देखिए कि इसका कितना विरोध होता है, और कितना इसका मुकाबला किया जाता है। आपके सामने सही तथ्य आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह जनता की अवहेलना है और उसके अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपना संशोधन पेश करता हूं कि इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान में विधान सभा के सदस्यों ने समय-समय पर ऑर्डिनेन्सेज़ का काफी विरोध किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री पहले यह पता लगा लें कि पहले की बकाया कितनी है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, १९६४-६५ तक की बकाया ३० लाख है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक आप यह भी पता लगा लें कि सर्वोच्च न्यायालय में फैसला कब हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : और समय-समय पर विरोध करते रहे हैं और हम यह चाहेंगे कि कम से कम मंत्रियों को मनमानी करने नहीं दिया जावे, जबकि हमारे विधान सभा का अधिवेशन सामने आ रहा हो और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अधिवेशन आने के कुछ समय पहले ही यह टैक्सेज ऑर्डिनेंस के द्वारा लगाये गये ? एक तरफ जनता टैक्सों के मारे दबी जा रही है और टैक्सों के बोझ को नहीं उठा सकती है, उधर दूसरी तरफ सरकार इस प्रकार के ऑर्डिनेन्सेज लाकर जनता पर टैक्स लगाती है। अगर सरकार इस प्रकार गलत काम करेगी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने यह टैक्स लगाया है, वह गरीबों पर लगाया है। आपकी जो ३० लाख ३५ हजार बकाया है आप उसको वसूल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका टैक्सेज वसूल करने का तरीका है वह ठीक नहीं है। मैं आपको पसों

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

के दिन का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक मोटर बस यूनियन कोआँपरेटिव सोसायटी की थी, कुछ अधिकारी रास्ते में बैठ गये। उन्होने उस बस को रोककर उस बस की सवारियों को कहने लगे कि यहां से तुम पैदल जाओ। सरकार के २० हजार रुपये बाकी हैं। इस तरह से लोगों को कर्मचारी हैरेस करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गाड़ी कोआँपरेटिव की थी और यदि आपको उस गाड़ी को रुपयों की वसूली के लिए पकड़ना था तो आपको चाहिए था कि उसको आप उसके गैरेज से पकड़ते। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे वहां पर बैठे बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वे ट्रक पर बैठे हुए थे, उन्होंने सब पैसेन्जरों को तंग किया। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ मनमाने पैसा खर्च करते हैं और बाद में जनता पर टैक्स लगाने में नहीं चूकते। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम मंत्री महोदय को इस बात के लिए रोका जाय की जब बजट पेश होने वाला है तो गरीब लोगों पर इस प्रकार का टैक्स ऑर्डिनेन्स के द्वारा न लगाया जावे और इस प्रकार से सदन के सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना न करे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, पहली बात ऑर्डिनेन्स के बारे में यह सोचने की है कि जब १९६५ में सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हो गया तो इस तरह की कोई भी बात हो, उसको इतने सदन के लोग कितनी ही मर्तबा मिल चुके हैं. इसको सदन में प्रस्तुत करके लाई जा सकती थी। यह बात नहीं समझी कि साधारणतया इस चीज को ऑर्डिनेन्स के बजाय सदन में लाकर ठीक करा लिया जावे। ऑर्डिनेन्स निकालना सरकार ने एक कॉमन चीज बना रखी है। एसेम्बली की कोई परवाह की जावे या नहीं, हर अधिकारी और सरकार यह समझने लगी है कि ऑर्डिनेन्स निकालने की हमारे हाथ में एक तलवार है जो हमें मिली है और जब आपकी नींद खुल जावे तो ऑर्डिनेन्स निकाल दिया जावे। मैं इस तरह से ऑर्डिनेन्सेज को निकालने का विरोध करता हूं और सदन का एक प्रकार से अपमान मानता हूं।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है। आप उसके बाद ऑर्डिनेन्स जारी करते हैं और ऑर्डिनेन्स के जरिये आप दो काम करते हैं। एक तो यह की सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में यह चीज लाई जावे कि २० परसैन्ट टैक्स के बजाय २५ परसैन्ट टैक्स कर दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि सरकार की डेमोक्रेटिक स्प्रिट के प्रतिकूल है और सरकार को डेमोक्रेटिक स्प्रिट को बढ़ावा देना चाहिये और इस बात को प्रोत्साहन देना चाहिये कि जब सदन इतकी दफे मिल जावे तो भी आप इसको सदन में लाते। आप सारी गल्तियों को सदन के सामने लाते बजाय इसके कि हमको यह मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय हमको लॉ पढ़ाता है और हमारा इतना बड़ा लॉ डिपार्टमेंट चलता है जिससे हमारा कोर्ट और कानून का राज्य कायम है, ठीक नहीं है। इसके साथ साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेज की वसूली के बारे में अधिकारी वर्ग है उनका रवैया उचित नहीं है। मैं यह कहूंगा कि टैक्सेज जो वसूल करते हैं उससे ज्यादा वसूल हो सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि आप जिनको एजेन्ट बना कर टैक्सेज लेना चाहते हैं उनको आप बेईमान समझ कर, हैरेस करके टैक्स

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेना चाहते हैं। आपके कर्मचारी इस हद तक जाते हैं उनको हैरेस करने कि कई लोग अपनी दुकानें छोड़ कर भाग गये। आज आप रैवेन्यू कोर्ट से पैसा वसूल नहीं कर सकते। मैं सारी डिटेल्स में बाद में कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से सिनेमा शो में टिकट चलते हैं उसी तरह से टैक्स के टिकट होने चाहिये, जिससे खुद टैक्स देने वाला समझ ले कि टैक्स इस पर छपे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वह रुपया खजाने में नहीं जावेगा। आपको इसके लिये कहा गया कि आप टिकटों पर रैवेन्यू स्टाम्प लगवा दें; आप कहते हैं कि फुर्सत नहीं है; आप यह जवाब देते हैं। आज लगातार तीन-चार साल से इस बात को करते हैं मगर कोई अधिकारी वर्ग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते और सुनना नहीं चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़े व्यापारी वर्ग के आदमी को हैरेस कर सकता है।

नीम के थाने के बारे में लाखों का गड़बड़ घोटाला बताया गया। उसमें कई लोगों को हैरेसमेंट किया गया। अगर हम किसी को हैरेसमेंट करने के लिये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम डेमोक्रेसी को खत्म करने जा रहे हैं। आप उनकी किताबें उठा कर ले आवें और उनको वापिस नहीं दें। आपने जिन अधिकारियों को अधिकार दिया है वह इसलिये नहीं दिया है कि वे उनको बरबाद करें और हैरेस करें। दूसरे मुल्कों में भी टैक्सेज होते हैं। आपके यहां पर टैक्स वसूल करने के लिये कर्मचारी नियुक्त हैं मगर वहां पर दूसरे मुल्कों में कोई उनसे टैक्स वसूल करने के लिये नहीं जाते हैं। टैक्स-पेअर खुद टैक्स आकर जमा करा जाते हैं। वहां पर इस प्रकार का कानून है मगर इतना स्टाफ नहीं लगता। जो कोई बेईमानी करता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उससे ५ गुणा या ६ गुणा जुर्माना लिया जाता है। अगर कोई टैक्स नहीं दे और गलती पकड़ी जावे तो उस समय अधिकारी को हक होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय तक उसके खिलाफ जा सकता है। मगर यहां पर हम देखते हैं कि हिसाब में कोई गलती नहीं होगी और केस उसके खिलाफ नहीं बनता होगा तो भी उस व्यक्ति को हैरेस किया जाता है। मैं यह कहूंगा कि जिसको अधिकारी चाहेंगे, उस पर महरबानी करेंगे और जिसके खिलाफ होंगे, उसको कटवा देंगे। इस तरह से लोगों को तंग किया जाता है। अधिकारियों को जो अधिकार दिये जाते हैं उनका दुरुपयोग सिफारिशों से होता है और इस कारण से वसूलतें पड़ी रहती हैं। हमारे वित्त मंत्रीजी ने वसूलियात के बारे में कितनी दफे चार्जेज लगाये उस समय वायदा किया कि ६ महीनों में वसूलियतें करेंगे, मगर नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि अब मोटरों की वह कीमत नहीं रही। अगर वे उनकी मोटरों को पकड़ कर बिकवा दें तो भी उनसे वे टैक्सेज वसूल नहीं हो सकते। टैक्सेज की रकम उनमें इतनी ज्यादा बकाया है।

इस तरह से टैक्स जनता की जेब से चला जावे और सरकारी खजाने में पहुंचे नहीं और फिर सरकार २० परसेन्ट के बजाय २५ परसेन्ट टैक्स बढ़ाती है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि गाड़ियें ओवर लोडेड चलती हैं। आप गाड़ियों की संख्या बढ़ा दीजिये। आप जितने टैक्सेज

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

५ परसैन्ट टैक्स ज्यादा लगा कर बढ़ाना चाहते हैं आदमियों पर, उससे ज्यादा टैक्स आपको २० परसैन्ट से ही वसूल हो जावेगा। आपके कर्मचारी और आर. टी. ओ. पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, आप गाड़ियें बढ़ावेंगे नहीं, आपके अधिकारी काम नहीं करेंगे और आप हम पर टैक्सेज लगा कर और वसूल करके अफसरों को तनख्वाह बांटेंगे। आज टैक्सेज बहुत बढ़े हुए है और अब अधिक टैक्सेज को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे मासेज में नहीं रही है।

इस बात को रियेलाइज करना चाहिये। इस बड़ी भारी मशिनरी के नीचे गरीब आदमी बिलपिला रहे हैं, उस आदमी की हड्डी टूटे इससे पहले सरकार को सम्भल जाना चाहिये। गाड़ियों की गिनती बढ़ाकर टैक्सेज की वसूली कीजिये, बजाय इसके कि २० से २५ करें। इससे न सरकार को किसी प्रकार का फायदा होता है और न ही जनता को किसी प्रकार का फायदा होता है, बल्कि जनता को इससे पीसा जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ में ग्रोपरेटिव पार्ट का विरोध करता हूं और जो इसमें देरी की गई है उसके लिए सरकार को कहना चाहूंगा कि इसे सरकार को कमिट करना चाहिए कि वह आयन्दा इस प्रकार के मामले में देरी नहीं करेगी, ढिले नहीं करेगी, साधारण तरीके को हम सेशन में ही काम में लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण !

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखूं जो ऑर्डिनेन्स इस विधेयक के सम्बन्ध में निकाला गया है, १५ और २० प्रतिशत का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कायदे-कानून को गैर-कानूनी करार दिया है। तो हमें यह सोचना है कि कायदे-कानून में जो दिक्कत आई है उससे किस पर असर पड़ता है।

मोटर के मालिकों ने यह कर वसूल किया है और वह रुपया वे लोग अपने पास रखे हुए हैं। जहां तक इस कर का सवाल है, वह आम आदमी से पूरी तरह वसूल हो चुका है, जो गरीब आदमी कर देते हैं, उनके पास से वह कर मोटर मालिकों के पास आ गया है। यह विधेयक नहीं निकालें तो क्या वह कर का रुपया वापिस गरीबों को मिल सकता है, नहीं, आज वह टैक्स का रुपया जो गरीब आदमियों से वसूल किया गया; वह किसी भी हालत में उन गरीब आदमियों के पास नहीं जा सकता। कुछ धनी लोग हैं, जिनमें कर का लाखों रुपया बकाया है, उन लोगों ने कानून के दरवाजे खटखटाये। कानून में यदि किसी प्रकार की थोड़ी सी भी कमी होती है तो ऐसे धनिक लोग, जिनमें करों का लाखों रुपया सरकार का बकाया है, वे कानन का दरवाजा खटखटाते हैं। तो उन लोगों ने कानून का दरवाजा खटखटाया, जिनमें कि लाखों रुपया टैक्सेज का बकाया है।

तो गरीब जनता जिसने अपना खून और पसीना एक करके पैसा कमाया वह पैसा उन लोगों के पास चला गया, जिन्होंने कि किसी प्रकार की मेहनत नहीं की, कोई पसीना नहीं बहाया। इन लोगों ने गरीबों से यह

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
पैसा वसूल किया, इस पैसे को सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया, अपने पास ही रखा और न्यायालय में जाकर इन लोगों ने अपील की कि राजस्थान सरकार उनसे यह पैसा नहीं ले।

मैं तो राजस्थान सरकार से कहता हूं कि उन लोगों ने लाखों रुपया वसूल किया है; उन्हें यह पैसा राजस्थान सरकार के खजाने में जमा कराना चाहिए था, वहां जमा नहीं करा के उन लोगों ने अपने पास ही रखा तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपराध किया है; ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है; ऐसे लोगों पर सरकार को मुकदमा चलाना चाहिये। उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठना चाहिये, न केवल ऑर्डिनेन्स लाकर केवल वसूली ही करनी चाहिए। जहां तक १५-२० परसेंट का सवाल है, वह आपने बढ़ाया। पर जिन लोगों ने टैक्सेज का रुपया सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में आपकी ओर से शिथिलता है, वह शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।

राजस्थान विधान सभा में कई बार इस प्रकार की मांग रखी गई है, इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अनेकों बार इस सदन में प्रश्न उठाया है कि यात्रा-कर के सम्बन्ध में गड़बड़ी को, घोटाले को यदि बन्द करना है तो सरकार को टिकिट छापने चाहिए। कल नासिक का सवाल आया था। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की मशीन यहां प्रेस में लगाने में, एक लाख रुपया, २ लाख रुपया और यदि ५ लाख रुपये में ऐसी मशीन आती है तो ५ लाख रुपया खर्च करके भी हमारे यहां इस प्रकार की मशीन लानी चाहिये; उस मशीन से टैक्सेज के टिकिट छाप लेंगे तो १० लाख का फायदा दो साल में ही हो जायगा और टैक्सेज की चोरी बचेगी। एक फायदा और होगा कि एक महीने का टैक्स वसूल करके मोटर मालिक अपने पास रख लेते हैं, वे लोग ७ तारीख को जमा कराते हैं, कभी कभी तो महीनों तक जमा नहीं कराते हैं, आम तौर से सभी ३७ दिन बाद आपको टैक्स का रुपया देते हैं, इस प्रकार टिकिट छपा देने से उन लोगों को पहले ही आपके पास रुपया जमा कराना पड़ेगा और इस प्रकार लाखों रुपया आपके पास जो, पहले ३७ दिन बाद और कभी कभी तो कई लोगों का रुपया कई महीनों बाद आता था, वह आपके पास पहले ही आ जावेगा। इसलिए इस ओर आपको ध्यान देना अत्यावश्यक है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चाहे ऑर्डिनेन्स लाएं, चाहे अध्यादेश लायें, जिन लोगों के पास सरकार का लाखों रुपया बकाया है, वे लोग हमेशा कानून के दरवाजे खटखटाते रहेंगे। डेमोक्रेसी में यह सिद्धान्ततया ठीक है कि कानून से किसी को कोई फायदा मिल सकता है तो वह कानून का दरवाजा खट खटायेगा, वे लोग सरकारी टैक्स का रुपया सरकार के खजाने में जमा करता देते और फिर न्यायालय में जाते कि यह रुपया उन्हें रिफण्ड किया जाय, तो कुछ समझ में आ सकता था, पर वे ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके अन्दर टैक्सेज का लाखों रुपया बकाया है, बकाया पेटे वह रुपया जमा कर लिया जाता। इसलिए उन्होंने वह रुपया सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया, गरीब लोगों से वह रुपया वसूल कर लिया और फिर न्यायालय में चले गये, तो इन लोगों के प्रति सरकार को कड़ा और ठोस

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इस अपनाना चाहिये।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने टिकिट छापने की बात कही है, वह सरकार को शीघ्र ही करनी चाहिये। जिससे कि टैक्स की चोरी करने वाले लोग चोरी न कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बराबर टैक्सेज देते है वे भी चोर और जो लोग टैक्स नही देते हैं वे साहूकार हैं। अलवर के बस ऑपरेटर्स का एक सवाल मेरे सामने आया था कि सैल्स टैक्स ऑफिसर, सी. टी. ओ. जाते हैं, उस जिले के जितने बस ऑपरेटर्स है, दो-चार को छोड़कर, सब समय पर पैसेंजर्स टैक्स देते हैं, उनके खिलाफ साल भर में कोई भी बुरा रिमार्क नहीं है, इसके बावजूद भी उन लोगों पर ५०० रुपये, १००० रुपया पेनल्टी सैल्स टैक्स वाले ठोक देते हैं, यह कहते हैं कि तुम्हारी इन्कम कम है। जो लोग टाइम पर टैक्स देते हैं, जो कम्प्लेन्ट बुक आपने उनको दे रखी है, उनमें उनकी कोई शिकायत नहीं है। उन लोगों पर एक एक हजार रुपया पैसेंजर्स टैक्स का लगाकर आप उन लोगों में भी, जो समय पर पैसेन्जर्स टैक्स का भुगतान कर देते हैं, उनमें यह वृत्ति पैदा करना चाहते है कि वे भी चोरी करें। एक तरफ आपके ऑफिसर्स की यह मनोवृत्ति है और दूसरी तरफ जो लोग सैल्स टैक्स की चोरी करते हैं, इतने कल पूर्जे, पार्ट्स बेचते हैं, सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते। चार-चार, पांच-पांच वर्षों से ट्रक्स लोगों की चलती है पर उन्होंने आज तक एक भी पैसा टैक्स का नहीं दिया है बसेज चलती हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया है उनके विरुद्ध आपके ऑफिसर्स कोई कार्यवाही नहीं करते। इसका एक कारण यह भी है कि आपके सेल्स टैक्स ऑफिस और ट्रान्सपोर्ट विभाग में तालमेल नहीं है।

किसी भी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट वाले पैसेन्जर टैक्स क्लीयरेंस के बाद अगर ट्रांस्फर कर देते हैं तो कोई जुर्म नहीं है। आपके टैक्सेज को बढाने के बजाय यदि इन टैक्सेज को, जो राजस्थान सरकार ने पैसेंजर टैक्स या गुड्स टैक्स के नाम से सरकार ने जनता पर लगा रखी हैं, इनको वसूल करने में पूरी दिलचस्पी रखें तो स्वतः ही टैक्स की बढोत्तरी होगी। दूसरे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लेकुना बताए हैं। यह आम जनता के हित की बात है। इससे हित किसी का नहीं होता है। राजस्थान सरकार ने फाइनेन्सेज को बढाने के लिये यह ऑर्डिनेन्स निकाला, उसकी तो मैं सराहना करता हूं, पर साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लेकुना, जहां आम जनता के टैक्स का सवाल है, उसमें यदि रहते हैं तो आप अपने लॉ डिपार्टमेन्ट को पाबन्द करें क्योंकि इसी अध्यादेश के बारे में मैंने कहा था कि यदि इसको पास करना है तो बहुत सोच-समझ कर करना चाहिये, आपका लॉ डिपार्टमेन्ट कमजोर है तो आप दिल्ली से सलाह कीजिए, नहीं तो लोग फिर ऐतराज करेंगे और कानून में लेकुना पैदा होंगे और यही सवाल आज फिर आ गया। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके कानूनी सलाहकार हैं उनको फिर सोचना चाहिये क्योंकि यह टैक्स हमारी जनता का है, वह उन लोगों के पास आ चुका है उसके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बाद भी वे नही दे रहे है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतें और टैक्स वसूल करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सरकार बराबर टैक्सेज के बिल्स ला रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी कमजोर क्यों है। हजारों ट्रक और बस मालिक ऐसे हैं जिनमें टैक्स बकाया है और वे राजस्थान के बाहर चले गये हैं और कुछ बसों वालों ने और ट्रक वालों ने तो इंजन और चैसिस को बदल दिया है, उसके बाद जनता से टैक्स वसूल करते हैं। परन्तु गरीब लोगों पर भार डाल दिया। जो पहले मोटर से चलते थे सरकार उनके लिए चाहती है कि अब पैदल चलें। सरकार चाहती है कि हम समाजवाद लाएं लेकिन वह समाजवाद नहीं लाना चाहती। वह बड़े आदमियों को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहती है। आज सरकार ने बजट के अन्दर घाणीवालों पर भी टैक्स लगाया। आज जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं उन पर बोझ डाल दिया। जो छोटे-छोटे बस चलाने वाले हैं, उनका सारा धंधा सरकार ने छीन लिया। कोई बस चलाकर गुजर करता है, कोई घाणी चला कर गुजर करता है। कोई छोटी छोटी दुकान करके गुजर करते हैं, उन पर क्या टैक्स लगाते हैं टैक्स तो उन लोगों पर लगाना चाहिये, जैसे राजस्थान विनायल एण्ड केमीकल इंडस्ट्रीज हैं जो एक हजार के ६ हजार उठाते हैं, उन पर ४ परसेंट लगा दें। बिजली के उनमे ३ पैसे यूनिट के लिए जाते हैं और किसान से १२ पैसे लिए जाते हैं। जो लाइम स्टोन ६ चीजें बनाता है, उन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है। बॉल बेयरिंग फैक्ट्री, सोप स्टोन और दूसरे ऐसे बड़े-बड़े कारखाने हैं उन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। हम लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं। आज छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके कोई कलकत्ता जाता है तो कोई बम्बई चला जाता है, गांव के गांव सूने हो रहे हैं। किसान गांव में जरूर बैठा है, बाकी दूसरे लोग जो हैं, उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। आप सेल्स टैक्स ऑफिसर्स से पूछिए, पहले १५ हजार की छूट थी अब पांच हजार साल कर दिया। आप ३००) पर-कैपीटा इन्कम मानते हैं, अब जिस बेचारे को १० बच्चे या ८ बच्चे हों, वह क्या खाएगा ? ३००) रुपए में क्या लड़कों को पढ़ायेगा ? खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं, पहिनने के लिए मिलता नहीं। मकान की तो बात ही छोड़िए। आपने ३००) पर-कैपीटा इन्कम मानकर टैक्स लगाया, यह ठीक नहीं है। जो भी व्यापारी ३००) रु० कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तब समाजवाद माना जायगा।

मैंने बराबर बजट के अन्दर सरकार से कहा कि आपने पैसेंजर टैक्स और गुड्स टैक्स एक्ट लगाया। आपका वित्त विभाग कहता है, कमिश्नर साहब कहते हैं कि मोटर गाड़ियां जो चलती हैं उनकी सीट पर टैक्स लगाओ। ट्रांसपोर्ट विभाग और आपका डिपार्टमेन्ट जब तक एक नहीं होंगे तब तक टैक्स वसूल नही होगा। यह टैक्स तो व्यापारी हम लोगों से वसूल करके अपने घर में रख लेते हैं। मैं आज यहां आया जलेबी चौक से होते हुए तो कई मोटर गाड़ियां देखी किसी पर १०-१२ हजार बकाया है, तो किसी पर ८ हजार, तो किसी पर ६ हजार बकाया हैं, लेकिन वे मोटरें तीन-तीन हजार की हैं;

(श्री मुक्तिलाल मोदी)
मालिक कहते हैं कि हमारी मोटर को ही ले लो। यह तरीका है हमारी सरकार का, जो मेरी समझ में नहीं आता।

ट्रांसपोर्ट विभाग और आपका पैसेंजर टैक्स का विभाग एक ही होना चाहिए। जयपुर स्टेट के जमाने में दोनों एक थे। तब टैक्स वसूल होता था। ट्रांसपोर्ट विभाग को एप्लीकेशन दें तो ६-६, १२-१२ महीने या डेढ़ साल में मोटर पास करते है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार दिन प्रति दिन टैक्स क्यों लगा रही है, वह कुछ दिमाग से तो काम करे। सरकार का कितना रुपया वसूल होता है? यहां तो आदमी भी तंग आ जाते हैं। जनता की सरकार होने के बाद भी हमारा तो भीखपन का धंधा हो गया है। कोई कॉलेज बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, तो जब तक १२ महीने धक्का नहीं खाएंगे तब तक काम नहीं होगा। तो क्या यह समाजवाद है? आप कहते है कि समाजवाद लायें। वह समाजवाद नहो है। लेकिन हमारा तो मुंह बन्द है। आप कहते हो, हाथ ऊंचा करो, इसलिए हाथ ऊंचा करना पड़ता है।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर' 'हियर')

इसलिये मेरा सरकार से कहना है कि उसको ऐसा बिल नहीं लाना चाहिये। हाउस के सामने कहता हूं कि सरकार का पैसा और अपना पैसा मैं एक ही बात समझता हूं। सरकार के पैसे को मैं दूसरा नहीं समझता और सारे एम. एल. एज. सरकार के पैसे को अपना समझ लें तो देखें कि कैसे बिल लाते हैं, सारे के सारे एक साथ हो जायें तो कहेंगे कि ऐसे बिल क्यों लाते हो; क्या जरूरत है? लेकिन हम कहते है लेकिन करते नहीं हैं। इसलिये बिल को वापिस ले लें और बिल में कमी है उसको दूर करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर अभी विचार किया जा रहा है। यह यात्रीकर वास्तव में उन लोगों पर लगाया गया है, दो साल पहले इस पर विचार हुआ था तब भी कहा था कि जिनके पास पैसा नहीं है, निजी कार नहीं रख सकते हैं, दूर जाना पड़ता है तो बस में बैठ कर जाना पड़ता है और आना पड़ता है। बस में बैठ कर अजमेर से यहां पर आये तो यात्रीकर का ६० पैसा देना पड़ता है और निजी कार है और उसमें बैठ कर आयें तो उसको कोई कर नहीं देना पड़ता है। एक्ट बनाने वाले ऐसे लोग है जिनके पास कारें हैं और प्रस्तुत करने वाले भी वे ही लोग हैं जिनके पास कारें हैं, यह समाजवाद की रीति-नीति के बिल्कुल खिलाफ बात है। समाजवाद मे जिनके पास धन है, बैठने के लिये जिनके पास गाड़ियां हैं, उनको लेने के लिये जिनके पास पैसा है, उन पर टैक्स न लगे और टैक्स उन पर लगे जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से किराया दे पाते हैं वह यह भी टैक्स दें।

जहां तक यह बिल लाया गया है उसको इसलिये ठीक मानता हूं कि यह पहले लाया गया है, लोगों से टैक्स के रूप में बस मालिकों आदि ने पैसा वसूल कर लिया, बस वालों के पास पैसा चला गया, वह किसी कानूनी दृष्टिकोण से पैसा वसूल नहीं हो रहा था। १५–२० परसेन्ट का सवाल था, वह वसूल हो जाता तो ठीक था। लेकिन इस जजिया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कर को बढ़ाया गया। पहले उन लोगों पर यह जजिया कर लगता था जो चोटी रखते थे। आज उन लोगों के ऊपर लगा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। बदनसीब हैं, पैसा नहीं है उनको पैसा देना पड़ेगा और गाड़ी पास में हैं तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी १५से२० और २०से२५ परसेन्ट किया गया। मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय से कि दस हजार गाड़ियां इस प्रान्त में चलती हैं। सही तौर पर विचार किया जाय तो उदाहरण तैयार है। ४०० से अधिक वे गाड़ियां हैं जो सरकारी कॉर्पोरेशन के द्वारा चलायी जाती हैं, उसके यातायात कर का ५० लाख रुपया सरकार के खजाने में आता है और १०,००० कारें, गाड़ियां आदि बाहर चलती हैं उससे उनका यात्रीकर १ करोड़ रुपया आता है। ३ रुपया रोज एक गाड़ी पर मिला और ४०० गाड़ी का ४ हजार रुपया मासिक मिला। डिपार्टमेन्ट को यह देखने की फुर्सत नहीं है और ग्रट से टैक्स लगाने वाले मंत्री महोदय को फुर्सत मिल गयी कि वे टैक्स बढ़ायें। मैं इसको प्रान्त का दुर्भाग्य मानता हूं ४०० गाड़ियां ५० लाख रुपया देती हैं तो क्या कारण है कि १० हजार गाड़ियां एक करोड़ रुपया ही दें? वे कर खाते हैं; कर की चोरी करते हैं। दो-दो, तीन-तीन साल तक हिसाब नहीं देते हैं। बकाया उनका है जिन्होंने असेसमेन्ट करा लिया है। ऐसे लोग हैं जिनका असेसमेन्ट नहीं होता है। कोई अधिकारी सख्त हो तो कोई साहब सिफारिश कर देते हैं, अधिकारियों को नौकरी करनी है, डर लगता है उनको, यदि साहब की बात न मानें तो कभी जालोर भेज दें, कभी बाड़मेर भेज दें। इस हिसाब से लाखों रुपया खा लिया है। जिनकी हैसियत दो हजार की है उनमें ४० हजार रुपया बाकी है। उन गाड़ियों को फाइनेन्स किया, पुरानी गाड़ियां थीं बेच दी, उनसे पैसा लेने की हिम्मत नहीं। इस तरह लाखों रुपया डूब गया। जांच कोई करना चाहे, सरकार के खजाने में इस विभाग से पैसा आजाना चाहिये था, जनता ने डेवलपमेन्ट टक्स का पैसा दे दिया और किस कारण से, किस की सिफारिश पर एक व्यक्ति यह पैसा खा गया और सरकारी खजाने में नहीं आया?

एक गरीब पटवारी लगान वसूल कर जेब में रख लेता है और एक महिने में जमा नहीं कराये तो उसको सजा देते हैं। लेकिन एक बस ऑपरेटर सरकारी कर का लाखों रुपया वसूल कर लेता है, उसको कोई नोटिस नहीं देते, तारीख होती है और उनके बंगलों में ठहरते हैं। बड़े बड़े बंगलों में देखा है मैंने लोग सिफारिश कराने आते हैं कि कर अभी वसूल न किया जाय या असेसमेन्ट नहीं किया है तो कुछ दिन रुकवा दीजिये। यहां बैठे रहते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह रकम सरकारी खजाने में आये उसके लिये बाधक बनते हैं। यहां बैठने वाले बाधक बनेंगे तो यह राज्य चलने वाला नहीं है। आप टैक्स लगाते हैं प्राइवेट कारों पर, मैंने गत वर्ष भी कहा था तो यह कहा गया कि अब लगेगा। प्राइवेट कारों के कुछ टैक्स हैं बस वाला एक सीट का ३५ रुपया देता है तो प्राइवेट कार वाला २५ रुपया देता है। यात्री कर प्राइवेट कार वाले क्यों न दें? यह बात समझ में नहीं आती। यह तब ही लग सकता है जिन्होंने यह प्रारूप बनाया है उनके पास कारें न हों, गरीब हों और बसों में चलते हों, बिल प्रस्तुत करते हैं उनके पास कारें

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

न हों, तब ही उनको पता लगेगा कि नहीं लगाते हैं तो क्या होता है । छोटी–मोटी ३० हजार कारें हैं उन पर कर लगायें तो कमी घाटे का सवाल नहीं उठता । जो ड्राइवर रख सकते हैं, ठाठ से रह सकते हैं वे ५० रुपया यात्री कर के रूप में क्यों न दें ? धनवानों को आप छोड़ते हैं यह वाजिब बात नहीं है यह बजट की बात नहीं कहूंगा । टैक्स लगा है प्रायः ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जो गरीब हैं; हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो बड़े लोगों पर पड़े । २०-२५ प्रतिशत लगाया है उसको १५-२० कर दें और सदन में वसूली के लिए आश्वासन दिलायें कि जिस प्रकार रोडवेज का पैसा आता है उसी माफिक इस पैसे के आने के लिए एक कमेटी बिठायेंगे कि यह पैसा क्यों नहीं दिया जाय । महीने में दो-सौ, तीन-सौ रुपया उनसे आये और ८० मील वाला हजार रुपया माहवार दे । यह सारा इतना बड़ा विभाग है, बड़े बड़े लोग उसमें हैं, काफी बुद्धिमान लोग हैं । मंत्री महोदय हैं, उनको हिसाबी आदमी मानता हूं । या तो वे वसूल करते नहीं या जानबूझ कर चोरी होती होगी कि चलने दें । अध्यक्ष महोदय, टैक्स बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे तो यह काम करेंगे और टैक्स बढ़ाते जाते हैं तो काम में दिलचस्पी नहीं होगी ।

(२.०० म० प०)

आप पुराना पैसा तो सख्ती से वसूल नहीं करेंगे, नये-नये टैक्स जनता पर लगाते जायेंगे । जहां तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेन्ट होने पर जो हमें इसमें संशोधन लेना पड़ रहा है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है उसके लिये मेरा निवेदन है कि जिनके पास कारें हैं उन पर पैसा बढ़े । इतना ही मुझे इस बारे में निवेदन करना है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में कई मुद्दे उठाये गये हैं । यह बिल जो सदन के सामने है उसके दो हिस्से हैं । एक हिस्सा तो वह है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट के कारण उसके कारण यह लाया गया । उसके बारे में तो माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है ।

इसका जो दूसरा हिस्सा है, जिसके द्वारा बीस परसेण्ट से टैक्स बढ़ा कर पच्चीस परसेन्ट किया गया है, उसके सम्बन्ध में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले बात कही ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Is this so unimportant a bill ? क्या यह बिल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसके लिये कोई केबीनेट-स्तर का मंत्री सदन में उपस्थित न हो.........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं डेलीगेटेड हूं, इसके डिप्टी मिनिस्टर हैं उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे उपस्थित नहीं हो सके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब लेजिस्लेटिव बिजनेस चलता हो हाउस में और उस समय केबीनेट-स्तर का कोई मन्त्री उपस्थित नहीं हो, यह अफसोस की बात जरूर है । जहां तक जवाब देने का सवाल डिप्टी मिनिस्टर कोम्पीटेण्ट हैं वे दे सकते हैं, लेकिन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव बिज़ीनेस हाउस में चलता हो, उसका जवाब केबीनेट स्तर का मंत्री न देकर डिप्टी मिनिस्टर दे, यह ट्रेडीशन है कि उसका जवाब केबीनेट स्तर का मंत्री ही दे। पार्लियामेंट में भी हमने देखा है मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है बिल्स पर जो बहस होती है या ऑर्डिनेन्स पर जो बहस होती है उसका यह मैं मानता हूं कि आप वित्त मंत्री महोदय से ज्यादा कॉम्पीटेन्ट हैं, कानूनी मुद्दे उनसे ज्यादा समझते हैं। कौल साहब यदि जवाब देंगे तो वे खुद ही अपनी बातों में उलझ जायेंगे, वे इस बारे में कुछ नहीं समझते।

श्री रामप्रसाद लड्डा : He has brie-feed me and according to that I am replying.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी मिनिस्टर, फाइनेन्स आ सकते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब २८ फरवरी को सेशन चालू होने वाला था तो ७ फरवरी को यह जो ऑर्डिनेन्स के जरिये टेक्सेज में इन्क्रीज की है वह आपत्तिजनक है।

मैं इस बात का जवाब देने के लिये इसके पीछे क्या हिस्ट्री है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्लानिंग कमीशन बहुत समय से इस बारे में रिसोर्सेज बढ़ाने की दृष्टि से हमें यानि राजस्थान सरकार को कह रहा था। सितम्बर के अन्दर प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी की मीटिंग हुई उसमें गुजरात, मध्यप्रदेश, यू०पी० पंजाब वगैरह सभी स्टेट्स मौजूद थीं उस जॉइन्ट कमेटी के अन्दर इस सम्बन्ध में चर्चा की गई कि किस तरह से रिसोर्सेज बढ़ायें जायं। राज्य सरकार को अपने रिसोर्सेज से आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता यों भी थी कि डिफेन्स डेवलपमेन्ट के अलावा राजस्थान के २४ जिलों के अन्दर अकाल है, उसकी वजह से भी हम चाहते थे कि किसी भी तरह से हमारे आय के साधन बढ़ें, जिसमें हम डेवलपमेन्ट के कामों और राहत के कामों को गति दे सकें। सितम्बर के अन्दर मीटिंग हुई उसमें तय पाया कि जो वर्तमान में आय के साधन हैं, उसके लिये जो टेक्स लगाये गये हैं उसमें २५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाय। जब इस बात का तय पाया गया तो उसी आधार पर केबीनेट के अन्दर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस तरह से इन्क्रीज की जाय।

ऑर्डिनेन्स क्यों लाया गया इतना टाइम किस वजह से लग गया, उसको जस्टिफाइ करने की दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं। असेम्बली ९-१०-६५ को एडजॉर्न हुई थी, उसके बाद में जो यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंन्ट का हवाला दिया गया। उस जजमेन्ट की कॉपी हमें १२-१०-६५ को मिली। उन डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिये हमने ऑर्डिनेन्स तैयार किया, उसी बीच में सितम्बर के अन्दर मीटिंग के अन्दर तय पाया था कि टेक्सेशन के इन्क्रीज और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ, उसके अनुसार डिफेक्ट्स दूर करने के लिये दोनों का मिला-जुला ऑर्डिनेन्स तैयार करके गवर्नमेन्ट ऑफ

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इन्डिया को भेजा। चूंकि प्रीवियस इन्स्ट्रक्शन पर प्रेसीडेन्ट कन्सेन्ट प्राप्त करना जरूरी था, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को वह ऑर्डिनेन्स भेजा गया उसमें टैक्सेशन के इन्क्रीज के सम्बन्ध में भी प्रोपोजल इनकॉरपोरेट किये गये साथ ही सेक्शन चार के संबध में जो कमियां थीं उसके लिये उसमें प्रावधान था। जब वह ऑर्डिनेन्स गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास गया, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से ३-१२-६५ को स्वीकृति आयी उसमें टैक्सेशन के इन्क्रीज करने के प्रोपोजल को अलग कर दिया गया।

सेक्शन ४ के बारे में ऑर्डिनेन्स निकालने की बात थी, उसको एप्रूव कर दिया गया। जब ३-१२-६५ को भारत सरकार से एप्रूवल आ गया, उसके अनुसार ऑर्डिनेन्स निकाल दिया उसके बाद हमने जो इन्क्रीज के बारे में था, उसको टेक अप किया गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री से, प्लानिंग कमीशन से उसके बाद अल्टीमेटली सारी कोशिशों के बाद में भारत सरकार से एप्रूव होकर हमारे पास आ गया उस वक्त यह लिखा था कि जो टैक्सेज के इन्क्रीज के बारे में प्रोपोजल थे, उनको आप इसमें इनकॉरपोरेट कर सकते हो। उस वक्त चूंकि ३-१२-६५ को पहले वाला ऑर्डिनेन्स निकल चुका था, उसमें उसको रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नया ऑर्डिनेन्स निकालना आवश्यक हो गया। उसका ड्राफ्ट किया गया और फिर परमीशन के लिये भारत सरकार के पास भेजा गया और वहां से ३१-१-६६ को स्वीकृत हो कर हमारे पास आया और उसके बाद हमने ७-२-६६ को ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। इसतरह से जब कि हम बजट प्रोपोजल मार्च में रखने जा रहे थे फिर फरवरी में क्यों ऑर्डिनेन्स निकाला यह भी कहा गया। वह इस लिये निकाला कि आप जनता को यह बताना चाहते थे कि हम बजट में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाने वाले हैं यह बातें कही गईं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का सिद्धान्त इसके पीछे नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया। हमें प्रेजीडेन्ट की स्वीकृति आदि मिलने में काफी देरी हुई उसके कारण हमें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। हम तो इस बारे में सितम्बर, अक्टूबर में ही तय कर चुके थे।

यह भी कहा जा सकता है कि ७ फरवरी को जब ऑर्डिनेन्स निकाला मार्च में बजट पास होता और इसको अप्रेल में पास करवाया जा सकता था। मैं अर्ज करना चाहता हूं जिस प्रकार फाइनेन्शियल सिट्रन्जेन्सी के आधार पर स्टेप लेना था वह बहुत पहले सितम्बर, अक्टूबर में फैसला कर चुके थे, इसके कारण आलरेडी देरी हो गई। उससे लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। अगर हम फरवरी में भी ऑर्डिनेन्स नहीं निकालते तो तीन महिने की आर्थिक हानि और उठानी पड़ती। मैंने सारी सर्कमस्टान्सेज सामने रखीं कि किन परिस्थितियों में हमें यह करना पड़ा।

ऑर्डिनेन्स का लाना अपने आप में एब हो या संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से अपराध हो, यह बात नहीं है। संविधान में इसके लिये प्रावधान है कि यह लाया जा सकता है। क्योंकि उसकी एप्रूवल बाद में विधान सभा द्वारा ले ली जाती है। आज वह जमाना नहीं, जब कि चुने हुए प्रतिनिधियों की असेम्बली नहीं होती थी वैसा समय होता तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कुछ कहा जा सकता था। इसलिए इस पर यह कहना कि ऑर्डिनेन्स का राज हो गया। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। ऑर्डिनेंस निकालने के बाद एक पार्टी को कुल पीरियड के अन्दर असेम्बली की एप्रूवल लेनी पड़ती है। यदि नहीं ली जाती है तो वह ऑर्डिनेन्स नलीफाइ हो जाता है। जिन परिस्थितियों में यह ऑर्डिनेन्स लाया गया वह मैंने सदन के सामने परिस्थितियां रख दी है।

दूसरा सवाल यह किया जाता है कि ऑर्डिनेन्स जो लाये जाते हैं वे केवल इनकम बढ़ाने के लिये लाये जाते हैं और जो ऑलरेडी इनकम है उसको सख्ती के साथ वसूली के लिये कदम नहीं उठाये जाते.......

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप यह बता दीजिये कि कुल बकाया कितनी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वही मैं बता रहा हूं.....

तो मैं इस सम्बन्ध में १९६१-६२ से आज तक के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे यह मालूम हो सके कि कितनी रकम हमारी बाकी है और क्या स्थिति है: ६१-६२ रेवेन्यू कलेक्टेड ८५६६ हजार थी, Assessment made duiring the year ४१३७ हजार था, असेसमेंट डिसाइडेड ४ लाख ८२ हजार एरियर्स रहे ४ लाख ११ हजार।

६२-६३ रेवेन्यू कलेक्टेड ८५.६६ लाख से १२५ लाख ३६ हजार, असेसमेंट डिसाइडेड १३३९ हजार, १२६४ हजार हमारे एरियर्स रहे।

६३-६४ ११५ लाख से १५४ लाख, ८१.११ असेसमेंट मेड, २१.१५ लाख असेसमेंट डिसाइडेड, २२ लाख के एरियर्स।

६४-६५; १६२.८ हजार रेवेन्यू कलेक्ट हुई, Assessment made during the year ९ लाख ६६४ हजार असेसमेंट डिसाइडेड १२ लाख ३५ हजार, ११.१५ लाख एरियर्स रहे।

इन ३११६ हजार एरियर्स में से ८ लाख वसूल हो चुके हैं इस प्रकार २३ लाख एरियर्स के बकाया हैं, उनमें ७ लाख का अमाउन्ट पेनल्टी का इन्वॉल्व्ड है। पेनल्टी के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि यह इर्रेलेवेंट है, इरिकवरेबल है। इसके लिये राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है इसलिये ७ लाख पेनल्टी के हम कायदे से हाई कोर्ट का जजमेंट हो जाने के कारण वसूल नहीं कर सकते, पर इसे पेंडिंग इसलिए रक्खा है यदि सुप्रीम कोर्ट में यह जीत जाते हैं तो इस रकम की वसूली कर सकते हैं। यह मैंने एक पॉइन्ट ऑफ व्यू से अर्ज किया।

मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई, वह किसी हद तक सही हो सकती है। यह फीगर्स इस आधार पर हैं "असेसमेंट मेड ड्यूरिंग दी ईयर"। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मामलों में असेसमेंट नहीं हुआ हो, उनकी रकम बाकी हो सकती है और एरियर्स शायद बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है, कोई असेसमेंट बाकी है जो किया जाना था, पर वह ५० पर्सेंट अधिक असेसमेंट ट्रक्स का किया जाना है, ट्रक्स का चूंकि लम्पसम रखा गया है, इसलिए लम्पसम जमा हो जाता है। इसलिए इसमें कोई खास फरक नहीं हो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकता। इसके अलावा एड्वान्स पेमेंट की भी पद्धति है इसलिये ट्रक्स में डिफरेंस निकलने वाला नहीं है। मामूली केसेज ऐसे रह सकते है जिनमें रिटर्न भी नहीं दी हो एड्वान्स पेमेंट भी नहीं दिया हो, असेसमेंट भी नहीं किया हो। ऐसे केसेज हो सकते हैं। कितनी तादाद हो सकती है, उनकी तादाद तो मैं नहीं कह सकता, पर हो सकते हैं। और उसको भी मिलायें तो २ करोड़ की आमदनी में असेसमेंट हो गया है तो यह प्रस्तुत है। जिन मामलों का असेसमेंट नहीं हुआ है, उनको केल्कुलेट करें, तो ८ की बजाय १०, १२ परसेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हैं। बहुत सी कानूनी नुक्सें भी हैं जिनकी वजह से सरकार का नुक्सान होता है। हम बसेज़ को कुर्क कर लेते हैं, किसी को हम उसे दे नहीं सकते, रकम की वसूली करने का तरीका या जरिया असेट्स हैं, पहली दिक्कत तो यही आती है कि वह असेट उसके पास नहीं है जिसका टैक्स मांगते हैं, उससे वसूली करने की कोशिश करते हैं तो यह दिक्कत आती है। मोटर विहिकल्स लाइसेंस आदि से रूल्स गवर्न होते हैं, तो इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाय, इस पर विचार कर रहे हैं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी ऐतराज उठाया कि इस प्रकार के स्टेम्प हों, उसके जरिये टैक्स वसूली का कदम क्यों नहीं उठाया जाता, जब कि सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था।

मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह छप कर आ गये हैं, हमने रूल्स बना दिये हैं, रूल्स पब्लिश हो गये हैं, उन पर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट कर लिये हैं, १५७ ऑब्जेक्शन्स आये हैं, उनको पर्सनल हीयरिंग देने का प्रश्न है, उनको हीयर करके फाइनली डिस्पोज़ ऑफ करके फाइनल रूल्स को छपवा दें तो फ़िर वह पद्धति शुरू की जावेगी। अब छप कर आ गये हैं, रूल्स के फाइनेलाइजेशन वाली स्टेज निकलने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

तो, माननीय अध्यक्षजी, इस टैक्स को जजिया कर की उपाधि दे कर इसकी बुराई करने की कोशिश की है। यह तो एक साधारण टैक्स है, जो यात्री यात्रा करते हैं वे अपने टिकट पर जहां १० रुपया टिकट का देते हैं तो थोड़ा और इस बात के लिये दें कि सरकार के पास पैसा पहुंचे और वह पैसा सड़कों के बनाने में, विकास के कामों में, राहत के कामों में खर्च हो, जिससे देने वाले और सारी स्टेट के गांवों की स्थिति में फरक आये, इस दृष्टि से यह टैक्स लगाया जाता है।

श्री गोकुलचन्द्र जाटव (कठूमर-सु): इसकी कोई सीमा तो होनी चाहिये। जहां पहले यहां से अलवर का २ रु० ७५ पैसा लगता था आज ४ रु० से ज्यादा लगते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह दूसरा मामला है, यात्रियों पर कर वाला दूसरा मामला है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल): कहा गया कि जजिया कर नहीं है। यह गरीबों पर ही लगेगा, कार वालों पर क्यों नहीं लगेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने अर्ज किया कि इस सारे टैक्स की स्कीम जो किराये पर चलती हैं उनके लिये हैं, प्राइवेट कारें किराये पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
नहीं चलतीं। जब तक किराये पर नहीं चलतीं, प्राइवेट विहिकल्स की डेफिनेशन में आती हैं, तब तक मोटर विहिकल्स एक्ट के तहत जो लगना चाहिये वह लगता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: वे जमीन पर नहीं चलते। आसमान में चलते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस टेक्स की स्कीम है उसकी स्कोप में वे नहीं आतीं। और किस तरह से लगाया जाय, इस सम्बन्ध में इस समय नहीं कहा जा सकता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मोटर विहिकल्स टेक्स का मन्त्री महोदय कहते हैं वह तो बसों वाले भी देते हैं, कारों वाले भी देते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह कोई राजस्थान की ही बात नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में यही है। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में इस प्रकार का टेक्स लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में यहां पर भी विचार किया जासकता है। पर इस समय यह सवाल सामने नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): पंजाबी सूबा बन रहा है, राजस्थान में भी बनवा दो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसके साथ ही, माननीय अध्यक्षजी, एक छोटीसी बात मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि यह पैसेन्जर्स के केरिज पर टेक्स है, उस पर टेक्स लगाने का अधिकार, हमारी लिस्ट है उसके आइटम ५६ के मुताबिक है उसमें हम यह टेक्स लगाते हैं और जो चीज जिसमे कवर होती है उसी से वह लगाई जा सकती है और जो २० पर्सेन्ट से २५ पर्सेन्ट किया गया वह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और साथ ही साथ अन्य प्रान्तों से भी मुकाबिला करें तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां हमने कोई अनहोनी बात कर दी है जिससे गरीबों के ऊपर बहुत असर पड़ गया हो। पंजाब में जो टेक्स लिया जाता है वह इस प्रकार है कि जो वहां पर १३२० रुपये हैं चाहे वह ट्रक ५ टन का हो, उससे ऊपर हो या नीचे हो। अपने यहां पर ७५० रुपये लेते हैं उससे कम लेते हैं और फिर १३२० वाले से अलग अलग रेट्स हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पंजाब में यात्री कर क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: २५ पर्सेन्ट है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): पंजाब के अलावा और भी कहीं २५ पर्सेन्ट है क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गुजरात के अन्दर २० पर्सेन्ट है।

श्री भीमसेन: कहीं नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: है, गुजरात में २० पर्सेन्ट है। जो कमेटी की मिटिंग हुई थी, प्लानिंग कमीशन की उसमें उन्होंने दो प्रस्ताव रखे थे कि जहां १५ पर्सेन्ट से ऊपर है। वह जो कुछ अभी लेते हैं, उस पर २५ परसेन्ट बढ़ा दें और जो दूसरे लोग हैं, जहां अभी तक कुछ नहीं लगाया या थोड़ा लगा रखा था उनको कहा गया कि उनको इतने पर्सेन्टेज तक ले आना चाहिए। वह दो स्टेज पर था जो कम थे वह उस स्टेज तक आ गये और जिनके यहां था उनको २५ पर्सेन्ट ओवर देयर एग्जिस्टिंग रेट्स बढ़ाने की रिकमन्डेशन थी, उसी आधार पर यह कियागया।

Page No. 72

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): इस बढ़ी हुई रेट से कितना एक्सपेक्ट करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बढ़ी हुई रेट से जो कुछ इनकम है उस पर इतना ही पर्सेन्ट इन्क्रीज हो जायेगा। It is not specific or definite कि इतना हो ही जायेगा। जो इनकम है उससे २५ पर्सेन्ट रफली बढ़ जायेगा। जैसे २० पर्सेन्ट था तो उसको २५ पर्सेन्ट कर दिया यों वह २५ पर्सेन्ट इन्क्रीज हो गई।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आपने अभी २ करोड़ रुपये की इनकम बढ़ाई थी ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी जो मैंने बताई थी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में १६० लाख बताई थी। २० का २५ पर्सेन्ट और १५ का २० पर्सेन्ट करेंगे, उससे २७ लाख का हो गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: वह ५० लाख के आस-पास होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अब जो बजट एस्टीमेट्स में दिया गया है वही बता रहा हूं। अभी इसके बारे में तहरीकी से कुछ नहीं कहा जा सकता और फिर यह एस्टीमेट्स हैं और इस में २७ लाख कूंता गया है। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, संक्षिप्त में अपनी बातों को सामने रखता हुआ निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): आप तो दो बातों का जवाब दे दें। एक तो सुप्रिम कोर्ट का पैसेंजर्स टैक्स के बारे में लेटेस्ट जजमेन्ट कब हुआ है ? दूसरी बात २६ मार्च, १६६२ को और यह जो ५ फरवरी का आर्डिनेंस निकला है इस ५ फरवरी के आर्डिनेंस में आपने २५ परसैन्ट रेट बढ़ाने की बात कही है तो यह ५ फरवरी के बजाय जिस दिन विधान सभा शुरू हुई अगर आप महीने भर बाद में करते, क्योंकि डिसीजन आपका सितम्बर का था। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं पड़ता है। इसमें आपने इस रेट के अतिरिक्त जो क्लाज में २६ मार्च और ६२ का लिखा है इसका क्या मतलब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कौनसा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सैकिण्ड ऑर्डिनेंस में क्लाज २ (ए) में यह बता दीजिए आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पहले तो जो दो बातें आपने पूछीं थीं, सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट के बारे में २४-६-६५ को जजमेन्ट हुआ था और हमें १२-१०-६५ को उसकी कापी मिली और असेम्बली ६-१०-६५ को ही एडजोर्न हो गई थी इसलिए असेम्बली के बाद आई तो हमने डिसीजन लिया २६-१०-६५ को और डिसीजन लेने के बाद में क्यों इसमें प्रीवियस असेन्ट प्रेसीडेन्ट की होनी चाहिये तो उसके लिए हमने वहां भेज दिया और क्लीयरेन्स वहां के डिपार्टमेंट की चाही तो ३-१२-६५ को क्लीयरेंस आई और जो हमने ऑर्डिनेन्स बना कर भेजा उसकी आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपका जो ऑर्डिनेन्स १ दिसम्बर का लागू हो गया, इसके बाद में जो आपने लिखा है इस क्लाज के हिसाब से फिर तो टैक्स की वेलेडिटी पर झगड़ा नहीं होगा। विधान सभा को यह तो सन्तोष होगा, तब तो हम पास करेंगे। ३

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
दिसम्बर वाले ग्रार्डिनेन्स के बाद ग्राज की तारीख तक यह वेलिड होगी रिकवरी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, ऐसी मान्यता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर ग्राडिनेन्स की नौबत तो नहीं ग्रायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं ग्रायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल दूं।

श्री अध्यक्ष : तृतीय वाचन पर बोल दें। सदन के समक्ष विधेयक को जो विचारार्थ लेने का जो प्रस्ताव है जिस पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल जब्बार ने एक संशोधन दिया है कि उक्त विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

इस संशोधन पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

प्रश्न यह है विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सतीश जी का भाषण हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप कह दें तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत खुशी से ग्रौर बहुत सुन्दर करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ग्राप जैसा चाहें।

अध्यक्ष महोदय, ये दो ग्रार्डिनेन्सेज जो यात्री कर के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने ३ दिसम्बर ग्रौर ५ फरवरी को प्रसारित किये हैं ग्रौर जिनके सम्बन्ध में एक विधेयक दोनों ही ग्रार्डिनेन्सेज को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस सदन में प्रस्तुत किया है उसको पारित किये जाने का प्रस्ताव वित्त मन्त्री महोदय ग्रौर उप-वित्त मन्त्री महोदय की ग्रस्वस्थता के कारण उप-मन्त्री राजस्व महोदय ने प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व इसके कि कुछ ग्रागे कहूं मैंने इस सदन में खास तौर से सरकार से यह जानना चाहा, क्योंकि इस सदन के सभी माननीय सदस्य, जिनमें मैं भी एक हूं, वह इस बात को कभी भी गवारा नहीं कर सकते कि राज्य सरकार जितना कर लगाये वह कर लगाने की पद्धति, कर कितने लगाये जायें इसके बारे में मतभेद हो सकते हैं इसके बारे में सुझाव दिये जा सकते हैं, लेकिन जो भी कर लाए जायें वे कर लोगों से वसूल नहीं हों ग्रौर वे कर लोगों में बाकी रहें, यह ग्रत्यन्त चिन्ता का विषय है।

उसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से यह जानना चाहा कि यह जो सारी परिस्थितियां पैदा हुई ग्रौर उन परिस्थितियों में जो पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में जो ग्रॉर्डिनेंसेज लाने की नौबत ग्राई यह बड़ा दुःख का विषय है कि सन् १९५९ में कानून पास किया ग्रौर उस कानून के बाद ग्राज लगभग सात साल के बाद राज्य सरकार कानून के खिलाफ लोगों से वह टैक्स वसूल करती रही। हमने भारत के ग्रन्दर लोकतन्त्र की शासन व्यवस्था कायम की है, लोकतंत्रीय शासन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्था के अन्दर हम कानून का राज्य बनाना चाहते हैं और कानून का राज्य इस देश में है यही देश की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन इस यात्री कर के सम्बन्ध में जो भी हाई कोर्ट के फैसले हुए, जो सुप्रिम कोर्ट के फैसले हुए, उसमें उन्होंने राजस्थान सरकार को इस बात का फतवा दिया है कि राजस्थान की सरकार, कानून के अनुसार नहीं, कानून के खिलाफ, कानून की धाराओं के खिलाफ, राजस्थान विधान सभा के द्वारा पारित कानून के खिलाफ लोगों से टैक्स वसूल करती है। टैक्स होने चाहिए, विकास की दृष्टि से टैक्स आवश्यक हो सकते हैं लेकिन जैसा माननीय सदस्य गोकुल प्रसादजी ने अभी यहां कहा कि यह एक प्रकार का जजिया कर है और जजिया कर जो होता है उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। जो टैक्स कानून के अनुसार लगाए जाते हैं वे वास्तविक रूप से हमारे इस लोकतन्त्र की भावनाओं के अनुकूल हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है सन् १९५९ में कानून बना। सन् १९५९ में कानून बनने के बाद १९६० आया, १९६० से १९६१, १९६२, १९६३, १९६४, और १९६५ तक लगातार छः साल तक यह राजस्थान की सरकार विकास के नाम पर जनता पर लगाए जाने वाले टैक्स वसूल करती रही। वह टैक्स ज्यादा हैं, वह अलग बात है लेकिन भारत के संविधान के अनुसार टैक्स जो कानून सम्मत होने चाहिए जो कानून के अनुसार वसूल होने चाहिए, यह राजस्थान की सरकार सात साल तक राजस्थान की गरीब जनता से राजस्थान के यात्रियों से वह टैक्स वसूल करती रही। अध्यक्ष महोदय, वह टैक्स वसूल करने के बाद सन् १९६५ में, यह तो मैं नहीं कहना

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य होने के कारण)

चाहता कि टैक्स वसूल करने की बात करते हैं लेकिन योजनाएं तो आपकी ऐसी हैं कि दिन में दस बार बिजली जाती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सन् १९६५ में उस सारे कानून की व्यवस्था को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस सदन में जिस समय फाइनेन्स एक्ट पेश किया गया तो यह सवाल उठाया गया था कि यह अन-कांस्टीट्यूशनल है, इसमें प्रेसिडेंट की असेंट होनी चाहिए, प्रायर एप्रूवल होनी चाहिए तो सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि हम इस बहस में न पड़ें। हम कानून को पास कर दें। कांस्टीट्यूशनल, अनकांस्टीट्यूशनल देखना अदालत का काम है, हमको तो कानून पास कर देना चाहिए। नतीजा क्या होता है, अध्यक्ष महोदय। जल्दी जल्दी में सरकार कानूनों को पास कराती है और पास कराने के बाद जब अदालत में चैलेंज किए जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के द्वारा उन कानूनों को गलत करार दिया जाता है और राजस्थान विधान सभा के लिए ऐसी बात लिखी जाती है सरकार के निकम्मेपन के कारण कि राजस्थान विधान सभा को जो अधिकार नहीं था, वह अधिकार भी उन्होंने अपने में ले लिया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लज्जा की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९६५ में सुप्रिम कोर्ट ने धारा ४ को इन्वेलिड करार दिया और इस सारी इन्वेलिडिटी को लीगलाईज करने के लिए आप आर्डिनेंस लाए और आर्डिनेंस लाने के बाद आपने सारी चीजों को वेलिडेट किया। फिर हाई कोर्ट में मसला गया, फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, इस बारे में आप सब जानते हैं, मैं इस समय इस सारी रामायण

Page No. 75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को नहीं रखना चाहता । लेकिन एक जरूरी बात, एक मोटी बात और विशेष महत्व की बात की ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं । जैसा आपने अभी सदन में कहा कि पिछली सितम्बर और अक्टूबर के महीने में जिस समय विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था, निर्णय हो गया । सुप्रिम कोर्ट का फैसला हुआ । मुझे याद है कि जिस समय विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था उस समय विधान सभा में सरकार का ध्यान खींचा गया कि सुप्रिम कोर्ट का फैसला हो चुका है, आपके सेक्शन को इन्वेलिड करार दिया जा चुका है. लेकिन उस समय भी सरकार ने १५ दिन फैसला हासिल करने में लगा दिए । फिर आपका सारा अक्टूबर विचार विमर्श में निकल गया और नवम्बर दिल्ली आने-जाने में चला गया और ३ दिसम्बर, १९६५ को आपने आर्डिनेंस लागू किया । महीनों आपको फैसला हासिल करने में लग जावे, महीनों आपको दिल्ली आने जाने में लग जावे और उसके बाद आपका यह आर्डिनेंस निकला । उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा कि आपने जो ३ दिसम्बर, ६५ को आर्डिनेंस निकाला क्या उससे सब वलिडेट हो गया, उस आर्डिनेंस के बाद तो रिफण्ड का सवाल नहीं है, उस आर्डिनेंस के बाद तो सारा टैक्स असेस किया हुआ मान लिया जावेगा, चाहे वह असेसमेंट १९६२ का हो, चाहे ६३ का हो, चाहे ६४ और ६५ का हो, जो आर्डिनेंस ३ दिसम्बर, १९६५ का है उससे सब वेलिड हो जावेंगे, वह असेसमेंट गलत तो नहीं माने जावेंगे, उनको ३० अप्रेल, १९५९ के नोटिफिकेशन से जो टैक्स लगाया गया था वह सब तो खत्म हो गया । अब तो आपको कोई नया आर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं है । तो वे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है । फिर, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रिम कोर्ट ने ३ दिसम्बर के बाद यह फैसला क्यों दिया कि यह टैक्स वापिस किया जाय.... .

श्री रामप्रसाद लडढा : किसने फैसला दिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रिम कोर्ट ने दिया है ।

श्री रामप्रसाद लडढा : क्या फैसला दिया है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह निकम्मी सरकार जिसको पता नहीं कि सुप्रिम कोर्ट ने क्या फैसला दिया....

श्री रामप्रसाद लडढा : उस फैसले के बाद कोई फैसला नहीं हुआ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास जजमेंट है ।

श्री रामप्रसाद लडढा : सुप्रिम कोर्ट का जजमेंट हुआ है ?

(श्री परसराम मदेरणा के बैठे २ कुछ बोलने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप खड़े होकर बोलिए ।

(श्री मदेरणा कुछ नहीं बोले)

अध्यक्ष महोदय, आप भी देख लीजिए, ये डिप्टी मिनिस्टर हैं फाइनेंस, टैक्सेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और जुडिशियल और लीगल रिमेम्बरेंसर और दूसरे डिप्टी मिनिस्टर हैं रेवेन्यू, दोनों ही डिप्टी मिनिस्टर काफी काबिल माने जाते हैं डिप्टी मिनिस्टरों में और काबिल माने जाते हैं केबिनेट लेवल के मिनिस्टरों से भी। आप कहते हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सुप्रिम कोर्ट ने कोई रिफण्ड का आर्डर नहीं दिया, यह आपने विधान सभा में हवा फैला दी, विधान सभा के सदस्यों को गुमराह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार इस विधान सभा को सही जानकारी न दे और यह न बता सके कि तुम्हारे आॅर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि यह असेसमेंट गलत है, सन् ६२-६३ के असेसमेंट गलत हैं, ये असेसमेंट दुबारा होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केसेज रिमाण्ड किए जाते हैं। यह फैसला जनवरी सन् १९६६ का है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has never been done.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अब मुझे फैसला पढ़ना पड़ेगा, You don't deserve to remain in the Government.

मैं सारे में नहीं जाता।

Civil Appeals No. 1151, 1154, 1159 of 1965 and 125 of 1966 with Civil Miscellaneous petition No. 189 of 1966.

मैं इतना ही पढ़ देता हूं—The judges were:--

Hon'ble Mr. Justice J. C. Shah
Hon'ble Mr. Justice S. N. Sikri.
Hon'ble Mr. Justice V. Ramaswami.

For the appellants- So and so.

"The above mentioned......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Is it a case of Passenger Tax of Rajasthan.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां। मैं पढ़कर सुना दूंगा। I am not referring to Punjab or U. P. I am not a fool like the Government.

"Petitions on being called on for hearing before this Court on the 21st day of January, 1966.."

It is after 3rd December, 1965.

"....and upon hearing the counsel for the parties this Court...."

बीच का छोड़ दूं : "....Doth declare ....that the tax assessed against the appellants here in respect of their vehicles for the period between March 26, 1962, and September 9. 1964, at the enhanced rate is invalid and that the taxing authorities concerned were entitled to levy the tax only at the rates prescribed by the Notification No. F. 15 (5)/E. and T-/59—II dated April 30, 1959 issued under section 3 of the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act, 1959 (Act No. 18 of 1959) as it originally stood,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

and Doth in allowing the appeals, orders : (1) that the orders of assessment, if any, made by the respondents ····"

And 'respondents' here means the State of Rajasthan the Deputy Commissioner, Excise and Taxation (Appeals), Ajmer and Kota Division, Hospital Road, Jaipur.

फिर लिखते है आगे:

"....herein against the appellants herein in respect of their vehicles under the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act, 1959 in so for as they relate to the period between March 26, 1962 and September 9, 1964, be and are hereby set aside and the authorities concerned be and are hereby directed to make proper assessments in accordance with the Notification issued on April 30, 1959, under section 3 of the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act as aforementioned."

श्री रामप्रसाद लड्डा :who represented Rajasthan Government in this case ? Whether it is a new writ or something in consequence of the old writs decided ? We have never seen it. you say Deputy Commissioner is a party. He does not know about it. So whether it is an interim order or anything else ? It might be an ex-parte decision.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अफसोस तो इसी बात का है कि आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करने वाला वहां नहीं था। आप मुझ से पूछते हैं कि हमारा वकील कौन था। कमाल की बात है। यह तो बड़ी अजीब बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट हम से पूछती है कि उनका वकील कौन था।

(शेम शेम)

बड़े शर्म की बात है डूब मरने की बात है गवर्नमेंट के लिए। आप मुझ से पूछते हैं कि हमारा वकील कौन था। मैंने जजेज के नाम बताये और जजमेंट को पढ़कर सुनाया है .....

श्री नाथूराम मिर्धा : शेम, शेम ज्यादा करेंगे तो उसकी वेल्यू कम हो जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपके सामने तो शेम का भी असर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्या फर्माया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं आपके दोस्तों से कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके लिए तर्क कहने का सवाल ही नहीं है। आपके सामने तो ऐसा है जैसा कि भैंस के सामने बीन बजाये और वह खड़ी खड़ी बगराये। हम कानून की बात कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका महत्वपूर्ण भाषण सुनने नहीं दे रहे हैं इसलिए रोक रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लावल्दियत के केसेज फैसले करने की बात नहीं है। ये जुडिशियल फैसले हैं। आप जो फैसले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करते थे, ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के चेयरमैन बनकर, वैसे नहीं है।

ऐसी सरकार को क्या कहें, अध्यक्ष महोदय ? क्या तो यह जवाब देगी इस हाउस को। सारे सेक्रेटेरियेट का खर्चा, जी० ए० डी० का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। २०० करोड़ की आमदनी करने के लिए नये नये टेक्सेज भी यह निकम्मी सरकार, इनएफिशियेन्ट सरकार लगा रही है जिसको कि यह पता भी नहीं है कि उनका कोई मुकदमा चल रहा है, हमको पैरवी करनी है, वकील खड़ा करना चाहिये। हाउस में मामला खड़ा हो तो हमसे पूछते हैं कि हमारा वकील कौन है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं कि यह बनी हुई चीज नहीं हैं। ऐसी मानकर नहीं चलें। हो सकता है कि आपको मालूम न हो। हो सकता है कि नोटिस आया हो और आपका वकील न पहुंचा हो, हो सकता है कि आपका वकील पहुंचा हो लेकिन उसने पैरवी न की हो। आप किसी से भी मिल जाते हैं, किसी से भी आपका कोल्यूजन हो जाता है। डिपार्टमेंट से मुकदमें की पैरवी नहीं होती है। कौन करें ? क्यों नहीं की गई डिपार्टमेंट के द्वारा? क्यों नहीं गया डिपार्टमेंट का आदमी ? नहीं गया तो हियरिंग कैसे हो गई। मैने एसेसमेंट सेट एसाइड किये हैं और एसेसमेंट सेट एसाइड करने के बाद—

"The cases be and are hereby remitted to the High Court of Rajasthan at Jodhpur with the direction that the said High Court do re-tore to its file the Division Bench Civil Writ Petititions No. 6o, 294, 63 and 691 of 1964 and do deal with the question, viz. 'whether, having regard to the circumstances on assesments being made in the manner as directed in clause (1) supra, the respondents herein will be bound to refund the tax collected by them' and dispose of the same in accordance with the law and in the light of the directions and observations contained in the order herein."

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : इस आर्डिनेन्स को भी डिसकस किया है इसमें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आर्डिनेन्स रखने का काम गवर्नमेंट का था ... आपने (श्री दामोदरलाल व्यास से) बहुत अच्छा पोइन्ट सुझाया है। मैं कौल साहब के खिलाफ इस पोइन्ट को भूल गया था। मैं टेक्सेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि यह आर्डिनेन्स निकल गया है यह बात सुप्रिम कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाई गई, और सुप्रिम कोर्ट के सामने नहीं लाई गई इस कारण से सुप्रिम कोर्ट का यह डिसिजन हो गया है जो कि कांस्टीट्यूशन के हिसाब से लॉ आफ दी लेण्ड है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इसको बदल दे। गलत हो गया है या सही हो गया है आप कुछ भी कहते रहें। सुप्रिम कोर्ट का फैसला हो गया है और आपके आर्डिनेन्स के बाद हो गया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में ही मैंने एक बात पूछी थी कि आपने यह जो बात लिखी है इस आर्डिनेन्स में—

"in clause (c) of Section 3:— "on and after the 26th day of March, 1962", it has been substituted by

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the expression, during the period commencing on the 26th day of March, 1962, and ending on the 7th day of February, 1966 in the Bill."

यह जो २६ मार्च, १९६६ वाली बात इस ग्रॉडिनेन्स के सेक्शन में लिखी है ग्रौर २६ मार्च, १९६२ वाली बात ग्रापने बाद के ग्रॉडिनेन्स में लिखी है, इसका जो हवाला ग्रापने दिया है, उसी पीरियड के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिये जो ग्रॉडिनेन्स में ग्रापने प्रोवीजन किया है ३ दिसम्बर, १९६५ वाले में, उसमें ग्रापने लिखा है—

(c) on and after 26th day of March, 1962, at the rate of—

(i) twenty percent of the value of the fare of freight in case of cemented, tarred asphalted, metalled, gravel and kankar roads, and........

ग्रापने २६ मार्च के बाद बीस परसेंट को वेलिड किया है, ग्रॉडिनेन्स के द्वारा उसको लगाया है ग्रौर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि २६ मार्च, ६२ के बाद भी, ३० ग्रप्रेल, १९५९ के नोटिफिकेशन से टैक्स जो टैक्स लगता है वही लगेगा। वह कितना है? वह साढ़े बारह परसेंट है। साढ़े बारह परसेंट के बाद १५ परसेंट किया ग्रौर उसके बाद २० परसेंट किया तो ग्राप मुगालते में चल रहे हैं ग्राप हाउस को मुगालता दे रहे हैं। ग्राप कहते हैं कि इस ग्रॉडिनेंस के द्वारा २० परसेंट का टैक्स वसूल करेंगे ग्रौर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ३० ग्रप्रेल, १९५९ के नोटिफिकेशन के ग्रनुसार केवल साढ़े बारह परसेंट ले सकते हैं ग्रौर सारा टैक्स रिफण्ड करो, रिफण्ड करना होगा। ग्रापको फिर ग्रॉडिनेन्स लाना होगा। ग्राप कहते हैं कि ले ग्रायेंगे। दिल्ली ही तो ग्राना जाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है।

मैं केवल राजनैतिक बहस करूंगा तो नाथूरामजी कहेंगे ग्रौर कानूनी बहस करता हूं तो सरकार कहती है कि हमको पता ही नहीं। बिना किसी पोइंट पर भाषण तो नाथूरामजी ही कर सकते हैं। मेरे सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नमेंट का स्पष्टीकरण सुनूं। जनवरी, १९६६ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद ग्रापको ३० ग्रप्रेल, १९५९ के नोटिफिकेशन के हिसाब से साढ़े बारह परसेंट वसूल करना होगा बाकी को रिफण्ड करना होगा। या तो यह कहिये कि ग्रार्डिनेन्स बताया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैंक दिया कि बेकार है यह कोई वकत नहीं रखता है। वहां पर क्या मामला हुग्रा यह सरकार बताये ग्रॉडिनेन्स नहीं दिखाया या सरकार ने पैरवी नहीं की ग्रौर ग्रदालत से फैसला हो गया, रिफण्ड के ग्रॉर्डर हो गये। मैं समझता हूं कि यह मामला पर्याप्त है कि जो इस महकमे के मंत्री हैं, पायलेटिंग डिप्टी मिनिस्टर नहीं बल्कि जो इन्चार्ज मिनिस्टर हैं he should resign on this issue and go home.

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहकर इस तृतीय वाचन के ऊपर मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको इस संबंध में क्या कहना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय ग्रध्यक्षजी, तृतीय वाचन के समय जो एक जजमेंट की कॉपी को पढ़ते हुए कुछ

Page No. 80

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बातें जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं उसके बारे में तो जब तक मैं इस जजमेन्ट को देख न लूं, पार्टीज का मुझे पता नहीं हो जाय, तब तक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। और जो मुझे बताया गया है हमारे विभाग को इस तरह की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है जिससे यह कहा जा सके······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको पढ़ लीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता दूंगा, थोड़ा बैकग्राउन्ड मालूम है। लेकिन जैसा कि आपने बहस के वक्त कहा था एक जजमेन्ट राजस्थान हाई कोर्ट का, करीब ४०० रिट्स हाई कोर्ट में पेन्डिग थीं, उनके अन्दर कुछ फैसले हुए उनमें हमारी स्थिति को माना। उसके उपरान्त सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। यह जब सन् ६५ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हुआ, विजयसिंह के केस का रिफरेन्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजमेन्ट हुआ और उन्होंने कहा कि टेक्निकली सारी चीजें पेन्डिग हैं। हमारे सामने जितनी रिट पिटिशन्स हैं, उनका फैसला अलग से करेंगे। यह विजयसिंह का नाम पढ़ कर मैं कह रहा हूं, मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है। जो पेन्डिंग रिट्स हैं विजयसिंह एण्ड अदर्स की उसके अंदर किस तरह का हुक्म आया है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसको प्रजेन्ट होना तथा इन्फोर्मेशन होना इससे जाहिर नहीं होता। और वह जो ऑर्डर पढ़ कर सुनाया, वह इस प्रकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट का जैसा जजमेंट है उसकी तामील में यह ऑर्डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वैसा ऑर्डर है उसके अनुसार इसको वेलिडेट करने या रीइनैक्ट करने का जो हम ऑर्डिनेन्स ले आये और बाद में जो स्थिति बने, उसके अनुकूल आदेश नहीं है और यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पेन्डिग है उसका जजमेंट नहीं हुआ·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह केस हाई कोर्ट को रेमिट कर दिया इसलिये सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोजल हो गया। केसेज ६५ के हैं, ६६ के हैं। ६५ की तामील आप पर हो चुकी थी। आपके वकील नहीं जायं तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I shall examine that. At this stage I do not know whether any advocate was informed and whether he appeared or not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा एक छोटा सा सजेशन है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हो गया तो हमारे इस बिल को फिर से अमेन्ड करना होगा और करना चाहिये। राजस्थान के भले के लिये। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाय। लेकिन इसलिये कह रहा हूं कि दुबारा आपको लाना होगा इसलिये तो मैं कन्सीड्रेशन के टाईम पर भी बोलना चाहता था, यदि आपको ओरीजिनल बिल को इन व्यू ऑफ जजमेन्ट लाने की जरूरत है तो जरूर लाइये, सदन उस पर विचार करेगा और पारित करेगा; तो ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी में पंगु काम करने से फायदा नहीं होता। फिर सरकार कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हो गया। That is the law of the land. A bill passed by thi legislature is not the law of the land unless it is passed by the Supreme Court.

Page No. 81

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि उसको हम देखेंगे लेकिन सरेदस्त मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि उसकी वजह से इसको पास होने से रोका जाय। २६ मार्च, ६२ से पहले वाले मामले थे, प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट बिना लिये कर दिया था इसलिये उसको बाद में वेलिडेट कर दिया, कानून वेलिडेट हो गया इसलिये इस कानून में कठिनाई आनी नहीं चाहिये। इस कानून के पास हो जाने पर जो स्टेप्स ले लिये हैं उसमें और दिक्कत आयगी, जिसके कारण हम पालन नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात को इस मुद्दे में उठाई गई है यदि हम मानलें कि इस प्रकार का यदि जजमेन्ट हो गया तो क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये हमारे पास रास्ता ओपन है क्योंकि इसमें ऑर्डिनेन्स को डिस्कस नहीं किया है, ऑर्डिनेन्स के एग्जिस्टेन्स का पता नहीं लगता है तो we can bring this ordinance and, subsequently, the act to the notice of the Supreme Court or anywhere else where it is thought desirable and this defect is no defect.

और हमारा इसमें आगे चल कर काम रुकने वाला नहीं है। जो अमेन्डमेन्ट आपके सामने लाया गया है उसको आप पारित करें तो सारी व्यवस्था उचित रूप से हो जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप कह सकते हैं कि उसके नोटिफिकेशन की नोलेज गवर्नमेन्ट को नहीं थी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कह दिया ना कि You have taken me by surprise.

प्रिपेरेशन ऑफ रिकार्ड का कोई ऑर्डर है या नहीं, जब तक मैं डिटेल में देख न लूं हमारे रिप्रेजेन्टेटिव जो हमको रिप्रेजेन्ट करते हैं उनसे जानकारी नहीं करलूं, तब तक कैसे कह दूं कि इत्तला हुई है या नहीं at least at this stage I am not in a position to say anything.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कुछ मसलों पर छूट मिल सकती है. आप रेस्पोन्डेन्ट से पूछ सकते हैं जो यहां बैठे हैं उनको इत्तला थी या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको पूछा, उन्होंने कहा कि कोई इत्तला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को इत्तला नहीं है तो एडवोकेट जनरल को या डिप्टी एडवोकेट को सूचना है या नहीं, उनसे भी पूछ कर पता करना होगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, टिकटों पर, रेवेन्यू स्टाम्प्स पर छाप लगाने के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन किया था, उसके बारे में कुछ नहीं फरमाया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बारे में मैंने अर्ज किया था, उस समय आप बाहर तशरीफ ले गये थे। वे नासिक से छप कर आये हैं उन पर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये हैं उन पर फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय?

Page No. 82

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय का जवाब अकन्विन्सिंग है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनलों पास करवाया जा रहा है उस का हम विरोध करेंगे। हम कहते हैं कि Noes have it,

(३,५६ म. प.)

राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, १९६६

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालय बिल, १९६६, इसमें कुछ प्रस्ताव हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले इस पर भाषण हो जाय मंत्री जी का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक फोरमल अमेन्डमेंट की जरूरत पड़ी और उसके लिये यह आर्डिनेन्स निकालना पड़ा। पहली चीज तो यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट को तहत पहले था और उसके अनुसार डाइरेक्टर आफ एजूकेशन प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी, यूनिवर्सिटी का सीनेट के मेम्बर थे। उसके बाद डाइरेक्टर आफ प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी, एजूकेशन की पोस्ट को इन एबेयन्स न रख दिया गया और उनके बजाय एडिशनल डाइरेक्टर की पोस्ट कर दी गई। एक्ट में यह था कि डाइरेक्टर आफ प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी एजूकेशन will be a member of the Senate. अब उस पोस्ट को एबेयेन्स में रख कर एडीशनल डाइरेक्टर की पोस्ट क्रियेट कर दी है और अब डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन एक ही है और उनकी मदद के लिये एडीशनल डाइरेक्टर है। एडीशनल डाइरेक्टर को उनकी जगह रखा गया है इसलिये अमेन्डमेन्ट करना जरूरी हो गया है। डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी एजूकेशन के बजाय एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन या और कोई उसकी जगह काम करे यह रख दिया गया है। क्योंकि नवम्बर में यूनिवर्सिटी का कान्वोकेशन होने वाला था इसलिये सीनेट को प्रोपरली कान्स्टिट्यूट करने के लिये यह ऑर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीनेट की यह पोस्ट नहीं भरी और भरने से रह जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीनेट में बहुत सी वेकेन्सीज रहती हैं। एक आदमी नहीं रहे, या पोस्ट एबेयन्स में रह जाए, कोई मर जाय या कोई रिजाइन करे, या कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मोटिव बताइये कि इसके पीछे मोटिव क्या था?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मोटिव यही था, पहले डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी एण्ड सेकन्डरी एजूकेशन जब नहीं थे, बाद में यह पोस्ट एबेयन्स में रख दी गई . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाइरेक्टर के बिना सीनेट कान्स्टिट्यूट नहीं होता, यह क्या बात थी? आपका डाइरेक्टर ही नहीं रहा, पोस्ट एबेयन्स में रही, तो फिर क्या जरूरत पड़ी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति को वहां पर रिप्रेजेन्ट करने के लिए सीनेट में डाइरेक्टर का होना बहुत जरूरी होता है वर्ना गवर्नमेंट की बात को वहां कोई रिप्रेजेन्ट करने वाला नहीं होता। हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट नहीं रहे तो रिप्रेजेन्ट कौन करे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोस्ट एबेयेन्स में कब से ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पिछले साल से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महीना और डेट बताइये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जून, ६५ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जून, ६५ के बाद सितम्बर ६५ में सेशन हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सितम्बर में ध्यान में नहीं आया. कन्वोकेशन का टाइम आया, उस समय ध्यान में आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय ध्यान में नहीं आया तो उसके लिये भी कुछ कन्डेमनेशन होता है; रिग्रेट जाहिर करें, मदन में माफी मांगें। जून के महीने में पोस्ट एबेयेन्स में रही और अक्टूबर का अधिवेशन निकल गया, आप अमेन्डमेन्ट नहीं ला सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब मीटिंग का नोटिस जारी करने का सवाल आया तो यूनिवर्सिटी ने पूछा कि नोटिस किसके नाम का जारी करें तब ध्यान में आया कि यह पोस्ट एबेयेन्स में रख दी है, उसके स्थान पर दूसरा आदमी भेजना चाहिये। आखिर सभी समझते हैं कि ज्ञान का पिटारा किसी में भरा नहीं रहता है, जब बात ध्यान में आती है तभी आती है.......

(३.०० म. प.)

तब उसमें टर्म ऑफ मेम्बर थी वह छपने से रह गई, उसमें वह आई नहीं इसलिए श्री ईयर्स की टर्म एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स के लिए, जो नोमिनेट किये जायें, की गई है। इस तरह से जो सैक्शन २१ है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। सैक्शन २० के नीचे जो सब सैक्शन था वह था "The term of the members shall be three years" वह किसी तरह से छपने से रह गया, सैक्शन २१ में थ्री ईयर्स छपने से रह गया है, इसलिए उसको लिया है.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (हासौर) : पहले पांच वर्ष लिखा हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले थ्री ईयर्स लिखा हुआ है, सिण्डीकेट के लिए, जो सैक्शन २१ में किया है। और फाइव ईयर्स सीनेट के लिए है वह वैसा का वैसा है; excluding those members who have been specified in other section. इसलिए उसके लिए यह इसमें कर दिया है। मैं समझता हूं, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इसे पारित करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात जानना चाहता हूं, जून और नवम्बर के बीच में एक पोस्ट एबेयेन्स में कर दी, तो क्या इन छः महीनों में सीनेट की मीटिंग का कोई नोटिस नहीं आया जिससे गवर्नमेंट के ध्यान में यह नहीं आया ? जब आपके नोटिस में अक्टूबर, नवम्बर में आया तो पहले क्यों नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आया ? इससे पहले यह चीज डिटेक्ट क्यों नहीं हो सकी ? उससे पहले समय पर आपने फैसला क्यों नहीं लिया जो अब रख रहे हैं ? आप यह बतायें कि जून के बाद मीटिंग कब हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सीनेट की मीटिंग कन्वोकेशन के पहले होती है। वह बार बार नहीं होती है। नवम्बर में कन्वोकेशन हुआ, उससे पहले मीटिंग थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जून और नवम्बर के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सीनेट की मीटिंग केवल कन्वोकेशन के पहले होती है। अलबत्ता सिंडीकेट की मीटिंग होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि जून और नवम्बर के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा कोई नोटिस नहीं आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूं कि कोई मीटिंग हुई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि सीनेट की मीटिंग कन्वोकेशन के पहले होती है और कन्वोकेशन नवम्बर में होने वाला था, उस वक्त ४८ केज का नोटिस आया, तब यह जानकारी में आया। इसलिए छः नवम्बर को यह आर्डिनेन्स हुआ, क्यों कि १८, १९ को यह कन्वोकेशन होने वाला था।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो क्या प्रस्तुत करेंगे !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रस्ताव तो रखूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अरे, भाषण तो हो गया न !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो क्लेरिफिकेशन लिया था।

[परिनियत संकल्प इस प्रकार है:—

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक ६ नवम्बर, १९६५ को प्रख्यापित, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को अस्वीकार करता है।"]

अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आर्डिनेन्स १९६५ के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण चाहे जाने पर कि जून, १९६५ से लेकर नवम्बर, १९६५ तक, जब तक यह पोस्ट एबियेंस में रही, इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की और विधान सभा के सत्र में इस बिल को क्यों नहीं प्रस्तुत किया, उन्होंने यह बताया कि उनके मगज में सारी बातें नहीं आती हैं, उनको सारी बातों का ध्यान नहीं रहता है, उनके दिमाग में ये सारी बातें नहीं उपजती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि राजस्थान के बजट का एक चौथाई भाग हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, शिक्षा के लिए इतना बड़ा बजट रहता है, शिक्षा की इतनी बड़ी मद है, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में धनराशि खर्च होती है और शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा के महकमे को सम्भालने वाले हैं, वह सब मंत्रियों में भारी भरकम हैं। उसके बाद भी यह बात उनके दिमाग में नहीं आती है। इसके लिए दलपतसिंहजी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तर्क दे सकते हैं। जिसका शरीर मोटा होता है उसका दिमाग भी मोटा होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति के अपोइन्टमेंट के लिए ऑर्डिनेन्स निकाला जाय और सरकार यह नहीं बता सके कि कन्वोकेशन जब हो रहा था, उसके पहले जब सीनेट की मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में यदि एडीशनल डाइरेक्टर नहीं जाते; मान लो नहीं जाते, वैसे अगर जाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जाते तो क्या बिगड़ जाता, कौनसे यूनिवर्सिटी अफेयर्स बिगड़ जाते, कौनसा काम-काज बिगड़ जाता, कौनसी टैक्नीक को धकाया लग जाती? कौनसा ऐसा कारण था जिसके कारण एडीशनल डाइरेक्टर को भेजना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था कि एडीशनल डाइरेक्टर को भेजने के लिए अध्यादेश निकाला जाय। संविधान का अनुच्छेद २१३ है उसका असाधारण स्थितियों में उपयोग करना होता है। लेकिन यह जो अध्यादेश निकाला है, मैं समझता हूं, बृजसुन्दरजी, आपका यह ऐसा अध्यादेश है जिन अध्यादेशों ने दुर्भाग्य से हमारे साथियों को मजबूर कर दिया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बीच में बोलने के लिए कि यह सरकार अध्यादेशों पर चलती है।

अब यह कैसा अध्यादेश है? यह एक ऐसा अध्यादेश है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपोइन्ट करके उसको केवल सीनेट की मीटिंग में बैठाना है। इसलिए ही यह अध्यादेश लाया है। यह एक मेलाफाइडी है और मोटिवेटेड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा मंत्री सीनेट और सिण्डीकेट को लेकर इतने ही चिन्तित हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी एजूकेशन में आज जिस तरह की हालत है वह जरा उस तरफ ध्यान दें। वह अगर उसके सम्बन्ध में कोई ऑर्डिनेन्स निकालते तो मैं उसका स्वागत करता। आज राजस्थान में करीब सतरह करोड़, अठारह करोड़ रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और इस स्थिति में आज जो जोधपुर विश्वविद्यालय के मामले हैं; उनमें चाहे मथुरादास माथुर दिलचस्पी लें या नहीं लें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी दिलचस्पी है। ठीक उसी तरह से जयपुर के विश्वविद्यालय में भले ही दामोदरलालजी व्यास दिलचस्पी लें या नहीं लें, लेकिन हमको उसमें दिलचस्पी है। और अगर आप दोनों की होती तो आप दोनों आपस में बात नहीं करते होते।

श्री मथुरादास माथुर : यही बात कह रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी एजूकेशन जिस तरह नीचे स्तर पर चलती चली जा रही है, उस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन का स्टेण्डर्ड ऊंचा उठना चाहिए, विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों का ऊंचा स्टेण्डर्ड होना चाहिए। लेकिन आज हिन्दुस्तान के आई. ए. एस. कन्टेस्ट के अन्दर, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि राजस्थान के विद्यार्थियों का नम्बर लोएस्ट आता है, प्रेक्टिकली लोएस्ट परसेन्टेज आता है..

श्री मथुरादास माथुर : लीडर्स का ज्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स का कम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लीडर और ब्यूरोक्रेट्स के मुकाबले की बात आप कह

Page No. 86

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि लीडर्स का भी अभाव नहीं है और वह इसलिए अभाव नहीं कि ऑल इंडिया लेवल पर लीडर्स में देखा जाता है कि राजस्थान के लोगों को जाने नहीं देते हैं और अगर चले भी जाते हैं तो उनको रहने नहीं देते हैं। सुखाड़िया साहब गये तो कामराज ने उनको कह दिया तू यहां नहीं रह सकता, वापिस चला जा। तू पहले पांव का आदमी है और मेन्टेनेशन करता है। क्योंकि आज सेन्टर में कोई मिनिस्टर नहीं है और अगर है तो राजस्थान के केन्द्र में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कोई हो तो बता दीजिये। केन्द्र में कोई राजस्थान का फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर है क्या कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? कोई नहीं है। आप लोग सैकण्ड रेट सिटीजन्स हैं आप सब लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तरह हो, जिनको कोई नहीं पूछता बुरी तरह से पीटा जाता है और पास नहीं बैठने देता है। आप से कामराज बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करता, आपको कोई कैबिनेट में बैठाने को तैयार नहीं है। मैं इस सब्जेक्ट पर नहीं कहना चाहता, यदि कभी मौका आयेगा तब कहूंगा।

तो मैं कह रहा था कि आज आई. ए. एस. सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में आपके राजस्थान का परसेंटेज क्या है? आज राजस्थान का परसेंटेज बिल्कुल लोएस्ट है। राजस्थान के कॉलिजों से निकलने वाले विद्यार्थी आई. ए. एस. में कम्पीट नहीं कर पाते हैं जो पी. एस. सी. राजस्थान की रिपोर्ट निकलती है वह आपने पढ़ी होगी एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने भी पढ़ी होगी।

आपको एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का क्या पता है? आपको मालूम नहीं है कि आपके लड़के जब वे इन्टरव्यू में जाते हैं तो क्या जवाब देते हैं? आप डिप्टी मिनिस्टर से पूछिये। उनसे पूछिये कि जब हेडमास्टर से पूछा जाता है कि यहां के गवर्नर कौन है तो हेडमास्टर कहता है कि टीकाराम हैं। आप इससे अन्दाजा लगाइये कि आपके यहां का स्तर कैसा है। आप उनसे पूछिये वे कल से स्कूल का इन्सपेक्शन करने के लिये गये थे और कौनसी स्कूल का उनको यह अनुभव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किनको यह पता नहीं कि आपके यहां पर कौन गवर्नर है, उनसे पूछते हैं। कोचीन कहां है तो लड़के कहते हैं कि इन्डोनेशिया के पास है। अगर लड़कों को यही ज्ञान है तो मैं यह कहूंगा कि यह आपकी शिक्षा का प्रभाव है। लड़कों से पूछा जाता है कि यहां के स्पीकर कौन है, मैं नहीं कह सकता कि शकल मिलती होगी श्री भैरोंसिंहजी से या क्या बात है, लड़के कहते हैं कि यहां का स्पीकर श्री भैरोंसिंहजी है।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा बोलने वाले वे ही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लड़कों को पता नहीं कि यहां की विधान सभा का स्पीकर कौन है। यह तो आपके लड़कों का ज्ञान है। उनको विधान सभा के अध्यक्ष की जानकारी नहीं, उनको राजस्थान के गवर्नर के नाम की जानकारी नहीं। बुजसुन्दर जी स्कूलों का उद्घाटन करने जाते होंगे, इसलिए उनकी उन लड़कों को जानकारी मिल जाती होगी। उद्घाटन के नाम जलसों में जाकर लड़कों में तोड़-फोड़, अध्यापकों में तोड़-फोड़, यूनिवर्सिटी में गड़बड़ के सिवाय उनके पास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई काम नहीं । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्टो का स्टेन्डर्ड कैसे ऊंचा उठ सकेगा, यह एक जटिल प्रश्न है राजस्थान के सामने । इस प्रश्न के बारे में पिछले सत्रों में भी मैंने मांग की थी कि इसकी बहस के लिए एक दिन रखा जावे जिसमें विश्वविद्यालयों के बारे में बहस की जावे । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा, अधिक बातें बजट में शिक्षा के बारे में मांग आवेगी उस समय रखूंगा। मगर अभी मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान उन बातों पर दिलाना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण हैं। आखिर आप विचार कीजिये कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में साइन्स के विद्यार्थियों के हिन्दी के अंक नहीं जोड़े जाते हैं और वहां पर लड़कों में असन्तोष है; जोधपुर की यूनिवर्सिटी में असंतोष है, हो सकता है वहां पर कोई पोलिटिक्स हो और यह पोलिटिक्स पार्टीबाजी आपने ही वहां पर उत्पन्न की है वहां पर रजिस्ट्रार और वाइस-चान्सलर आदि को ला कर। वहां पर रजिस्ट्रार और वाइसचान्सलर पर किस प्रकार से कीचड़ फेंकते हैं। आज आप वहां के शिक्षा शास्त्रियों की इज्जत बचा नहीं सकते। जयपुर के विश्वविद्यालय के बारे में तो कई बार चर्चाएं की गई हैं और पिछले सत्र में मैंने मांग की कि इसके बारे में हम सदन में बहस करेंगे। जब हम इन यूनिवर्सिटीज पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं; जोधपुर, जयपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए हमने कानून बनाये हैं, करोड़ों रुपय दिये हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी और घंटाले न हों। वहां का शिक्षा स्तर ऊपर उठे, किसी तरह से वहां के अध्यापक आदि किसी दलबन्दी और राजनीति में भाग न लें और दलबन्दी और राजनीति का अखाड़ा वे न बन जावें। इस बात को विधान सभा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको इसके लिये कोई अध्यादेश लाना था तो राजस्थान विश्वविद्यालयों की हालत सुधारने के लिये लाना चाहिये था। वहां पर जो गड़बड़ी और वहां की कोई शिकायतें हैं उनको सुधारिये।

मैं इसके लिये यहां आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको इस प्रकार का कोई सुधार करना है तो आपको चाहिये कि जो विधान सभा के सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हों, तो ऐसे पांच सदस्यों को जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन के मामलों में दिलचस्पी रखते हों, उनका एक इन्वेस्टिगेटिंग पेनल बनाया जाये। वहां की हालत को जांच करके वह इन्वेस्टिगेटिंग पेनल विधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश करे। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे सामने रिपोर्ट आयेगी तो सदन को जानकारी मिलेगी कि यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? आज हम देखते हैं कि यहां के विश्वविद्यालय का भवन बैंक के यहां पर गिरवी पड़ा है। उसके वहां के लेक्चरार आदि को तनख्वाह देने के लिये गिरवी रखा है। मैं यह कहूंगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया, लाइब्रेरी बनाने के लिए रुपया दिया, मगर उन्होंने बना दिया वहां पर स्वीमिंग पूल। जब वे इतने बड़े बिल्डिंग पर खर्चा नहीं कर सकते हैं और फिर स्वीमिंग पूल बनाते हैं। पहले वहां पर तक्षशिला का विश्वविद्यालय चलता था। आज भी शांति निकेतन का है वहां पर लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। पेड़

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के नीचे बैठकर पढ़ने से कोई बड़ा नहीं बनेगा और भवनों में बैठकर पढ़ने से बड़ा बनेगा, यह बात नहीं है।

आजकल यह एक प्रकार का मीनिया हो गया है कि बड़े बड़े भवन यूनिवर्सिटीज के लिए चाहिए; अच्छी अच्छी ट्यूब लाइट होनी चाहिए, रेफरीजिरेटर होने चाहिए; एअर कन्डीशन चाहिए, अच्छे फर्निचर होने चाहिए। ये, सारी ऊपरी दिखावे की चीजें हैं जो मौजूदा समय में लोगों के लिए चाहिए। ये ठोस पदार्थ नहीं है। इसमें पदार्थ कुछ नहीं है। सब ऊपरी दिखावा मात्र है; इसमें सबस्टेन्स जीरो है। आपका तो सारी यूनिवर्सिटी का निकट से सम्पर्क रहता है लेकिन हमको तो ये सारी बातें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। सारे मसलों में कई बार मंत्रीजी कहते हैं कि हम दिलचस्पी रखते हैं! मगर मैं कहूंगा कि मन्त्रीजी इसके बारे में कॉम्पलेक्स रखते हैं। पिछले ४–५ वर्षों में, मैं यह कहूंगा कि चाहे हरिभाऊजी हों, चाहे बृजसुन्दरजी हो, चाहे नाथूरामजी हो शिक्षा मन्त्री, मैं माथुर साहब की बात नहीं कहता इन लोगों का काम्पलेक्स रहता है। गवों फेसेज, धूलि कपड़, यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ बैठ नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, मॉडर्न सोफिस्टीकेटेड बातों को समझ नहीं सकते, वो सब स्टुपिड भेजा गया, ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आतीं। अतः वे यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। वे उनके साथ घुल-मिलकर रह नहीं सकते, इसलिये वे उनके साथ मिक्स अप नहीं हो पाते हैं और यही कारण है कि उनका कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में नहीं होता। उनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं वे प्राइमरी पाठशालाओं में ही होते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरी जगह प्रोग्राम नहीं होता। अगर होता होता तो आप ही बतायें कि किसी भी सिन्डीकेट ने आज तक आपको बुलाया है आपने किसी एम. ए. क्लास में या किसी लॉ कॉलेज में आकर कोई लेक्चर दिया है? आपको चाहिये यह था कि कम से कम हर यूनिवर्सिटी में ४ या ५ दफा आकर वहां पर वहां के लोगों की ग्रीवेन्सेज को सुनें, टीचर्स को एड्रेस आपको करना चाहिये था, इंजीनियरिंग के स्टूडेन्टों को क्या तकलीफ है वे आपको सुननी चाहिये थी और कहना चाहिये था कि हम उनके लिये प्रबन्ध करेंगे। यह दिक्कत एप्रोप्रियेट नहीं है और यह दिक्कत आपको हम दूर करेंगे।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसमें लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं, सुखाड़िया जी मत जाओ। मैं आपसे कहूंगा कि जाने वाला जायेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको जाना था, आप चले गये और आना था, आप आ गये। कौन रोक सकता है? लेकिन मैं सरकार से और मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ न करें। मन्त्रीजी आपको शिक्षा का पोर्टफोलियो दिया है। आप छागला से अपना मुकाबला न करें। आपको तीन नम्बर में कुर्सी मिली है, आपको केबिनेट में कोई पूछता नहीं। आपकी कोठी ऊपरी तो सबसे नीचे, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आपको पूछता नहीं। बूंदी के सिवाय आपका कोई दूसरा दायरा नहीं, फिर आप क्यों करते हैं? आप नहीं सम्हाल सकते एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को, आप इसे छोड़ दीजिये। क्योंकि आप अपने इन सारे कारनामों से डा. साहब की तारीफ कर रहे हैं, डा. साहब अच्छे नहीं

Page No. 89

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थे, पर लोग कह रहे हैं कि बृजसुन्दरजी से तो 'बा' साहब अच्छे थे । इसलिए अच्छे थे डिप्टी मिनिस्टर साहब आचार्यजी उन पर हावी थे । न आप उन पर हावी हो सकते हैं और न वे आप पर हावी हो सकते हैं और परिणामतः झगड़ा चलता है। दोनों की इन्कॉम्पेटेन्सी में सेक्रेटरी दोनों पर हावी रहते हैं। वे अपनी कॉम्पेटेन्सी में हावी रहते रहेंगे, क्योंकि वे आई. ए. एस. के आदमी होते हैं। आपकी तरह चोर दरवाजे से नहीं आते, इलेक्शन में अवांछनीय घोषित कर दिया गया तो दूसरे इलेक्शन से आ गये, वे लोग चापलूसी रख करके नही आते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एजूकेशन का पोर्टफोलियो बड़ा जिम्मेदारी का पोर्टफोलियो है इसलिये आप एक्साइज का या फोरेस्ट का पोर्टफोलियो ले लीजिये. आपने यह लूजिंग पोर्टफोलियो, नुकसान का पोर्टफोलियो क्यों लिया है? आप तो बार्गेनिंग का पोर्टफोलियो लीजिये, जैसे एक्साइज पोर्टफोलियो दामोदरजी ने लिया है; हरी-हरी, लाल-लाल, गुलाबी-गुलाबी पीते रहेंगे और लोगों को पिलाते रहेंगे। आप एज्यूकेशन को नहीं सम्हाल सकते आपको इन्टक चाहिए, हड़तालें करवाओ, हड़तालियों पर लाठियां, गोलियां चलाओ यह काम है इन्टक में, और शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती की पूजा है। आपकी एक्टीविटीज आपका मानसिक झुकाव, आपके मन का झुकाव इन्टक का है; लाठी. गोली फिर समझौता, ये सारे काम आपके किए हुए हैं। एन. बी. सी. में हड़ताल कराओ, कांग्रेस को चन्दा दे तो हड़ताल तुड़वा दो, यह सब शिक्षा के क्षेत्र में कहां चलेगा? शिक्षा और इन्टक का कहीं एफिलियेशन नहीं। इन्टक की वजह से आप इन्कॉम्पिटेन्ट होते हुए भी भीलवाड़ा पर हावी रहते हैं क्योंकि कोटा की स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी की हड़ताल नहीं हो। इसलिए अच्छा है कि आप इन्टक ले लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मैंने काफी कहा है, मैं आशा करता हूं कि मोटे शरीर को भेद कर मेरी बातें उनके अन्दर तक असर कर जायेंगी। आप राजस्थान की शिक्षा पर रहम करें. आप केबिनेट में बने रहें। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन का स्टेण्डर्ड गिरता चला जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए विद्यार्थी ऑल इण्डिया यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले विद्यार्थियों से कम्पीट नहीं कर सकते, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट नहीं कर पाते और इस तरह से राजस्थान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने एक सुझाव दिया है कि सदन के ५ या ३ व्यक्तियों का एक पेनल नियुक्त किया जाय, चाहे राज्यपाल से करवाइये, पर राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और वह पेनल अगले सदन में रिपोर्ट पेश करे और उसके आधार पर राजस्थान की यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए अध्यादेश लायेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे। डाइरेक्टर की जगह डिप्टी डाइरेक्टर को सीनेट में भेजने के लिए अध्यादेश जारी करेंगे तो यह राजस्थान के अहित में होगा। इससे ज्यादा सुझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि इस सदन में बार-बार विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद भी इस सदन के समक्ष इस सरकार द्वारा फिर अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है। पिछली दो बार सदन में यह कहा गया कि अध्यादेश लाने की सरकार को आदत बुरी है। जहां

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कि इमिनेन्ट इमिजियेट नेसेसिटी हो, जिसमें कि ऑर्डिनेन्स के बिना राजस्थान का राज्य चलाना असंभव हो जाय, वही ऑर्डिनेन्स लाया जाय।

जब हमने संविधान स्वीकार किया और गणतन्त्र की घोषणा की तो हमने आशा की थी कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक रूल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल २१३ में जो वर्ड्स लिखें हैं कि हमें बाध्य होना पड़ा है कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करें। पर जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ऑर्डिनेन्स जारी कराने में जो कारण दिया है वह यह दिया है कि डायरेक्टर की जगह एडिशनल डाइरेक्टर को सीनेट में भेजने की आवश्यकता थी, यह कितनी निकम्मी और थोथी दलील है कि एक आदमी को वहां रखने के लिये ऑर्डिनेन्स जैसे अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर विनम्र शब्दों में आपके द्वारा, वार्निंग के तौर पर अपना रोष प्रकट करते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार ऑर्डिनेन्सेज का इन प्रकार का उपयोग करना छोड़ दे। सरकार ने जो ऑर्डिनेन्सेज जारी किये उनका दुष्परिणाम हमारे सामने है, इस सदन में २६ तारीख को जैसी घटना हुई ऐसी अप्रिय, अभूतपूर्व घटना थी जिससे शर्म आती है, सरकार इस प्रकार के अध्यादेश नहीं निकालती तो इस अप्रिय घटना से हम बच जाते।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आज राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चों का स्टेन्डर्ड इतना गिर गया है कि उन्हें हिन्दी या अंग्रेजी का साधारण ज्ञान तक नहीं होता, टी.डी. सी. में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक पत्र शुद्ध रूप में नहीं लिख सकता। इसका कारण यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मन्त्री महोदय ने राजनैतिक मनोवृतियों का प्रसार कर दिया है। बार बार मन्त्री महोदय दौरे करते हैं, शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा शास्त्रियों से गम्भीर वार्ता करें, उसके बजाय राजनैतिक बातें करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को दलगत राजनीति में घसीटने का प्रयास करते रहते हैं। टौंक में कई मिनिस्टर बार बार शिक्षा संस्थाओं में आये, मुझे तो नहीं बुलाया गया, बुलाया भी क्यों जाता किसी न किसी बहाने टौंक आये और विद्यार्थियों को गुमराह करने की कोशिश की और जो डिसिप्लिन, जो वातावरण विद्यार्थियों में होना चाहिए, उसको बिगाड़ा। गर्ल्स स्कूल के बारे में कैसी दुर्व्यवस्था है, जिसके बारे में बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है पर उसको सुधारने का सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो जिम्मेदारी ली है उसको निबाहने की कोशिश करें, इसमें विष फैलाने की कोशिश न करें।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि एक इन्स्पेक्शन कमेटी बनाई जाय, जिसमें सदन के सदस्यों को लिया जाय। यह एक अच्छा सुझाव है। पहले भी इस सदन में विचार दिया गया था कि हर डिपार्टमेंट के साथ इन्फॉर्मल कन्सल्टेटिव कमेटियां रखी जायं तो वे बड़ी उपयोगी साबित होंगी। अभी इन कमेटियों को अधिकार भले ही मत दीजिये, पर उनसे सलाह और सुझाव लीजिये, इससे सदन में जो हर

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

विभाग के बारे में इतनी बहस होती है वह भी नहीं होगी और अच्छा काम हो सकेगा।

अन्त में मैं, जो अध्यादेश निकालने की प्रवृति राजस्थान सरकार में बढ़ती जा रही है उसके सम्बन्ध में पुनः रोष प्रकट करते हुए निवेदन करूंगा कि जहां तक नितान्त आवश्यक नहीं हो, राजस्थान पर ईश्वर न करें, कोई आपत्ति आये, या सरकार पर कभी आपत्ति आये तभी अध्यादेश का सहारा लें। आज जो अध्यादेश ला कर लोकतन्त्र को खत्म करने की इस प्रकार की परम्परा डाल रहे हैं, ऐसी परम्परा न डालें, नहीं तो इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। आज आप खुश हो सकते हैं कि हम ऑर्डिनेन्सेज से राज्य चला रहे हैं पर आगे चलकर इनके परिणाम बड़े घातक और खतरनाक हो सकते हैं, इससे क्रान्ति हो सकती है, आप अपने इस प्रकार के कारनामों से ऐसा भयंकर वातावरण पैदा कर देंगे, जिसको सम्हालना राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो जायगा।

इसलिए मैं पुनः इन अध्यादेशों के संबंध में राज्य सरकार को चेतावनी देता हूं और थोड़ा सा शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा के संबंध में कुछ अधिक ध्यान दें और अपना पूरे का पूरा समय शिक्षा शास्त्रियों के संपर्क में लगाएं, अपने विचारों का उनसे आदान-प्रदान करें, ताकि राजस्थान की शिक्षा संस्थाओं की जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसमें सुधार हो।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स है उस बारे में, मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा ऑर्डिनेंस लाने के प्रति कोई विरोध नहीं है, यह सरकार का अधिकार है, यह संविधान में भी सरकार को अधिकार है कि सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसका प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया, जब कभी सदन सेशन में न हो और बहुत महत्वपूर्ण मसला सरकार के सामने हो तो इस प्रकार की चीज लाई जाय। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि यह हमारी सरकार राजस्थान सरकार ही नहीं, यह भारत भर में एक प्रकार से प्रवृत्ति चल पड़ी है कि अध्यादेश को गाजर-मूली के समान समझा जाय। मैं इस चीज का विरोध करता हूं, अध्यादेश का नहीं। इसमें एक छोटी सी बात है कि डाइरेक्टर के बदले एडिशनल डाइरेक्टर को पॉवर देने के लिए सरकार ने अध्यादेश निकाला। यह कोई तरीका है? इतनी छोटी बात के लिए एक अध्यादेश निकालना यह कहां तक उचित है?

शिक्षा के बारे में मेरी यह निश्चित धारणा है कि हम शिक्षा को व्यापक बनाएं लेकिन जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का सवाल है, मैं चाहता हूं कि उसका कोई स्टेंडर्ड होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ यदि हम विशेष ध्यान नहीं देते तो हमारा उत्थान नहीं होगा। अभी शिक्षा के स्तर के बारे में, मेरे जौहरी बाजार से आने वाले मित्र ने कई बातें कहीं। वास्तव में स्थिति यही है। मैं जब खुद अपने स्कूल के दिनों की कल्पना करता हूं तो मुझे दुःख होता है। मेरा शिक्षा का मीडियम अंग्रेजी था, बाकी जहां तक हिन्दी का प्रश्न है,

(३.३३ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसमें तो शायद मैं इन्टर तक पढ़ा

(श्री मानसिंह महार)

सकता हूँ और अंग्रेजी में तो आज के युग के एम० ए० को पढ़ा सकता हूँ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अभी लिटरेचर इतना फाइन बोल रहे हो।

श्री मानसिंह महार : शिक्षा का स्तर, दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है, उसको ऊंचा करना जरूरी है। गिरावट का कारण यह है कि आज विश्वविद्यालयों वगैरह में पक्षपात बहुत है। चाहे शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न हो, वह तो प्यूअरली उनकी एकेडेमिक योग्यता पर होनी चाहिए। यह नहीं होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की बातें करें कि यह फलाने के ताऊ का बेटा है और वह उसकी फूफी का देवर है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा के मामले में बहुत ऊंचे हैं इसलिए मेरी हिम्मत तो और अधिक बढ़ जाती है कि आपकी ही मौजूदगी में इस प्रकार की बातें कहें तो उचित होगा।

मुझसे पहले एक मित्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, फर्नीचर नहीं होना चाहिए, उन्होंने शांतिनिकेतन की मिसालें दीं। आदर्श के लिए तो शांतिनिकेतन अच्छा है लेकिन जब वास्तविकता में आते हैं तो चाहते हैं कि छात्रों की योग्यता बढ़े। जो कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय में श्री मेहता के समय में हुआ है, उस विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ है, मैं उसकी ताईद करता हूँ, उसको बुरा नहीं मानता। उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वह उचित मानता हूं। वहां जो सही ढंग से वातावरण मिलता है स्नातकों को वह मिलना चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी हो और इस प्रकार की चीजें हों, यह बुरा नहीं। मैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट मानता हूं। लेकिन उससे भी जो ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट है, वह है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति। वह जब तक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं। मैं इसके अन्दर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति जो होती है वह शिक्षक विद्वान होने चाहिए और विद्वता के साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी होने चाहिए। जब तक वह स्पोर्ट्समैन नहीं होता, तब तक हमारे विश्वविद्यालयों से अच्छे खिलाड़ी नहीं निकलेंगे। आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में चले जाइए। अगर किसी स्कूल या कॉलेज में एक भी स्पोर्ट्समैन होगा, अगर एक भी शिक्षक किसी गेम में दिलचस्पी लेता होगा तो वह खेल अच्छा होगा, उस विश्वविद्यालय का। मैं अपनी खुद की मिसाल देता हूं जब मैं सन् १९३१ में इन्दौर को छोड़ कर जयपुर आया, तब मैं इन्दौर में होल्कर कॉलेज में टेनिस में था, क्रिकेट में था, अपनी होल्कर कॉलेज की टीम थी। खिलाड़ी होने के नाते मैं खेलों में अधिक समय लेता था तो मेरी जो अटेंडेंस होती थी वह शोर्ट पड़ती थी। मैं कोई वृजसुन्दर के युग की बात नहीं करता हूं, राजस्थान में शुरू से ही रियासतों के समय से यह टेन्डेंसी है। मेरा जब महाराजा कॉलेज, जयपुर में एडमिशन हुआ तो हमारी टेनिस टीम अलवर गई। मैंने प्रिंसीपल साहब से कहा कि मैं अगर टीम के साथ अलवर जाऊंगा तो मेरी कम से कम दस दिन की अटेंडेंस शोर्ट होगी, आप मुझे राय दें। उन्होंने कहा कि अटेंडेंस कंडोन नहीं करेंगे। मैं गया नहीं, उस दिन से टेनिस वगैरह छोड़ दी, स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार की मनोवृत्ति क्यों होती है? होल्कर कॉलेज में मिस्टर रिचर्डसन थे उनके नीचे दो-तीन

(श्री मानसिंह महार)

योग्य मास्टर्स थे, वह स्पोर्ट्समैन को प्रिफरेंश देते थे, वहां ऐसी चीज नहीं थी। आज मौका आया है और मैं अपने शिक्षा मंत्री से, जो कई बार होस्टल में आते हैं और मेरे ख्याल से गेम्स में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप विश्वविद्यालयों में एपोइन्ट-मेंट्स वगैरह करते हुए योग्य आदमियों को लीजिए लेकिन अगर उनके साथ स्पोर्ट्समैन भी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को आप लेंगे तो वह सोना और सुगंध होगी। यह मेरी एक खास हमारे शिक्षा मंत्रीजी से रिक्वेस्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है, लड़कों में डिसिप्लिन लाना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका विद्वत्तापूर्ण भाषण है यह केवल शिक्षा की रीति-नीति पर है। परन्तु यहां तो ऑर्डिनेन्स की खारिज करने की बात है उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री मानसिंह महार : मेरे से पूर्व यहां विद्वत्तापूर्ण भाषण हो चुके है इसलिये मैंने कहा। आप फरमायें तो उस दायरे में ही रहूंगा। वहां तो प्राइमरी एज्यूकेशन तक बात हो गई, इसीलिये मैं सुझाव दे रहा था। मेरा निवेदन यह था कि स्पोर्ट्समैन को आपको यूनिवर्सिटी में प्रिफरेन्स देना चाहिये।

दूसरी चीज की ओर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं उन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता........

श्री उपाध्यक्ष : एडिशनल डाइरेक्टर इसमें रखा है यह भी स्पोर्ट्समैन होना चाहिये ?

श्री मानसिंह महार : सोना और सुगन्ध। डाइरेक्टर स्पोर्ट्समैन हो जाय तो शिक्षा और शिक्षा विभाग का काया-पलट हो जाय। मि० व्यास तो हॉकी में गोल कीपर रहे हुए हैं। वे भी स्पोर्ट्समैन थोड़े हैं, उनको भी यदि तरजीह दे दी जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

दूसरा पॉइन्ट, मैं निवेदन करूं शायद फिर आप कुछ फरमायेंगे। इस सदन में जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं कि इतने माथुर को अपोइन्टमेन्ट दे दिया और यह है, वह है, मैं इस चीज का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जोधपुर यूनिवर्सिटी की ओर से विरोध-पत्र आया है कि कोई माथुर वगैरह नहीं रखे गये।

श्री मानसिंह महार : मैं वही कह रहा हूं। जो भी माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा और गवर्नर महोदय के लिये कहा कि इतने माथुर रख लिये और यूनिवर्सिटी में उसका विरोध हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ा अच्छा विरोध-पत्र आया है। उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह भी हमारा फर्ज हो जाता है कि लोगों को गुमराह न करें। मेरा दुर्भाग्य है कि जिन मित्रों ने ये बातें कहीं, वे आज यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनकी अनुपस्थिति को देखते गला भर आता है लेकिन जब वे मिलेंगे तो उनसे कहूंगा कि ऐसी बेबुनियादी बातें सदन में न कहें। मैं मेरे पर्सनल एक्स्पीरियेन्स पर कहना चाहता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी की जिस प्रकार काली तस्वीर यहां पर रखी जाती है वैसी बात नहीं है। मेरा भी एक लड़का

(श्री मानसिंह महार)

जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और सब मित्रों को बताना चाहता हूँ कि साम्यवादी लोग इस प्रकार का प्रचार करते है। उनका तो एक ऐम है कि इस प्रकार की बात कह कर जनता को गुमराह किया जाय, उनका ऐम है कि कहीं अच्छी व्यवस्था हो तो उसको खत्म करें। लेकिन हम जो पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनका ऐम यह है कि ऐसी गलत बातें सदन में नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कुछ ऑर्डिनेन्स के बारे में, जैसा आपने फरमाया, मैं उसके बारे में कहूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑर्डिनेन्स का सवाल है डाइरेक्टर न हो तो एडिशनल डाइरेक्टर हो, यह एक छोटी सी बात है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि as a point challengeable चीज नहीं है कि यह क्या कर दिया लेकिन शिक्षा मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं थी कि अगर आपके डाइरेक्टर साहब एक आध मिटिंग में नहीं पधारते तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि यूनिवर्सिटी की छत गिर जाती और दस बीस हजार आदमी मर जाते। मामूली चीज थी कि डाइरेक्टर साहब नहीं बिराजते और एडिशनल डाइरेक्टर साहब नहीं जाते तो कोई बात नहीं। यहां इस प्रकार यह ऑर्डिनेन्स लाते हैं तो यह आप पर लांछन है कि आप डेमोक्रेसी को कलंकित कर रहे हैं। कई बार कहा है। आपके छोटे से ऑर्डिनेन्स का क्या हुआ कि राजस्थान सारे हिन्दुस्तान में बदनाम हो गया। यह कलंक आपके माथे पर है शिक्षा मंत्रीजी, मैं उपाध्यक्ष महोदय के जरिये से यह कहूंगा। राजस्थान को यह काला टीका चढ़ाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा क्योंकि उसके द्वारा ऐसे अन्यायपूर्ण तरीके अपनाये गये जिससे इस सदन के आठ-दस मेम्बर्स को गवर्नर साहब को निकालना पड़ा। हम दूसरी चीज देखते हैं तो हम सहमत हैं कि भारत के संविधान को जिन्दा रखना है तो गवर्नर की भी इज्जत रखनी है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनकी ताइद नहीं करता हूं। अगर आप लोग भी भारत के संविधान को जिन्दा रखते हैं तो उस ओर ध्यान दीजिये। छोटी छोटी चीजों से लोगों को इरिटेट न करिये। आप सरकारी बैंचों पर बैठे हैं जब तक यह जरूरी है कि आप ऐसी चीज न करें, जिससे आपके ऊपर या संविधान के ऊपर कलंक लगे। इसलिये शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आयन्दा कुछ भी करें, इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिये ऑर्डिनेन्स लाने की बातें इन चीजों को भूल जाइये। कल बाई ऑर्डिनेन्स की चीज है उसको भुला दीजिये। राजस्थान के मुख्य मंत्री, अभी यहां नहीं हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूं यह ऑर्डिनेन्स का रूल लाइसेन्स-परमिट का रूल है इसको खत्म करना है। इसको खत्म कराने के लिये आपको कड़े से कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा और हम इसको खत्म करवा कर रहेंगे अपने विरोध के द्वारा। विरोध का मतलब यह नहीं है कि संविधान को ताक में रख दें लेकिन मेरे जिन मित्रों ने संविधान को ताक में रखा उनकी मजबूरी यह थी कि आप रोज ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हुए सदन का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये शब्द कह कर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह गैर मौके का ऑर्डिनेन्स सरकार लायी है यह दिखा कर कि

(श्री मानसिंह महार)

यह गैर मौके का ऑर्डिनेन्स है, इसका हम विरोध करते हैं, इस सदन को इसको थ्रो आउट कर देना चाहिये और उस ओर बैठे हुए मेरे कांग्रेसी मित्रों से निवेदन करूंगा कि और उनसे अनुरोध करूंगा कि इसमें वे हमारा सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में आवेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): पहले विचार-विमर्श का प्रस्ताव आने दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें सदन में कही गयी हैं और जो बिल से सम्बन्धित नहीं हैं उनके बारे में जो कुछ भी शिक्षा विभाग ने किया है कल कह चुका हूं और यह कहना कि शिक्षा विभाग में काम नहीं हो रहा है यह बिल्कुल गलत है। जहां तक शिक्षा विभाग का काम है, मैं समझता हूं, काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। शिक्षकों की समस्यायें सुलझायी गयी हैं, और फिक्सेशन आदि सारी बातें ठीक हुई हैं।

जहां तक यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यूनिवर्सिटी हमारे द्वारा बनाया गया, स्टेच्यूट और एक्ट से गवर्न होती है और राज्य सरकार को जो अधिकार होते हैं उसके अनुसार वह काम करती है। यहां मौजूदा सूरत में क्यों ऑर्डिनेन्स लाया गया, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह तो मैं मानकर चलता हूं कि कई बातें ऐसी होती हैं कि जो बिल के जरिये लायी जा सकती हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिनकी वक्त पर काफी जरूरत होती है। सीनेट और एडीशनल डाइरेक्टर के सिलसिले में लाये गये ऑर्डिनेन्स की जरूरत इस कारण आयी थी कि सीनेट साल भर में एक बार मिलती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन १९ है जो इस प्रकार है :

"The Senate shall on a date to be fixed, meet once a year · · ·"

अगर इस एक साल की अवधि में गवर्नमेन्ट का रिप्रेजेन्टेटिव जो ड्यूली ऑर्गेनाइज्ड है वह अगर मीटिंग में नहीं होता है तो वहां गवर्नमेंन्ट अपनी बात नहीं रख सकती और सिन्डीकेट में जो कुछ पास होना होता है वह उसकी अनुपस्थिति में पास हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार एडवोकेट नहीं जाने की बात कही जाती है तो उसी प्रकार इसमें भी यदि हमारा प्रतिनिधि नहीं जाता है तो कही जा सकती है। डाइरेक्टर अपने मेम्बर को नोमीनेट नहीं कर सकता; वह इसलिये नहीं कर सकता कि जब तक अमेन्डमेन्ट नहीं हो; इसलिये ऑर्डिनेन्स के जरिये एडीशनल डाइरेक्टर को सीनेट का सदस्य मनोनीत करना लाजिमी हो गया है।

इसके अलावा कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट्स हैं; पहले जहां टर्म्स को डिफाइन नहीं की इसके साथ ही इन्ट्रोड्यूस कर दी। यह बहुत जरूरी चीज थी; हमारे यहां से डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन जो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट है वह वहां जाकर उपस्थित होता।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ है उसको विचारार्थ लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व अन्य माननीय सदस्यों ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) :
[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :—
"राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६६ को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।"]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के संबंध में प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। यह प्रस्ताव मैंने इस वजह से किया है कि इस संशोधन विधेयक में जो सेक्शन १८ है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संचालक के अभाव में अतिरिक्त संचालक सदस्य होगा सीनेट का। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन किस प्रकार से देना चाहती है, हमारे प्राइमरी और सैकन्डरी शिक्षा के संचालक किस प्रकार से होने चाहिये। जहां तक प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के प्रसार का सवाल है उसके लिए मैं राज्य सरकार की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता। जहां तक इसके एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, शिक्षा के स्तर का प्रश्न है, स्कूलों के प्रबन्ध का प्रश्न है, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इनमें बहुत सी खामियां हैं। जो संशोधन लाया गया उससे यह स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के संबन्ध में वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट नहीं होगा और उसके स्थान पर अतिरिक्त संचालक रहेगा, इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक नहीं जैसा उसको होना चाहिये। सरकार की लगन प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के लिये जो होनी चाहिये वह दिखाई नहीं देती।

सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी प्राइमरी और सैकन्डरी एज्यूकेशन अच्छी चले, इसका संचालन अच्छी तरह से हो। जो बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कल वे हमारे राजस्थान के भावी नागरिक हैं, वे इस राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे; अतः इनको शुरू से ही अच्छी शिक्षा दी जाय। अगर हम नहीं दे पाते हैं तो राज्य का विकास रुक जायगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस ओर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे हायर सैकन्डरी स्कूल्स में और प्राइमरी स्कूल्स में किस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से व्यवस्था चल रही है। आज हम प्राइमरी स्कूल्स में देखते हैं, जो हायर सैकन्डरी स्कूल पास करके निकलते हैं उनको तुरन्त अध्यापक बना कर इन स्कूलों में भेज दिया जाता है जिनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होता है। हमने कुछ एस० टी० सी० स्कूल खोले हैं, लेकिन वहां पर छः-आठ महीने शिक्षा प्राप्त करने से अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। उनसे हम यह आशा करें कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, यह असंभव सी बात है।

हम देखते हैं, पब्लिक स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। जो स्कूलें मिशनरीज द्वारा चलायी जाती हैं या जिन स्कूलों में अधिक फीस ली जाती है, जिसमें बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं, इन स्कूलों की शिक्षा में और हमारी प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा में बड़ा भारी अन्तर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह यूनिवर्सिटी बिल है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें डाइरेक्टर का प्रश्न है, इसलिये इसका संबन्ध प्राइमरी और सैकन्डरी स्कूलों से जुड़ा हुआ है। सरकार उदासीनता प्रकट करती है, हमारी प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के बारे में, जिसका यह उदाहरण है कि वहां पर अच्छे क्वालीफाइड आदमी नहीं रखे जाते। आज जो प्राइमरी शिक्षा हमारी पंचायत समितियों द्वारा दी जाती है वहां हम देखते हैं, बच्चों के बैठने के लिये टाट-पट्टी नहीं मिलती है, बच्चे जो पढ़ने आते है, फटे कपड़े पहने हुए ही आ जाते हैं उनकी हालत को सुधारने की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षक हों वे प्रशिक्षित हों और जो गरीब बच्चे हों जिनको पहनने के लिये कपड़े नहीं होते उनकी व्यवस्था होनी चाहिये। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये इस प्रकार के प्रबन्ध की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा।

जिस विभाग का हैड नहीं उसमें रहता है तो हम यह कैसे अनुमान करके चल सकते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग इसमें जागरूक है। एक छोटे से आदमी से काम चलाना चाहते हैं। आप किस प्रकार से बच्चों को योग्य बना पायेंगे जिससे वे आगे चल कर देश के सुयोग्य नागरिक साबित हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था सुचारु रूप से हो, यह इस अमेन्डमेन्ट से प्रतीत नहीं होता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह आवश्यक नहीं है। सरकार को चाहिये कि प्राइमरी और सैकेन्डरी एजूकेशन का संचालक नियुक्त करके इसमें सुधार होना चाहिये। उसके बजाय जो एडीशनल डाइरेक्टर का पद क्रिएट करना चाहते हैं वह अमेन्डमेन्ट ठीक नहीं है। उससे हमारे प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के प्रसार की जो स्कीम है उसके ऊपर भी उसकी छाया पड़ता है कि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिन्डीकेट के सदस्यों की अवधि के बारे में। जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है यह तीन साल की अवधि रहेगी। जहां पर सीनेट के सदस्यों का सवाल है वहां पर उनकी अवधि पांच साल की है। सिन्डीकेट के सदस्य जो निर्वाचित

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हैं या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं उनकी तीन साल की अवधि होगी; तो इन दोनों प्रश्नों पर भेद-भाव सा मालूम पड़ेगा। अगर इलेक्टेड सदस्यों की अवधि में कमी की जाती है और दूसरे सदस्यों की अवधि ज्यादा रखी जाती है तो यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

(४.०० म. प.)

आज जिस प्रकार की व्यवस्था विश्वविद्यालय में हैं, जिस प्रकार के झगड़े-टंटे हमें सुनने को मिलते हैं उनसे महसूस होता है कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं है।

जहां तक खर्चे का प्रश्न है प्रोफेसर और लेक्चरार्स का प्रश्न है और दूसरी व्यवस्थाओं का प्रश्न है इन सब प्रश्नों पर गहराई से विचार करना होगा। आज हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा का स्तर हमारा गिरता जा रहा है। हमारे राजस्थान प्रान्त के लोग आइ० ए० एस० आदि ऑल इन्डिया सर्विसेज में कम्पीटीशन में खड़े नहीं रह पाते। यह साफ जाहिर करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय कायम किया, जोधपुर विश्वविद्यालय कायम किया, उदयपुर विश्वविद्यालय कायम किया, अजमेर विश्वविद्यालय कायम कर दें, बीकानेर विश्वविद्यालय कायम कर दें; इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, जब तक हम शिक्षा की क्वालिटी में सुधार नहीं कर पाते तब तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। हमारे विश्वविद्यालयों का संचालन ठीक प्रकार से होना चाहिये। लेक्चरार्स प्रोफेसर्स आपस में लड़ते हैं, उनकी लड़ाई में छात्रों को घसीटा जाता है, इससे छात्रों में अनुशासनहीनता आती हैं। यह सब इस शिक्षा प्रणाली का दोष है, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये ताकि यह व्यवस्था ठीक हो। शिक्षा के अन्दर सुधार हो जाने से हमारे सब काम ठीक प्रकार के हो जायेंगे, सभी कामों में सुधार होगा; इसलिये जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है वह मेरे विचार से ठीक नहीं है। इसीलिये मैंने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का सुझाव पेश किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हू, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन की अलग-अलग जगह नहीं होने से प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता हो, यह बात नहीं है। सारी शिक्षा की पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि डाइरेक्टर ऑफ कॉलिज एजूकेशन और डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन अलग अलग रखी जाय। डाइरेक्टर ऑफ कॉलिज एजूकेशन के पद पर वही व्यक्ति लिया जाता है जो माना हुआ एजूकेशनिस्ट होता है, उसी पर सारा भार होता है। इसलिये जो अलग से पोस्ट थी दोनों को एक किया गया है। दोनों अलग अलग होने से एक पूर्व चलता था तो दूसरा पश्चिम, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। डाइरेक्टर प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन की पोस्ट एबेयेन्स में रखी है, अभी इसके एबोलिशन

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की बात नहीं है। यदि अलग रखने का विचार हुआ तो अलग भी रखा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन और प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन अलग अलग नहीं होकर डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन को डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का पद दिया जाय; यह निश्चित हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखने के लिए एडीशनल डाइरेक्टर की पोस्ट अभी क्रिएट की गई है। सीनेट के मेम्बर का जहां तक सवाल है, उसमें डाइरेक्टर, प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन को रखा गया है चूंकि अब इस प्रकार की पोस्ट नहीं रहेगी तो जो इस जगह पर काम करता है एडीशनल डाइरेक्टर, वह सीनेट का मेम्बर रहेगा। वह वहां पर गवर्नमेण्ट को रिप्रेजेण्ट करेगा, सरकार का दृष्टिकोण रखेगा। इसलिए जो संशोधन लाया गया है वह फोर्मल है।

दूसरी अवधि की बात कही गई, सेक्शन २१ में पहले यह था, तीन साल की अवधि थी; बाद में जब संशोधन आया २१ में तो उस तरह से रिप्लेस हो गया, लेकिन सब क्लॉज टू में सही नहीं किया गया। इसलिए यह भी फोर्मल चीज है। इसलिये कोई आवश्यक नहीं कि इस को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(४.१६ म. प.)

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विषय पर जो कुछ संकल्प हैं उसको मैं यह मानकर चलता हूं कि वे मूव नहीं होंगे। That is dropped.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने भी अध्यादेश विधेयक के रूप में परिणत करने के सम्बन्ध में इस सदन में जो विधेयक पारित हुए हैं और यह विधेयक भी अभी पारित होने वाला है, उन सब विधेयकों का इस विधेयक से कम्पेरिजन किया जाय तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, जिन्होंने यह आर्डिनेंस इश्यू किया है, उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने यह किन परिस्थितियों में

(श्री भैरोंसिंह)

इश्यू किया है, किस आदेश में किया है और किन कारणों से किया है; यह तो वे जानें। लेकिन मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी आत्मा तो गवाही नहीं देती होगी। संविधान के अनुच्छेद २१३ के मातहत ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के अधिकार गवर्नर को दिये हैं. उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी किया जाय? आर्डिनेन्स क्या है और विधेयक क्या है; यह विधेयक यह है राजस्थान में यह ऑर्डिनेन्स जिस दिन लगा है उस दिन से शराब बिक्री के बारे में एडवर्टाइज़मेन्ट नहीं होंगे और नहीं देंगे और कोई अखबार पब्लिश नहीं करेंगे। ये तीन-चार बातें हैं, जो सिर्फ एडवरटाइजमेन्ट के रोक लगाने के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान १६४६ में बना; सारी स्टेट्स का एकीकरण होकर राजस्थान १६४६ में बना। इन्टीग्रेटेड राजस्थान को १५ वर्ष का समय हो गया। शराब की आमदनी पहले जहां डेढ़ करोड़ रुपये थी वह बढ़ते बढ़ते सात करोड़ तक चली गई। पहले जहां आक्शन होता था उसके बाद जाकर गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया गया। यह सरकार की इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार अब भी इसकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। शराब ज्यादा से ज्यादा बिके, लोग ज्यादा से ज्यादा पियें, शराब का ज्यादा से ज्यादा क्रय–विक्रय हो, इस बात को लेकर अब तक सरकार ने किसी बात की कसर नहीं छोड़ी। जो भी मैथड सरकार एप्लाई कर सकती थी सारे मैथड्स को एप्लाई किया गया। टेकचन्द समिति की सिफारिशों के बारे में जो हमारी सरकार की प्रतिक्रिया है वह सब जनता के सामने है। सरकार दबी जुबान से इस बात का प्रसार करती है कि प्रोहिबिशन लागू हो, लेकिन वास्तविक रूप में इसको लागू करने में सरकार आगे नहीं आई है। आज हो यह रहा है कि शराब की खपत ज्यादा से ज्यादा हो।

जैसा कि मैंने निवेदन किया राजस्थान को बने १६ साल हो गये, लेकिन शराब की खपत कम होने के बजाय सरकार इसको बढा रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को डेढ़ महीने बाद लाते तो क्या भयंकर एडवर्टाइज़मेन्ट हो जाता शराब की नदियां बह जातीं या शराब की नदी में राजस्थान डूब जाता या यहां के लोग पागल होकर आपस में लड़ मरते? कौनसी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिससे राजस्थान सरकार ने यह अनुभव कर लिया कि अगर हमने एडवर्टाइज़मेन्ट रोका नहीं तो शराब आसमान से बरसने लग जायगी और उस शराब को पीकर लड़ने लग जायेंगे, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, इससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय होगा।

यह कोई परिस्थिति नहीं है। जो राजस्थान की हुकूमत १७ वर्षों तक इन्तजार कर सकती है इसका कि शराब के लिए एड-वर्टाइजमेन्ट किया जाये और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने शायद इसको ६ महीने भी बरदाश्त नहीं किया। लेकिन जो भूतपूर्व मंत्री हैं एक्साइज विभाग के, आज के एक साल पहले उनका अभिनंदन-पत्र छपा था और वह राष्ट्रवाणी ने छापा था जिसका जिक्र मैंने आज सुबह एड्जोर्नमेन्ट मोशन के रूप में किया था और उसमें एक्साइज के एडवर्टाइज़मेन्ट लिए; आप चाहेंगे तो मैं पेश करूंगा। तो राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)
के एक मंत्री की तो नीति थी कि उनकी वर्षगांठ पर कोई अभिनंदन-पत्र छापता है, किताब छापता है तो उसके अन्दर शराब ज्यादा बिके, इसका एडवर्टाइजमेन्ट हो और एक मंत्री आते हैं वे कहते हैं कि मुझे तो एक महीने की भी बर्दाश्त नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक महीने इन्तजार कर लेते तो राजस्थान को घाटा होता ? क्या राजस्थान सरकार डूब रही थी, वह बच जाती या राजस्थान की जनता मर रही थी वह तिर जाती ? लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है; बल्कि मैं तो आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स में आपने लिखा है; मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप बतायेंगे कि :—

"....the use of any intoxicant or encourages any person to commit a breach or evade the provisions of any rule or order made under the Excise Act and for declaring any such newspaper, booklet leaflet or other publication forfeited to the Government."

इसके बाद में यह आपने १६ तारीख को इश्यू किया और १८ तारीख को पब्लिश हुआ और कई दिनों से इन्तजार में थे कि डेट कौनसी आयेगी। ८ से १४ तारीख तक कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे दुनियां के और अधिवेशन हुआ स्टेडियम ग्राउण्ड में और लालकोठी के अन्दर शराब की दूकान खुली। बाकायदा पर्दा लगा हुआ लाल और हरी रंग की शराब वहां पर रखी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आपको रोकना ही था तो, राजस्थान का नाम ऊंचा करना था तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले ऑर्डिनेन्स क्यों नहीं इश्यू किया ? आप स्वयं चाहते थे कि वहां लोग आयें और शराब पीयें और शराब की बिक्री हो और किसलिए बिक्री हो कि गारन्टी सिस्टम की मयाद खत्म होने वाली थी और ठेकेदारों के यहां शराब बिकी नहीं, उससे किस प्रकार से उनको लाभ मिले, इसलिए यह सब किया गया। तो १७ तारीख तक कुछ नहीं किया, १६ तारीख को आप ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हैं और १८ तारीख को पब्लिश होता है, अधिवेशन खत्म हो जाता है और शराब की बिक्री हो जाती है........

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : कांग्रेस अधिवेशन तो फरवरी में था और यह ऑर्डिनेन्स निकला है जनवरी में।

श्री भैरोंसिंह : यह फरवरी में निकला है।

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस सेशन यहां ८ से १२ फरवरी तक था ऑर्डिनेन्स जनवरी का है।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है, मुझे डेट्स का थोड़ा फर्क रह गया।

प्रश्न यह है कि कांग्रेस सेशन तो पहले भी कई बार हुए। उस समय भी इस प्रकार के एडवर्टाइजमेन्ट्स को नहीं रोका। कांग्रेस सेशन पहले भी हुए, वहां पर आपने दूकानों को नहीं रोका। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक अखबार के अन्दर शराब का एडवर्टाइजमेन्ट निकले, वह ज्यादा खतरनाक है या जगह जगह दूकानों के अन्दर लाल, पीली और हरी बोतलें खड़ी कर दें, वह ज्यादा खतरनाक है। आप आजा रोडवेज को

(श्री भैरोंसिंह)

बसों में चले जायें, यहां से भरतपुर चले जायें, यहां से अजमेर चले जायें, जगह जगह चाहे उन बोतलों में पानी ही भरा हो, लेकिन ऐसी खूबसूरत रंगों में भरी हुई बोतलें दिखेंगी कि जिनको देखकर मन में आता है कि इसको पेट में डाला जाये। ऐसी हालत में प्रश्न यह आता है कि आज इस एडवर्टाइजमेन्ट को रोकने की स्थिति मान लीजिए आज आ गयी तो क्या एक महीने का इन्तजार नहीं किया जा सकता था? यदि इन्तजार नहीं किया जा सकता था तो आॅर्डिनेन्स इश्यू करने की नौबत क्यों पैदा हुई? आखिर उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज की सीमा होती है। आॅर्डिनेन्स मन चाहे तब इश्यू कर दिया और आॅर्डिनेन्सेज इश्यू करने का जो अधिकार है उसका मर्जी आये तब दुरुपयोग कर लें, तो उसके कारण ऐसी स्थिति बनती है और उसका सामना करने के लिए लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि काम करने के लिए उनकी इच्छा नहीं है और न उनकी रुचि है और जब रुचि नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे आॅर्डिनेन्सेज इश्यू करने के लिए आगे क्यों आती है? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस आॅर्डिनेन्स का कोई जस्टीफिकेशन नहीं हो सकता; इस आॅर्डिनेन्स के बारे में किसी प्रकार का कोई न्यायसंगत तर्क नहीं हो सकता। इस आॅर्डिनेन्स के बारे में किसी प्रकार से जो आॅर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार है उसकी उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अच्छा तो यह हो कि सदन के अधिकारों को जानकर आॅर्डिनेन्सेज भविष्य में ऐसे इश्यू नहीं हों। इसलिए कम से कम आप इस आॅर्डिनेन्स को वापिस ले लें इस बिल को वापिस ले लें और इसलिए ले लें कि आॅर्डिनेन्स गलत ढंग से इश्यू किया गया है। दुबारा आपको अधिकार है वह इश्यू करें, लेकिन छोटे-छोटे कामों के लिए आॅर्डिनेन्सेज इश्यू नहीं करें। इस प्रकार की स्पोर्टसमैन स्पिरिट और कॉन्स्टीट्यूशनल व्यवहार और परम्परा आप सदन के अन्दर डालें ताकि आॅर्डिनेन्स इश्यू करने या नहीं करने के विषय में आयन्दा इस प्रकार का संकट नहीं हो।

मैं तो आज भी कहता हूं कि इसको आप वापिस ले लें और कल ही एक दूसरा बिल आप सदन में ले आयें और वह आप इन्ट्रोड्यूस करते हैं तो हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि हम कल ही उसको पास कर देंगे। कल उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकिण्ड रीडिंग हो जायेगी और ५ मिनट में हम उसको पास करायेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गई जिससे ऐसा मालूम हुआ कि यदि शराब का एडवारटाइजमेंट होगा तो मुश्किल हो जायेगी। खास तौर से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूसरों को परम्परायें डालने की बात कहते हैं। इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि लोकतन्त्र की कुछ परम्परायें हैं, प्रजातन्त्र की कुछ परम्परायें हैं, व्यवस्थायें हैं और ये वे व्यवस्थायें हैं कि जो कानून में नहीं होतीं, लेकिन व्यवहार में मानकर चलना पड़ता है। यदि परम्पराओं को रखना है, व्यवस्थाओं को चलाना है तो आपको इस प्रकार का व्यवहार करके दिखाना पड़ेगा जिससे अच्छी परम्पराओं का निर्माण हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को वापिस लेने में आपके सामने कोई संकट पैदा होने वाला नहीं है। इस बिल को वापिस ले लें और

(श्री भैरोंसिंह)

फिर दूसरे दिन ही यानी कल ही इस प्रकार का दूसरा बिल पेश कर दें। मैं कहता हूं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो लोग आॅर्डिनेन्स के विषय में गम्भीरता से विचार करेंगे। राजस्थान की जनता समझेगी कि न जाने राजस्थान में क्या एमर्जेन्सी आ गई कि जिसकी वजह से आॅर्डिनेन्स इश्यू किया गया है। उस समस्या के निराकरण के लिए राज्यपाल महोदय ने आर्टीकल २१३ के मातहत इस प्रकार का आॅर्डिनेन्स इश्यू किया है, ऐसी बचकानी चीजों के लिए भी आप आॅर्डिनेंस इश्यू करेंगे तो राज्यपाल का यहां विरोध हुआ है और मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि यही आॅर्डिनेन्सेज ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि राज्यपाल को तो भगाया, आयन्दा लोग चीफ मिनिस्टर का गला पकड़ेंगे, राजस्थान के मन्त्री का गला पकड़ेंगे। यह हम नहीं चाहते, हम इसके पक्ष में भी नहीं है कि यह सारी स्थिति बने, लेकिन सरकार जो आगे होकर निमंत्रण देती है, जो कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती इन तत्वों को हमारी सरकार आमंत्रण देगी तो कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप सबक लें और सही रास्ते पर आ जायें, नहीं आयेंगे तो मजबूरन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन कन्वेन्शन्स को पैदा करना पड़ेगा जिनको हम अनडेमोक्रेटिक कहते हैं, जिनको हम डिस्आॅर्डरली ट्रीटमेंट कहते हैं। इस उचित और अनुचित कन्वेन्शन के डालने की प्रक्रिया आपके हाथ में है। यदि आप यह डालना चाहें तो डालें और उसके परिणामों के लिए तैयार हो जायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी कर के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): Is he entitled for it? He did not move when called.

श्री उपाध्यक्ष: He is now moving his amendment.

श्री गिरधारी लाल व्यास:

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

इसके संबन्ध में मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा; मेरा खास मकसद यह है कि शराब के सम्बन्ध में जो नीति हमारी सरकार द्वारा अपनाई जा रही है और उसमें किस प्रकार से रात और दिन उसको प्रोत्साहन मिलता जा रहा है, इन तीन-चार सालों के अन्दर किस प्रकार से इस शराब की बिक्री की वजह से यह १ करोड़ से लेकर करोड़ की रेवेन्यू बढ़ रही है इस सब बातों पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक आॅर्डिनेन्स का प्रश्न है, जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, जो संशोधन आॅर्डिनेन्स के द्वारा किया गया है, इसका प्रश्न है, उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि शराब के प्रचार को बन्द करने के लिए, शराब के एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है वह वाकई में प्रशंसनीय कार्य है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इस प्रकार से आॅर्डिनेन्स निकालने से जो प्रजातन्त्र की प्रणाली है उसको

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

धक्का पहुंचता है और यह ऑर्डिनेन्स की ठीक व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इन बातों से इत्तफाक रखते हुए भी यह बात देखनी होगी कि इस ऑर्डिनेन्स को निकालने के कार्य को क्यों सम्पादित किया गया? इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि यह ऑर्डिनेन्स निकालने की एक दम आवश्यकता क्यों महसूस की गई? जहां तक एडवर्टाइजमेंट को रोकने का प्रश्न है, शराब की तरह तरह से प्रशंसा करते हुए, हमारे अखबारों और पेपर्स के द्वारा एडवर्टाइजमेण्ट करके लोगों में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा रहा था। इस व्यवस्था को रोकने के लिए यह जो ऑर्डिनेन्स के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया है वह अच्छा अमेंडमेंट है और ठीक प्रकार का अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा ऐसे लोगों के पास जो कि शराब के अन्दर उत्सुकता नहीं रखते या उसमें इन्टरेस्ट नहीं रखते; वैसे लोगों को तो कम से कम इस शराब में गुमराह होने से रोका जा सके और इन लोगों में जो शराब का प्रचार एडवर्टाइज़मेंट देख कर होता है और उनकी आदत पड़ती है, तो उसको रोका जा सके, इस दृष्टि से यह ऑर्डिनेन्स स्वागत योग्य है। मगर जहां तक इस सारी पॉलिसी का सवाल है कि हमारी किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, इस शराब के सम्बन्ध में, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो इस प्रकार का अमेंडमेंट मंत्री महोदय लाए हैं उसी तरह से इसको रोकने के लिए भी मंत्री महोदय अमेंडमेंट लाए होते, जिससे इस स्थिति में सुधार हो सकता, तो हम समझते कि वाकई में जनता के हित में और इस प्रदेश के हित में अमेंडमेंट लाया गया है। आज हो क्या रहा है आपके यहां? आपके इस गारन्टी सिस्टम की वजह से घर-घर में और गली-गली में शराब को बेचने का प्रचार किया जा रहा है और इस प्रकार से शराब का आन्दोलन चल रहा है। गांव-गांव में और चौराहे चौराहे पर ले जाकर शराब पिलाने और वहां पर तरह तरह की गुंडागीरी, बदमाशी और अनुशासनहीनता बढ़ रही है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं; शराब की वजह से आज जगह जगह...

श्री दलपतसिंह : शराब की प्याऊ खुल रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो खुद पीते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि जो शराब की दूकानें ऐसे स्थानों पर...

श्री भैरोंसिंह : मैं यह गारंटी से कहता हूं कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य शराब नहीं पी सकता, यह उनके मेनीफेस्टो में लिखा हुआ है। कोई सदस्य पीता है या नहीं, यह दूसरी बात है; लेकिन कांग्रेस के नियमों के अनुसार कोई सदस्य शराब नहीं पी सकता, यह मैं गारण्टी से कह सकता हूं। मगर यह गलत हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह नहीं पीते होंगे। मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा।

श्री दलपतसिंह : मैं ऐसी छोटी बातों की तरफ नहीं जाना चाहता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे कहने का मतलब यह था कि आज इस शराब की वजह से गांव गांव में किस प्रकार से प्रचार हो रहा है। इस गारण्टी सिस्टम की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वजह से जिस ठेकेदार को गारण्टी दी जाती है वह शराब को किस तरह से बेचता है और शराब को गाड़ियों में भर भर कर और दूसरी दूसरी तरह से जगह जगह पर ले जाकर, एक ठेके से दूसरे ठेके तक ले जाकर, किस प्रकार से वह ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री करने का काम करता है। एक तरफ हम यह कहते हैं कि हम लोगों की हालत सुधारना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में शराब का प्रचार करते हैं, यह दोनों व्यवस्थायें एक साथ नहीं चल सकतीं। अगर आप लोगों की आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं, लोगों की गरीबी मिटाना चाहते हैं, लोगों में बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, समाजवाद का प्रचार करना चाहते हैं; तो यह शराब जैसी चीज इसके लिए बहुत घातक है और मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके सम्बन्ध में सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिएं। शराब की दूकान खोलने के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था है कि शराब की दूकान ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां स्कूल न हो, मंदिर न हो, कोई सार्वजनिक स्थान न हो, जहां लोगों के आने-जाने का आम रास्ता न हो, ऐसे स्थानों पर शराब की दूकान खोलनी चाहिए।

लेकिन आज आपकी शराब की दूकानें ऐसे स्थानों पर खुलती हैं जो गांव के बीच में होते हैं, जहां पर कि औरतें निकलती हैं, लड़के-बच्चे निकलते हैं, आदमी निकलते हैं और उन शराब की दूकानों पर जिस प्रकार का वातावरण होता है वह कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान को बचाना चाहते हैं तो आप इस गारण्टी सिस्टम को खत्म करें ताकि लोगों में इस प्रकार की भावना न रहे कि वे ज्यादा से ज्यादा शराब बेचें और फिर गारण्टी का पैसा चुकाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप किसी और चीज में ज्यादा टैक्स लगा कर पैसा वसूल कर सकते हैं, मगर यह गारण्टी सिस्टम, जिसकी वजह से राजस्थान की गरीब जनता पिसती जा रही है, राजस्थान के लोग ज्यादा से ज्यादा कंगाल होते जा रहे हैं लोगों को घरबार बेच कर, कपड़े बेच कर शराब पीनी पड़ती है, आप इस गारण्टी सिस्टम को हटा दीजिये। हमारा इलाका तो पहले से ही गरीब है, पहले से ही हम बहुत गरीब हैं, न हमको पूरी रोटी मिलती है, न कोई खाने की व्यवस्था है, न कपड़े की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था और न कोई इलाज की व्यवस्था है, किसी प्रकार की गरीबों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, उसके उपरान्त इस शराब की जो व्यवस्था की गई है गारण्टी सिस्टम के द्वारा वह तो और भी घातक व्यवस्था है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसके सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देकर इस सिस्टम को हटायें ताकि राजस्थान की जनता को बचाया जा सके।

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो मूल बात है और इस ऑर्डिनेन्स के लिए जयपुर से आए हुए माननीय सदस्य ने जो एक बात कही है कि ऑर्डिनेन्स जारी करने का जो संविधान में अधिकार दिया गया है उसका इतनी आसानी से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस तरह से ऑर्डिनेन्स नहीं निकालने चाहिए। एक महीने के बाद निकाल देते तो कोई हर्ज नहीं था। मैं उनकी इस बात से कतई इत्तफाक करते हुए कि ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करने की जो पॉवर है इसको इतना ईज़ी और हर एक मामले में काम में नहीं लेना चाहिए, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे इसके मूल में जो बात है उसकी ओर ध्यान देते तो शायद माननीय सदस्य को ज्यादा इस बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे खुद इस ऑर्डिनेन्स के अन्दर जो प्रोवीजन है उसके विरोध में नहीं है। वे खुद यह चाहते हैं, महज उनका विरोध तो इस ऑर्डिनेन्स को निकालने से है। मैं उनको अर्ज करता हूं उन वाकयातों को जिनकी वजह से यह ऑर्डिनेन्स निकलना जरूरी हो गया और जिन वजूहातों की वजह से यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया, वे मैं आपके सामने पेश करूंगा और जिनसे आप महसूस करेंगे कि वाकई सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि जिससे गवर्नमेंट को इमीजियेट्ली मजबूर होकर ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। यह तो आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई भी जिम्मेदार सरकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन नहीं दे सकती कि किसी भी इन्टोक्सीकेशन को इतनी फ्री पब्लिसिटी दे। कोई भी जिम्मेदार सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि हर आदमी को शराब के लिए प्रोत्साहित करने वाले टेक्टिक्स काम में लेने दे। पोज़ीशन ऐसी हो गई थी कि शराब का एडवर्टाइज़मेंट केवल अखबारों में ही नहीं निकलता था, या शराब वाले जिस प्रकार प्रचार करते हैं अखबारों में शराब का, या जो रोजमर्रा तरीके देशी शराब वाले, इण्डियन मेड फोरिन लिकर वाले इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने यहां तक किया कि छोटे छोटे हैंडबिल छपवा कर जितने भी अखबार बेचने वाले हैं, उन अखबारों के बीच में उनको रखवा कर घर-घर पहुंचाया और इसका सबसे खराब एडवर्टाइज़मेंट सरकार के नोटिस में लाया गया नशाबन्दी समिति के द्वारा, जो शराब के दूकानदारों द्वारा निकाला गया था इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में; Something like this, मेरे पास इस समय उसकी प्रति नहीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में देशी शराब की कीमत में कमी, इस तरह का उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह के उन्होंने हजारों-लाखों पेम्फलेट तक्सीम कराए। वे पेम्फलेट्स कुछ लोगों के द्वारा भारत सरकार के पास भेजे गए, तो हमारे पास वहां से भी शिकायत आई। प्रधान मंत्री ने लिखा कि इस प्रकार के प्रचार को लॉ बना कर बंद करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चिट्ठी लिखी कि लॉ बना कर हमें इस तरह के प्रचार को बैन करना चाहिए। इस तरह का कार्य हमारी नशाबन्दी पॉलिसी के खिलाफ है, हर प्रकार की शिकायतें हमारे पास और और जगहों से भी आईं लेकिन हमारे पास कानून के अन्दर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि जिससे हम उनको ऐसा करने से रोक सकें। इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई पॉवर नहीं था और यह भी बहुत आवश्यक हो गया था कि जितनी जल्दी इस बुरी चीज को रोका जा सके उतना ही अच्छा होगा। इसी वजह से हमको इस ऑर्डिनेन्स को लाना पड़ा। यह बात नहीं थी कि कोई गजब ढाया गया या कोई बड़ा भारी नुकसान हो रहा था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करता हूं कि इस प्रकार के एडवर्टाइज़मेंट को रोकने से गवर्नमेंट की कोई इन्कम में कमी नहीं होती थी तो इससे गवर्नमेंट को कोई इन्कम भी नहीं मिलती थी। जैसा मैंने अर्ज किया कि कोई भी जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार सिटीज़न इस तरह की पब्लिसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो पब्लिसिटी इतने भद्दे तरीके से हो रही है और जिसके जरिए लोगों में इन्टोक्सीकेटिंग की भावना भरी जा रही हो, कोई भी जिम्मेदार सरकार चुप नहीं बैठी रह सकती।

अब सवाल यह है कि इस सिलसिले के अन्दर····

श्री भैरोंसिंह : एक बात और बता दें, मुझे माफ करें········

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने उसको फिनिश नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है—

"Briefly stated it empowers the State Government to make rules for probihiting the printings.."

ये रूल्स कब पब्लिश हुए हैं, यह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स पब्लिश हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह इन्फोर्मेशन नहीं है। वे अभी मंगा कर दे दूंगा। तारीख मुझे याद नहीं है। मगर रूल्स पब्लिश हो गये हैं, यह मैं जानता हूं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : ८ फरवरी।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आप बता रहे हैं कि प्रधान मंत्री को चिट्ठी आ गई, होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी आ गई कि जल्दी से जल्दी इश्यू करो। १६ तारीख को ऑर्डिनेन्स इश्यू किया और ८ फरवरी को जाकर रूल्स बनते हैं, तो आप यह मानेंगे कि ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया, मगर उसको इम्प्लीमेन्ट करने के बारे में जो कुछ एक्शन लेना चाहिए था वह नहीं ले पाये इसलिए इसकी सीरियसनेस आपके मन में नहीं रही।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स तभी बनते हैं जब कि ऑर्डिनेन्स पास होगा। रूल्स बनने में देरी हो गई, इस बात को मानने से संकोच नहीं करता हूं। वे जल्दी हो जाने चाहिए थे, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसकी इम्पोर्टेन्स न रही। जिस वजह से ऑर्डिनेन्स निकाला था, आप खुद ही महसूस करते हैं कि वह ठीक था रोकना। ऑर्डिनेन्स का निकालना ही काफी है। ऑर्डिनेन्स के निकालने के बाद किसी भी अखबार में एडवर्टाइज़मेन्ट नहीं आया है और बराबर इस बात पर रोक लग गई है। उन लोगों को पता लग गया है कि गवर्नमेन्ट ने लॉ बना दिया है और कोई इस तरह का एडवर्टाइज़मेन्ट हुआ नहीं।

अब, माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत जरूरी बात यह है कि माननीय सदस्यों को गारन्टी सिस्टम को लेकर इस बात के कहने का मौका मिल रहा है कि गारन्टी सिस्टम से शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है। उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा शराब बेचो, ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गारन्टी सिस्टम से यह जो नतीजा निकाला जाता है यह सही नहीं है। गारन्टी सिस्टम को वास्तव में एप्रिशियेट किया है टेकचन्द कमेटी ने भी जिस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया था माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने उसके जरिये से हम इल्लिसिट डिस्टीलेशन को रोक सके हैं, एडल्ट्रेशन को रोक सके हैं, मेथिलेटेड स्प्रिट या डिनेचर्ड स्प्रिट बना कर जो बेचते थे उसकी बिक्री को रोका है....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या इसमें भाव निर्धारित हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी अर्ज कर रहा हूं कि इस सिस्टम को समझना है। इससे पहले सिस्टम था वह नीलाम करने का था लाइसेन्स फीस को। उसके अन्दर इश्यू और सेल प्राइस फिक्स्ड होती थी, मगर लाइसेन्स फी को नीलाम करने के कारण उसके दाम इतने ऊंचे चले जाते थे कि वे इश्यू और सेल प्राइस से ज्यादा हो जाया करते थे। उसका रिजल्ट यह था कि लाइसेन्सी सरकार से कम शराब खरीदता था और इल्लिसिट डिस्टीलेशन की लिकर को लाकर बेचा करता था या उसमें एडल्टरेशन किया करता था या जहां कहीं से भी उसको सस्ती मिलती थी लाकर इसके साथ बेचा करता था। रिजल्ट यह था या एडल्टरेशन होता था, इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता था, और रिजल्ट यह था कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन में सहयोग देने वाला या उसके अन्दर कॉलेबोरेट करने वाला ठेकेदार भी था जो कि हमारा लाइसेन्सी था। उससे सरकार को इन्कम कम होती थी और इल्लिसिट डिस्टीलेशन जगह जगह होने लगा था और जिससे ठेकेदार अपनी आमदनी बढ़ाया करता था। मेरे पास पूरे फीगर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले वर्ष से गारन्टी सिस्टम करने के पहले दरअसल में लाइसेन्स फी कितनी थी और लाइसेन्स फी और इश्यू और सेल प्राइस में कितना फर्क था जिससे मुनाफा या मार्जिन उनके पास रहता ही नहीं था, और बगैर मुनाफे के, बगैर मार्जिन के कोई बिजनेस करता ही नहीं है, तो उसके पास एक ही जरिया था कि वह शराब इल्लिसिट डिस्टीलेशन से लेता था और अपनी दूकान पर बेचता था या उसमें एडल्टरेशन करता था।

गारन्टी सिस्टम जब इन्ट्रोड्यूस किया तो आप कहेंगे कि इन्कम बढ़ गई, जैसा कि आपने कहा कि ७ करोड़ हो गई, तो वह शराब की बिक्री से नहीं बढ़ी है लेकिन जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन की शराब बिका करती थी, मेथिलेटेड स्प्रिट या पानी मिलाकर जो बेचा करता था, डिनेचर्ड स्प्रिट मिला कर बेचा करता था और सरकारी गोदाम से शराब इश्यू होती थी, वह कम बिकती थी; अब ऐसा नहीं होता है। पहले वाले सिस्टम में एक डिफेक्ट था कि इश्यू प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेन्स कम था। उससे मार्जिन ऑफ प्रोफिट नहीं होता था, पहले आमदनी कम होती थी स्टेट को। इस सिस्टम से यह बात पैदा हो गई है एडल्टरेटेड लिकर जो हर दूकान पर मिलता था वह बन्द हो गया है। इससे इल्लिसिट डिस्टीलेशन के लिकर को डिसकरेजमेंट मिला है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं अर्ज करूं कि बोर्ड ग्रॉफ रेवेन्यू ने अपनी ग्रॉब्जेवशन्स दिये हैं इस सिलसिले में। उन्होंने इसबात को माना है कि जो पुराना सिस्टम था वह सिस्टम ही ऐसा था कि जिसके अन्दर एडल्टरेशन के बगैर कोई लाइसेन्सी, पनप नहीं सकता था। उसको कोई मार्जिन ग्रॉफ प्रॉफिट नहीं रहता था। इस सिस्टम को टेकचन्द कमेटी ने भी रिकमण्ड किया है ग्रौर लिखा है कि इस सिस्टम से जो लाइसेन्सी हैं:

"Instead of becoming a colaborator of illicit distillation, he becomes a competitor to distillation. Therefore it is most advantageous for the State and the people at large."

ग्रौर इसके बाद भी हमारी स्टेट ही पहली स्टेट नहीं है जिसने कि गारन्टी सिस्टम को अपनाया है। वह ग्रान्ध्र प्रदेश में था, मध्य प्रदेश वाले इसको कर रहे हैं, पंजाब वाले इसको एडॉप्ट करने वाले हैं। दूसरी स्टेट्स इन्डिया के अन्दर इसको एडॉप्ट कर रही हैं ग्रौर उसके ग्रोबवियस एडवान्टेजेज हैं। स्टेट की ग्रामदनी बढ़ी है, लोगों को ग्रनएडल्टरेट लिकर मिलता है, इल्लिसिट डिस्टीलेशन बन्द होता है। यही नहीं बल्कि कम्पीटिशन होता है इल्लिसिट डिस्टीलेशन करने वाले में ग्रौर हमारे लाइसेंसी में जो गारन्टी से लाइसेंस लेता है। इसलिए यह समझना कि गली-गली में ग्रौर सड़क-सड़क पर दूकानें खुल गई हैं, यह मैं मानने को तैयार हूं कि कहीं पर इस प्रकार की बात हो जैसा कि ग्राप कहते हैं, तो ग्राफ्टर ग्रॉल एक्साइज लॉ ग्रौर एक्साइज रूल्स बने हुए हैं। उनकी खिलाफवर्जी करते हैं तो वे सजा पाने के मुस्तहक़ हैं, लेकिन गारन्टी सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। The system as such is very sound. थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि लाइसेंस की सिस्टम पुराने वाला होता ग्रौर गली-गली ग्रौर गांव-गांव में ले जाकर बेचता तो यह सिस्टम की खराबी नहीं थी। एक ग्रादमी के अपने तरीके हैं काम करने के। अगर लॉ को ब्रेक करता है ग्रौर वह नोटिस में ग्राये तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, मगर गारन्टी सिस्टम को इसके लिए एक्यूज करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं ग्रापकी जानकारी के लिए बोर्ड ग्रॉफ रेवेन्यू के जो ग्रॉब्जर्वेशन्स हैं.......

श्री भैरोंसिह : वह तो एडमिटेड फैक्ट हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेकचन्द कमेटी की बात तो ग्राप मानते ही हैं।

श्री भैरोंसिह : उसमें यह भी है कि शराब-बन्दी की जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेकचन्दकमेटी की रिकमन्डेशन्स पर सरकार ने कमेन्ट्स भेज दिये हैं।

गारन्टी सिस्टम को टेकचन्द कमेटी ने एप्रीशियेट किया है, इस बात को तो ग्राप मानते हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि प्रोहिबिशन किया जाय तो उसके लिए जो सजेशन्स टेकचन्द कमेटी ने दिये हैं, उन पर राजस्थान गवर्नमेन्ट ने अपने कमेन्ट्स गवर्नमेंट ग्रॉफ इंडिया को भेज दिये हैं। वहां पर इस चीज का फैसला होगा यूनिफोर्मली, इसको किस तरह से सारे हिन्दुस्तान पर एप्लाई किया जाय। इसके लिए सिद्धांत है। प्रोहिबिशन जिस तरह से ग्राप चाहते हैं उस तरह से नहीं लेकिन फेजेज हैं, उसके उस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमेटी में। इसमें वेज एण्ड मीन्स का भी सवाल है। ७ या ८ करोड़ की आमदनी का सवाल है। वह ऑल इंडिया क्वेश्चन है। ऑल इंडिया बेसिस पर इसको तय किया जायेगा कि किन किन स्टेजेज के जरिये प्रोहिबिशन लाना चाहिये। वह नीति का प्रश्न है। उसका इस ऑर्डिनेन्स से कोई सम्बंध नहीं है। टेकचंद कमेटी की रिकमन्डेशन्स पर हमने अपने कमेन्ट्स भेज दिये हैं। उसमें हमने अपने सहमति प्रकट की है सिद्धांत से....

श्री भैरोंसिंह : आपका क्या प्रोग्राम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: प्रोग्राम मैंने अर्ज किया कि इलिसिट डिस्टीलेशन को बन्द करने की बात है, वह मैंने कह दी....

श्री भैरोंसिंह: वह बात तो पहले ही हो गई।

श्री दामोदरलाल व्यास: जो टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट है उसको इम्पलीमेंट करेंगे as directed by the Government of India.

श्री भैरोंसिंह: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने क्या लिखकर भेजा है कि इन-इन फेज प्रोग्राम्स से शराब बन्दी कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास: हमने वही एक्सेप्ट किया जो टेकचन्द कमेटी ने सजेस्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह: उसने बिल्कुल प्रोहिबिशन को स्वीकार किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपने शायद उसको पूरा नहीं पढ़ा है। उन्होंने फेज प्रोग्राम बनाया है, उसको हमने मन्जूर किया है।

श्री भैरोंसिंह : वह लागू होगा या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाइरेक्शन्स होंगे उसके अनुसार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

Clause by clause discussion. Clause 2 has no amendment.

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 3. Amendment by Shri Abdul Jabbar.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

After clause (n) add the following new clause (nn):—

"(nn) Prohibiting the sale of duly sealed bottles of liquor on

(श्री अब्दुलजब्बार)
which no price has been shown."] उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री महोदय अपने ऑर्डिनेन्स के पक्ष में जो कुछ बोले हैं उससे अन्दाज होता है कि वे कीमत फिक्स करने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, टेकचन्द कमेटी की सिफारिश पर, गारन्टी सिस्टम पर अच्छी शराब मिलने की जो बात बताई गई है, मैं दावे के साथ चुनौती से कहता हूं कि यह गलत है। एक बोतल शराब का प्रोडक्शन जो नाजायज शराब वाले करते हैं, उनके द्वारा एक बोतल शराब डेढ़ रुपये, पौने दो रुपये या अधिक से अधिक दो रुपये में मैनुफेक्चर हो सकती है उसकी मार्केट प्राइस सवा दो रुपये है। मैं इसका मैनेजर रह चुका हूं, इसलिये मुझे ज्यादा जानकारी है।

अब सवाल यह आता है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकना चाहते हैं, तो मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि कल की तारीख तक के आप मुझे आंकड़े बतादें, एस० डी० एम० के कोर्ट्स में और दूसरी जगह कितने केसेज इल्लिसिट शराब के चालान किये हुए पड़े हैं। इससे अन्दाज लगेगा कि टेकचन्द कमेटी को सिफारिश के अनुसार गारंटी सिस्टम में आप कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे? आये दिन चालान होते हैं, चाहे कितना ही लो करके बेचें लेकिन इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है। यह गारन्टी सिस्टम सिवाय जेब काटने के कुछ भी नहीं है। गवर्नमेन्ट को और एम्पलोइज को चाहिए कि वेष बदल कर जावें शराब की दूकानों पर और देखें कि उनके इन्सपेक्टर्स क्या करते हैं। उनके २५०)—३००) रुपये प्रतिमाह दूकानदारों से बंधे हुए हैं इस बात के लिए कि किसी भी किस्म का इल्लिसिट डिस्टिलेशन करें तो उनका चालान नहीं करेंगे। वे लोग किसी भी लाइसेन्सी को चैक नहीं करते और उनका चालान नहीं करते। हमारे यहां केसरी छाप बीड़ी होती है जिस पर हरा कागज होता है। उस हरे कागज को इल्लिसिट शराब में डाल कर कलर को हरा कर दिया जाता है। उससे बिल्कुल डिटो कलर आता है और दूकानों पर वह शराब बिकती है और लाइसेन्सी यह करते हैं कि गवर्नमेन्ट से माल लाकर बेच रहे हैं। सवाल यह आता है कि लम्बी-चौड़ी कीमतों पर ठेका उठा दिया जाता है, इससे गवर्नमेन्ट ब्लैक मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन देती है।

दूसरे, दूकानदारों से गवर्नमेन्ट कहती है कि प्राइस लिस्ट दूकानों पर नहीं लगाई जायगी तो डी. आई. आर. में चालान होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आप उनको लुटवाना चाहते हैं बिना लिस्ट के?

श्री अब्दुलजब्बार: आप मेहरबानी करके सुन लीजिए। डी. आई. आर. के मातहत प्राइस लिस्ट लगाना लाजमी होता है। शराब की लिस्ट नहीं लगी होती है तो इन्वेस्टिगेशन वाले किसको पकड़ें? मंत्रीजी को या एक्साइज कमिश्नर को?

श्री गिरधारीलाल व्यास: उनको पकड़े जो लिस्ट नहीं लगाते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार: क्यों नहीं पकड़ते उनको जो बिना लिस्ट लगाये व्यापार करने पर बाध्य करते हैं? मामूली से मामूली रेजर ब्लेड पर कीमत लिखी हुई होती है, मामूली

(श्री अब्दुलजब्बार)

से मामूली बूट की लेस पर कीमत छपी हुई रहती है, तम्बाकू खाने की और पीने की आती है उसके लिए बाध्य किया जाता है कीमत लिखो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डी. आई. आर. के अंतर्गत जो लिस्ट नहीं लगाते हैं उनको पकड़ कर इन्सान को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं जेल में डालकर, तो क्यों नहीं डी. आई. आर. के अंतर्गत सरकार को बन्द कर दिया जाय जो कीमत के बिना शराब बिकवाना चाहती है। बगैर कीमत लिखे शराब बिकवाने का उसको क्या अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या शराब की कीमत रखी है डी. आई. आर. के अंतर्गत इस बिल में ?

श्री अब्दुलजब्बार : मैं प्रावधान के संबंध में बात करना चाहता हूं, कीमत नहीं लिखी हुई होगी तो गिरफ्तार होगा डी. आई. आर. में। पान, सिगरेट और चाय के कप की कीमत लिखी हुई है। उसमें यह बिल्कुल लिखा हुआ है। कोमोडिटीज के भाव लिखे जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इल्लिसिट डिस्टिलेशन का जहां सवाल आता है, मेरा ख्याल है कि सरकार का कोई कर्मचारी उसके लिए हां नहीं कर सकता जो फील्ड में वर्क करता है.........

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं This is now clause by clause consideration. He should confine to his amendment only. That stage has passed. Now it is consideration-clause by clause.

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सवाल यह आता है कि मैं अपनी दलील संशोधन के पक्ष में जितने जोरदार तरीके से बहस कर सकता हूं मुझे करना चाहिये। जब तक मैं अपनी दलील नहीं रखूंगा मेरा पोइन्ट स्टेण्ड नहीं करेगा। कोई वकील वकालत करता है तो पहले उसकी स्टोरी बयान करता है, केस का फ्यूचर और पास्ट बताता है.........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपना ऐतराज वापिस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इस पर वह भी हो जाय।

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल यह आता है कि हम उस धंधे को खत्म करना चाहते है जो शराब पीने के लिये तरजीह दे। सवाल यह आता है कि शराब को रोकने के लिये सरकार अग्रसर हो तो शराब बन्द करनी चाहिये; न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आप शराब को खत्म कर दें तो पब्लिसिटी का सवाल ही नहीं आयगा। यह बात और है कि अखबारों में से कितने बन्द हो जायेंगे, कॉम्प्लीकेशन कितनी बढ़ेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है जो ऑल इंडिया पेटर्न का पेपर है. हिन्दुस्तान टाइम्स में और दूसरे पेपर्स में आता है, स्टेट्समेन में आता है....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज बाई क्लॉज में आप इन सारी चीजों को ला रहे हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा संशोधन है उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूं। जब

(श्री अब्दुलजब्बार)

सवाल आता है तो सरकार यह कोशिश क्यों नहीं करती है कि कीमत लगा दे ? सरकार को इसमें क्या अड़चन आती है ? आया ठेकेदारों की जेब भरना चाहती है ? ठेकेदारों से क्या कीमत मिलती है ? यह डिपार्टमेंट आप मुझे सौंप दें, मैं बगैर तनख्वाह के काम करने को तैयार हूं, तीन साल में दस गुनी कीमत या आमदनी कर दूंगा। सरकार अनप्रेक्टिकल वे में काम क्यों करती है, प्रेक्टिकल वे में काम क्यों नहीं करती ? सरकार के नुमायन्दे हमें बतादें कि शराब कैसे बिकती है ?

बोतलों पर कोर्क लगाने के बारे में मैंने विधान सभा में बताया था, कीमत मत लगाइये जिस तरह से डिस्टिल्ड वाटर पर कैपसूल्स लगाते हैं उस तरह से क्यों नहीं लगाते ? यदि इस बात का आपको गर्व है कि बगैर पानी मिलाये शराब बिके, जनता के स्वास्थ्य पर उल्टा असर नहीं पड़े, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो कैप्सूल्स तैयार करावें और कोर्क के स्थान पर उनको लगा कर बिकवावें, फिर देखिये कि दस-दस लाख और चार-चार लाख की जो बोली ठेकेदार लगाते हैं वे चार दिन में घर बैठ जायेंगे। इसके साथ ही मैं अपना संशोधन जो इन शब्दों में है मूव करता हूं · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये आपसे कैप्सूल्स के बारे में समझना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मूव करिये अपना अमेन्डमेन्ट।

श्री अब्दुल जब्बार : "After clause (n) add the following new clause (nn):—

"(nn) prohibiting the sale of duly sealed bottles of liquor on which no price has been shown."

यह मेरा अमेंडमेंट है और मैं मंत्री महोदय को इसकी रिलेवेन्सी के बारे में बाद में बताऊंगा, अगर मन्त्री महोदय मुझे बाध्य करेंगे। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय जनहित में सोचने का इरादा रखते हैं और यह चाहते हैं कि जनता को सही तरीके से सस्ते भाव पर और रीजनेबल भाव से शराब मिले, यह नहीं जैसे गंगानगर में बनी हुई शराब के रूप में सरकार खुद स्पिरिट पिला रही है, तो कम से कम सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो स्पिरिट पीने को मिल रही है इस चीज को रोकने के लिए शराब शीशी में, कैपसूल में मिले और उस पर कीमत लिख दें, मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है वह मुझे मन्जूर नहीं है। उसकी वजह यह है जहां तक प्राइस फिक्स करने का सवाल है, मैंने जो गारन्टी सिस्टम एक्सप्लेन किया, इस गारन्टी सिस्टम में जो मिनिमम गारन्टी बनती है कॉन्ट्रेक्टर को, उसके लिहाज से उतनी ही शराब वहां से उठानी पड़ती है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और उनको अनुभव होगा और उन्होंने देखा भी होगा कि गारन्टी सिस्टम से जहां इल्लिसिट डिस्टीलेशन बन्द होता है वहां क्योंकि आपस में कॉम्पीटिशन करते हैं इसलिए शराब की प्राइस भी अपने आप कन्ट्रोल हो जाती है और उनको उतनी ही शराब बेचनी पड़ती है। कई कई दफा ऐसा होता है कि जो डिफरेन्स पहले रिटेल प्राइस और होल सेल प्राइस में पहले था उससे कम कीमत पर कॉम्पीटिशन के टाइम पर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बेचते हैं। इसलिए प्राइस लिखने का सवाल है, इसकी आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हमारा यह अनुभव है कि राजस्थान के अन्दर प्राइस फिक्स करने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। प्राइस फिक्स १९६३ में की थीं, लेकिन उसके बाद यह अनुभव हुआ कि गारन्टी लगाने वाले लाइसें-सीज हैं उनको दिक्कत हुई, इसकी विक्री के अन्दर। और दूसरी तरफ जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको मौका मिला कि वह ज्यादा दिक्कतें पैदा करे और इससे करप्शन को प्रोत्साहन मिला। इसलिए प्राइज फी छोड़ दी गई है और उसके बाद यह अनुभव हुआ कि कन्ज्यूमर के लिए आम तौर पर प्राइज ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि यह देखा गया है रीजनेबल प्राइज पर उपलब्ध होती है और कई दफा कॉम्पीटिशन के कारण शिड्यूल्ड रेट पर बिकती है। इसलिए आप यह जो शब्द जोड़ना चाहते हैं कि प्राइज फिक्स करदी जाय यह मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस क्लॉज को मूल रूप में पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विदड्रॉ करते हैं?

श्री अब्दुल जब्बार : नहीं साहब, मैं विदड्रॉ नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री अब्दुलजब्बार ने क्लॉज ३ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियमन सिद्धान्त, प्रस्तावना, शीर्षक, क्लॉज एक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

नियमन, सिद्धांत, प्रस्तावना शीर्षक, क्लॉज एक इत्यादि विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है····

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड रीडिंग पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक और ऑर्डिनेन्स आया। ऑर्डिनेन्स बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ करता हूं और कैसे नहीं करूं–राजाखेड़ा से आए हुए सदस्य जैसे महानुभाव के महकमे की बातें आवे तो····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मैं सदन की यह राय जानना चाहता हूं क्योंकि समय समाप्त होने वाला है इसलिए····

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : जब तक यह पारित न हो जाय समय बढ़ाया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक अथवा आधा घंटा; whatever is........

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बिल पारित हो इस अवधि के लिए बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, तो राजाखेड़ा से आए हुये माननीय सदस्य द्वारा उनके महकमे के बारे में बात कही जाय तो उसको तो हमको बहुत ही संजीदगी से सोचना पड़ेगा और क्यों नहीं सोचें ? आप देखिये कि मामला शराब का है। सदन के सामने ऑर्डिनेन्स के रूप में आया और यह भी किधर से ? कांग्रेस की बैंचों से और आया किस तरीके से कि अखबार में हम इस प्रकार की बात न आने दें। बड़े शराबबन्दी के आप पुजारी हैं ! क्या कहने आपके ! आप सोचिये, वोट मांगने जाते हैं तब तो आप बापू की और इसकी दुहाई देते हैं प्रोहिबिशन की। आज २० वर्ष से हमारे सामने पड़ा हुआ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन न करके, आप शराबबन्दी को छोड़कर अपनी नीतियों से इतने अलग होते जा रहे हैं कि अब आपने ठेकेदारी सिस्टम को भी समाप्त किया और शराब में पूर्ण बनिये बन गये। आपने ठेकेदारी को खत्म करके यह गारन्टी सिस्टम शुरू किया। क्या कहने आपके ! और फिर अपनी तकरीर में मंत्रीजी कहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ गई। और भी मुबारक हो ! क्या कहने ! आप शराब से आमदनी बढ़ा कर खुश हैं। खूब ! कांग्रेस के सिद्धान्त हैं इसलिए कहता हूं।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं भी यहां बैठा करता था जयपुर की लेजिस्लेटिव कौंसिल में तब आप लोग इधर बैठा करते थे, ये सारी कुर्सियां आप लोगों की थीं। जब आप बहुत जोर से दुहाई दिया करते थे कि हम शराबबन्दी करेंगे। शराबबन्दी करनी चाहिये। यह तो राजाओं का राज्य है जिसमें इस प्रकार की बात हो रही है, वर्ना कांग्रेस की सरकार आजायेगी तो फौरन शराबबन्दी कर दी जायगी। यह आज मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि वह तो उस युग के साथ रह गई है। वह शराबबन्दी अब कहां गई ? शराबबन्दी के नाम से कुछ ने कहा तो आप चमक गये। टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बात आई तो उसका दूसरा पहलू है उसको आपने फौरन गले से लगाया। उसमें जो दृश्य दिखाया गया है, जो सुरा और सुन्दरी का रिश्ता दिखाया गया है और जब सुरा और सुन्दरी को काबू में करने वाली बात टेकचन्द कमेटी ने कही तो मंत्री महोदय तिलमिला उठे। मुझे ऐसा लगा कि साकी से प्रेम करने वाले आदमी को। सुरा और सुन्दरी से प्रेम करने वाले आदमी को, जब शराबबन्दी करने वाली बात कही जाय तो वह तिलमिला उठता है; तो दामोदरलाल व्यासजी तिलमिलाने लगे। मुझे दुख हुआ। मैं नहीं जानता था कि इन कुर्सियों पर बैठने के बाद मनुष्य का इतना पतन हो सकता है ! इतना पतन ! जो आदमी इन कुर्सियों पर जब नहीं बैठता था तब वह कहता था कि प्रोहिबिशन होना चाहिये।

(श्री मानसिंह महार)
वे कभी नट नहीं सकते ग्राज भी। ग्रौर ग्राज कुर्सी के लालच में, मिनिस्ट्री के एक टुकड़े को पाने के लिए, इन कुर्सियों पर विराजमान हुए तो ग्राज ग्रामदनी का तरीका लगाने लगे ! यह दुःख की बात है और खास तौर पर जब यह ग्रादमी, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का ग्रॉर्डिनेन्स लाये तो बड़ा दुःख होता है। मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, १९४६ से मैं इस बात को एडवोकेट कर रहा हूं। सन् १९४५–४६ में इस जगह जब हमारे हीरालालजी शास्त्री जयपुर के फाइनेन्स मिनिस्टर थे उस युग से मैं कहता हूं कि ग्राप लोग प्रोहिबिशन नहीं ला सकते। प्रोहिबिशन लाने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिये। प्रोहिबिशन तो कोई क्रान्तिकारी ही ला सकता है, ग्रौर वह क्रान्तिकारी हमारे ज्वालाप्रसादजी हो सकते हैं। मैं मानता हूं, मगर इनको एक्साइज मिनिस्टर बना दें, उपाध्यक्ष महोदय, तो वह प्रोहिबिशन....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनसे गारन्टी ले लेना कि बनने के बाद बदलें नहीं।

श्री मानसिंह महार : वह तो कौन बनाता है ऐसे जिद्दियों को। मैं एक बात कहता हूं। मैं ग्रापसे कहता हूं कि प्रोहिबिशन इस देश में ग्रा सकता है तो वह ग्रा सकता है किसी क्रान्तिकारी के इस कुर्सी पर बैठने पर। कुर्सी से चिपकने के लिए कोई इस कुर्सी पर बैठता है, जो ग्रपने ग्रापको चिपक महादेव कहता है, जिनको जनता ने टक्कर देकर हराया था दस हजार वोटों से ग्रौर जो दूसरी जगह भाग कर गये ग्रौर पैसे के बल पर इस सदन में ग्राये ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ इन्फोर्मेशन, सर, फैसला हो गया है कि कौन है बेईमान, बेईमानी किसने की है।

श्री मानसिंह महार : वह तो ग्रागे मालूम हो जायगा कि बेईमानी कहां, कैसे होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बेईमानी का पर्दाफाश हो गया है।

श्री मानसिंह महार : वही को वही लैंग्वेज टोंक के लिए थी। इसमें भी पता लग जायगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह कहना तो ग्रापकी ग्रादत बन गई है, वर्ना बेईमानी का पर्दाफाश हो गया है।

(५.०० म. प.)

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल क्या कहना है ग्रापका। ग्राज तो कमाल हो गया कि वे लोग भी, जिनकी जिन्दगी से, जिनकी पैदाइश से लेकर ग्राज तक करप्शन से जिनका जीवन लगा हुग्रा है, वे ग्राज कहते हैं कि करप्शन कौन करता है। उपाध्यक्ष महोदय, बेशर्मी की हद होती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ग्राप यह मिनिस्टर को कह रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं इनको नहीं कह कह रहा हूं। मैं तो ग्राप जैसों को कहता हूं। वे तो बहुत ही ऊंचे ग्रादमी हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि ग्राज क्या जोरदार दलीलें दी गई हैं कि दामोदरजी पाक-साफ थे। वे तो पैसों के बल पर हार

(श्री मानसिंह महार)

गये। अगर यही बात दामोदरजी भी कहते तो मैं मानता, मगर वे कभी यह बात नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत तो उनमें लज्जा है। वे ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि पिटीशन का फैसला किस तरह से हुआ। वे और हम इस बात को अच्छी तरह से आनते हैं। यह फैसला हाई कोर्ट से वापिस हो सकता है। यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और यह तो कानूनी दांव-पेच हैं, उनमें कौन ईमानदार है और कौन नहीं, यह पता नहीं लगता। आज कानून का युग है और आज के युग में जरा सी कानूनी गलती होती है तो कुछ का कुछ हो जाता है। आज तो सरे-आम कत्ल किसी को कर दिया जाय तो भी कातिल को छोड़ दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। आप देखेंगे कि जैसे हमारे डांगीजो जिस समय प्रतापसिंह कैरों की हत्या हुई थी जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने यह देखा कि अपन को भी मार डालेंगे, अपन तो भागो। उनके पास गन मैन भी थे, मगर फिर भी वे वहां से भागे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने स्कोप के बाहर जा रहे हैं, वे अपने विषय पर आ जावें....

श्री मानसिंह महार : बीच बीच में बोल कर वे मुझे दूसरी ओर ले जाते हैं। इसलिये या तो आप उनसे कह दें कि वे मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, वर्ना हमको वे इधर-उधर ले जाते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कैसे भोले आदमी हैं, इनको बगल में दबा कर कोई भी ले जा सकता है।

श्री मानसिंह महार : आपको ही ले जाते हैं, मुझे तो बगल में दबा कर कोई नहीं ले जाता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार : कौल साहब का तभी इन पर दिल आता है और आपको ले जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि शराब के बारे में इल्लिसिट डिस्टीलेशन के लिये मंत्रीजी ने बातें कही, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टेकचन्द कमेटी यहां आई थी और हम लोगों को भी वहां पर बुलाया गया था। हमको उन्होंने क्वेश्चनियर भी दी और बात-चीत की, तो उस समय मैंने भी उनसे यही कहा कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन को रोकने का एक ही तरीका है और वह यह कि शराब का टोटल प्रोहिबिशन किया जावे। अगर आप यह नहीं करते हैं तो यह इल्लिसिट डिस्टीलेशन रुक नहीं सकता। एक मंत्रीजी क्या १७ मंत्रीजी भी क्यों न आ आवें, मगर इस तरह से नाजायज तौर से बनने वाली शराब बन्द नहीं हो सकती, चाहे आप शराब की कीमत को कितनी ही नीचे क्यों न ले जावें मगर फिर भी आपका यह इल्लिसिट डिस्टीलेशन नहीं रुकेगा। इसका कारण यह है कि आप चाहे कितनी ही प्राइसेज शराब की गिरावें मगर जो बोतल आज १२ आने या एक रुपया, सवा रुपया में बन सकती है उसका मुकाबला आप कॉम्पीटीशन में नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपके लो हॉफ-हार्टेड मेजर्स हैं वे इसको रोक नहीं सकते।

(श्री मानसिंह महार)

आपने गारन्टी सिस्टम किया है और आपने इस गारन्टी सिस्टम की बहुत तारीफ की है। मैं मानता हूं कि आप उसकी तारीफ करेंगे क्यों नहीं। आप देखेंगे कि जितने ठेकेदार शराब लेते हैं गारन्टी से उनका एम यही रहता है की जनता को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाई जावे। मैं आपको इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि आज कांग्रेस सरकार का राज्य है और इस समय इतनी बढ़ोतरी शराब की बिक्री में आपने की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कभी भी मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो स्प्रिट के द्वारा शराब बनाई जाती है वह जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इल्लिसिट शराब जो बनती है वह गुड़ की बनती है, लेकिन आज यहां पर यू. पी. का गिरोह काफी मौजूद है जो स्पिरिट से शराब बनाता है। यही बात मैंने टेकचन्द कमेटी को भी कही थी। उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम, तो मैंने कहा कि कई कांग्रेसी मित्रों के यहां आज तो यह धन्धा चलता है। बनी पार्क में ऐसे बंगले हैं जहां आज भी शराब निकालने का धन्धा चलता है। हम कैसे कहें, किसी नेता की शिकायत करें तो मारे जावें और बेचारे पुलिस वाले भी जावें तो नहीं जा सकते, वे सिर्फ उनके दरवाजे के बाहर जाकर खड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि यहां तो मामला ही कुछ ऊंचा है। दिखाने के लिये कांग्रेस के लोगों के खादी के कपड़े पहिने हुए, सफेद तिरछी टोपी लगाई हुई थी, मगर मकानों में जाकर देखें तो कढ़ाइयां लगी हैं, और ही काम होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जयपुर में कितनी इल्लिसिट शराब की भट्टियां पकड़ी हैं? आपके इन्सपेक्टरों ने कभी इस ओर ध्यान दिया है? मगर मैं यह कहूंगा कि आप उनको रोक नहीं सकते और आप में इतनी हिम्मत नहीं है। वे लोग आपके स्टाफ को करप्ट करते हैं। आपके स्टाफ को रिश्वत इल्लिसिट डिस्टीलेशन करने वाले देते हैं और जितनी रिश्वत वे देते हैं दूसरे दे नहीं सकते। आप देखेंगे की आपके ऑफिसरों के नीचे वालों के घर में कभी शादी होती है तो आपको वहां हर ९० परसेन्ट जो बोतलें शराब की मिलेंगी वे सब इल्लिसिट डिस्टीलेशन की मिलेंगी। मगर उसकी जांच नहीं हो सकती क्योंकि आपका डिपार्टमेंट पाक-साफ नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि पहले कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम में ज्यादा खराबियां थी और गारन्टी सिस्टम में काफी सुधार हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्रीजी और उप-मंत्रीजी या उनके चेले–चाटियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ठेकेदारी सिस्टम में पहले ज्यादा पैसे मिलते थे। आप अब तो सटपटाते हैं। आज आप देखते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रेक्टर को दबाओ तो वह बीच में ही ठेका छोड़ देगा। मैं यह कहूंगा कि आपने यह कोई अच्छा कदम नहीं उठाया।

इसी सदन में गारन्टी सिस्टम पर काफी बहस हुई थी और यह बताया गया था कि यह गारन्टी सिस्टम कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लागू करके सरकार ने शराबियों को शराब पीने की छूट दी है और शराबियों की गिनती बढ़ाई है। यह बड़ी खुशी की बात है। आप मुझे चाहे कुछ भी कहिये, मगर मैं आपको शराब बन्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि आप शराबन्दी नहीं कर सकते।

(श्री मानसिंह महार)

श्री मुरारजी देसाई जो शराबबन्दी के हामी हैं उनको अभी १७५ वोट दिये हैं। इससे मालूम होता है कि अभी भी दो सौ के करीब आदमी ऐसे हैं जो शराब बन्दी चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि उन १५०-२०० आदमियों को ३५० होते ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर वे ३५० हो गये तो उन मिनिस्टरों को इन कुर्सियों से हटते हुए देर नहीं लगती है। इस लिये मैं चेलेंज देता हूं कि मुरारजी शेर आ गये तो यह शराब के हामी बिल्लियों को एक एक करके खा जावेगा। अभी से इसकी भूमिका बांधें। मुरारजी के नाम पर नहीं नेहरू के नाम पर नहीं, बापू जिसका मैं एक चेला हूं उसके नाम पर। बापू की आत्मा जब स्वर्ग में बैठी बैठी रोती है तो मेरी भी आत्मा रोती है कि बापू ने भारत का राज्य इन कांग्रेसियों को सौंपा है वे उसके कपूत बेटे निकले हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे तो कम से कम बापू के सपूत बेटे बनें और राजस्थान में क्रान्तिकारी कदम उठायें। घाटा तो बढ़ता ही जा रहा है, कर्जदारी में तो कमी होने वाली नहीं है, यह तो दिवाले की सरकार है, आप भी एक टल्ला दीजिये। गंगा में स्नान कीजिये, दामोदरजी! चुनाव नजदीक है, आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, नामवरी तो राजस्थान में कीजिये जिससे हम सिर ऊंचा करें कि जयपुर लेजिस्लेटिव कौंसिल से चले आये मित्र ऐसे सिद्धान्तवादी थे कि राजस्थान में एक दम शराबबन्दी कर दी। मन्त्री महोदय को राजस्थान में सिद्धान्तवादी बनना है तो राजस्थान में सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम यही है कि वे एक दम आज ऐलान कर दें कि राजस्थान में फलां तारीख से शराबबन्दी होगी। पर मैं जानता हूं उनसे ऐसा नहीं हो सकता, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, हार्ट पेशेंट भी हैं, ज्यादा बहादुरी का काम कर जायं तो नुकसान देता है। मैं नेक सलाह देना चाहता हूं, वे इधर-उधर की बातों में न फंसें, जैसी कि उनकी आदत है, कोई तथ्य बात उनको कही जाय तो वे हमेशा साइडट्रेक करते हैं और साइडट्रेक करके खुश होते हैं कि देखो मैंने कैसा साइडट्रेक किया। पर यह तो सीधी बात है कि मन्त्री महोदय, अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं, गांधीवादी हैं तो सदन में ऐलान कीजिये कि ६७ के चुनावों से पहले राजस्थान में शराब बन्दी कर दी जायगी। पर आप में यह ताकत नहीं है। शराबबन्दी के नाम से आपका खून उबलने लगता है। मैं जानता हूं, जो भी इन कुर्सियों पर बैठते हैं, सरकार के रूप में आते हैं, उनके लिये शराब एक अनिवार्य चीज हो जाती है।

एक माननीय सदस्य : शराब और ?

श्री मानसिंह महार : और तो आप ही बताइये मैं जानता हूं, पर कहना नहीं चाहता वह तो जरूर चाहिये। दामोदरजी तो खुद जानते हैं। राजाखेड़ा में कितने लोगों को खिलाना–पिलाना हुआ, मैं तो गया भी नहीं। फिर चुनाव आ रहे हैं। बोतलों की बोतलें खोलनी पड़ेंगी, उससे भी बचना हो तो मंत्रीजी आप दो–चार हजार के खर्चे से तो बच ही जायेंगे, आप तो यह क्रान्तिकारी कदम उठाइये और राजस्थान में शराबबन्दी कर दीजिये। फिर देखिये कि राजस्थान में आपकी कैसी वाहवाही होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : फिर तो आप केन्डिडेट खड़ा नहीं करेंगे न ?

श्री मानसिंह महार : केन्डिडेट तो खड़ा होगा। रिश्वत की बात यहां नहीं है।

एक माननीय सदस्य : घोषणा तो कर दी कि केन्डिडेट नहीं किया जायगा।

श्री मानसिंह महार : नहीं, केन्डिडेट तो जरूर लड़ाया जायगा; पर इस प्रकार शराब-बन्दी कर देने से इनके लिये कहने को रहेगा कि मैंने राजस्थान में शराब-बन्दी कर दी है। तो ऐसी हालत में इनको चौगुने वोट मिलेंगे।

मेरे बाद नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य भी बोलेंगे और मुझे आशा है कि प्रोहिबिशन के लिये तो वे अपनी जुबान को निकाल कर ही रख देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कोई क्रान्तिकारी ऐलान तो आज कर ही दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश निकाला गया, यह तो ठीक; पर ऐसी कौन सी घड़ी थी जिस वक्त इस अध्यादेश को शाया नहीं किया गया, एडवर्टाइजमेंट इस हद तक बढ़ गये कि जन्म दिवस मनाया जाय मिनिस्टर का तो अखबार में एड्वरटाइजमेंट निकला, मिनिस्टरों के जन्म दिवस पर स्मारिकाएं निकाली, उस वक्त अध्यादेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इस हद तक एड्वर्टाइजमेंट बढ़ा कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर एड्वर्टाइजमेंट निकालना पड़ा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 'मुंह मे राम बगल में ईंट'। क्या शराब के एड्वर्टाइजमेंट रोक कर गवर्नमेंट इसे शराबबन्दी की तरफ एक कदम समझती है? क्या गवर्नमेंट यह समझती है कि एडवर्टाइजमेंट के जरिये ही शराब बिकती है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को बन्द करने से शराब में कमी आयेगी और यह एक प्रोहिबिशन की तरफ कदम होगा। एडवर्टाइजमेंट बन्द हो जाने से लोग शराब नहीं पीयेंगे, तो मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है।

मैं बड़ा नायाब तरीका गारन्टी सिस्टम का समझता हूं। ५० हजार से ज्यादा आबादी के लोगों के लिये दो शिड्यूल है; एक तो इन्डिविज्युअल सिस्टम और दूसरा एक्युम्युलेटिव; दूकानों के लिए टेन्डर दीजिये। मैं मन्त्री महोदय के लिए नहीं कहता पर एक कॉन्स्पिरेसी इस डिपार्टमेंट के बीच और कुछ लोगों के बीच हो गई है, जिसका उपयोग किया जा रहा है, इस बात की मोनोपोली के लिये कि गारन्टी सिस्टम से उन्ही लोगों को दूकानें मिलें जो पुराने कॉन्ट्रेक्टर्स रहे हैं। टेन्डर का सिस्टम १० परसेंट था उसको ५ परसेंट किया है, पर आज कौन लोग हैं, देखें इस गारन्टी सिस्टम में? आप कहते हैं कि गारन्टी सिस्टम से आपकी आमदनी बढ़ी है; पर आपका कितना रुपया लोगों में बाकी है, वह वसूल क्यों नहीं होता है? आपके पास सारी ताकत है, ढिले क्यों कर रहे हैं, वसूली क्यों नही कर पाते? एक क्लॉज है कि जिस पर सरकार के ड्यूज होंगे वह दुबारा टेन्डर नहीं दे सकेगा। इसलिए बोगस नामों में, जिन आदमियों की हैसियत एक-दो हजार की भी नहीं है ऐसे लोगों के नाम में टेन्डर दिये जाते हैं। वे लोग गारन्टी पूरी नहीं करें तो ऐसे लोगों से सरकार वसूल नहीं कर सकती। मैंने कितनी ही मर्तबा इस बात को उठाया है; मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे बतायें कि

(श्री शालग्राम शर्मा)

कितना गारन्टी लोगों में डूब है जब से कि यह गारन्टी सिस्टम चालू किया गया है? आज चार दफा टेंडर हो गये हैं, पर कभी इन्डिविज्युअली दिया है; टोंक उदयपुर, बीकानेर में कभी भी इन्डिविज्युअल दुकानें आई हैं क्या? फूल प्रूफ टेन्डर सिस्टम है, इन्डिविज्युअल दुकानों के टेन्डर बोगस नामों से देते हैं, ३४ लाख आप जिसके मांगते हैं उससे ५ लाख मांग लेते हैं और ज्यादा जाता है जो लोग सारी दुकानों का देते हैं उससे उसका जोर बढ़ जाता है। टेन्डर में इस प्रकार के लूप होल्स फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने रखे हैं, कैसे इस तरह के फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किये हैं, इसमें फ्रॉड है। या तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट वाले समझते हैं, मिनिस्टर साहब समझते नहीं। टेन्डर देने वालों के पास सर्टिफिकेट नहीं हैं; ४० लाख का टेन्डर देकर रह जाते हैं और बाद में मालूम किया गया तो पता चला कि भीलवाड़ा के पास वह आदमी हल जोतता है, १००० की भी उसकी हैसियत नहीं है। और वह इन्टरेस्ट मनी देते हैं; बगैर पढ़े-लिखे लोग होते है। आज मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं कि लाइसेन्स और कुछ नहीं है, सिर्फ उन मानोपोलिस्ट्स को जो अधिकारियों से मिले हुए हैं; उनको आप लाइसेंस देते हैं गरीब को लूटने का। आप कहते हैं कि गारन्टी सिस्टम अच्छा है, उसके बाद आर्डिनेन्स लेकर आते हैं कि इसके एडवरटाइजमेंट्स बन्द न किए जायें, ऊपर ऊपर से आप प्रोहिबिशन करना चाहते हैं। आप लोगों की हालत क्या है? गारन्टी को पूरा करने के लिए अखबारों में शोर हो गया, कांग्रेस में शोर हो गया, ठेलों में बोतलें जाने लगी। आप उन ठेलों को बन्द कर दो। आपने छूट दी है कि ठेलों में भेजो; चाहे साइकिल पर ले जायें। आप कहते हैं कि कागज में बन्द किया जाय। ऑर्डिनेन्स के जरिए हम चाहते हैं कि कागज पर छपना नहीं चाहिए और अपने आप समाज कल्याण बोर्ड के प्रचार से जनता स्वयं शराब छोड़ देगी।

यह गारन्टी सिस्टम क्या है? इस बात को दबा दिया गया कि ६ महीने का समय दिया गया, जिनकी दूकानें थीं उन्होंने ढाई लाख रुपये पेकिए। ४ लाख रुपये जमा कराये; उन्ही दूकान वालों से जो ठेके लेने वाले थे। गारन्टी की रकम वसूल नहीं हुई है और हर बार बोगस नामों के अन्दर ठेके दिए जाते हैं। कभी आपके अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ऐसे लोग जिनकी हैसियत नहीं है उन लोगों के ४० लाख रुपये के टेन्डर भरे जाते हैं और ४ लाख को इन्टरेस्ट मनी दी जाती है। पांच हजार रुपये भी अगर सरकार देती है तो जांच करवाती है कि आया यह आदमी पांच हजार दे सकेगा या नहीं, लेकिन यह विभाग इसकी जरूरत नहीं समझता क्योंकि आपके जितने अधिकारी हैं वे मिले हुए हैं।

मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जनता में जो चीज हो रही है, जनता की बात को ध्यान में रखते हुए इस साल के टेन्डर्स जो हुए हैं, जिन पर बकाया है उनको निकालिए, उनकी जांच करिए कि जिन आदमियों ने टेन्डर्स दिये हैं वे कैसे दिये हैं? बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। आप सोचें कि इस चीज के अन्दर क्या हो रहा है? सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि गलती इस

Page No. 122

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
बात की है कि यहां के जो कार्यकर्ता हैं वे एक्सपर्ट्स हो चुके हैं और किसी तरह से जनता को डॉज करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं कहता हूं कि एडवरटाइजमेंट्स करें। गारन्टी सिस्टम में जो आपने छूट दी है कि टैलों पर बेचो, साइकिल पर बेचो, यह रुकनी चाहिए; तभी शराबबन्दी होगी।

आप कहते हैं कि कीमत नहीं है। मैंने तो पी नहीं। हमारे दोस्त लोग जो पूछते रहते हैं, जिनकी तरफ मैं इशारा करता हूं........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पीने के लिए ही तो वह होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं कह रहा था कि आप इसकी जांच करवाइए। दो बातों की जांच होनी चाहिए कि यह जो गारन्टी सिस्टम चला है, इन्डिवीजुअल दुकान और सभी दुकानों से टेन्डर्स लेते हैं, इन टेन्डर्स को एग्जामिन कराएं। यह फ्रॉड है, क्योंकि आज तक चार बार टेन्डर्स हुए हैं और किसी को नहीं देते हैं, यह रिडंडेंट है। ये जो चार लाख रुपये इकट्ठे होते हैं, टेन्डर देकर २५ हजार लिए जाते हैं इनके बारे में चर्चा चलती है शहर में। कई लोग ऐसा धन्धा करते हैं। ये लोग जो पैसे वाले हैं वे पैसा दिखाकर जिनको मोनोपोली आपके यहां जम गई है उनको और बढ़ाने के लिए मोनोपोली वाले रुपया देते हैं। अगर आप जांच करायें तो मालूम पड़ेगा कि इसके अन्दर जिम्मेदार आदमी हिस्सा लेते हैं। कौन कहां कहां होते हैं, अगर फोन्स चैक किये जायें तो मालूम हो जाए कि गरीब जनता जिसको एन्टरटेंमेंट की कोई जगह नहीं, उसको कितना लूटा गया है? जो शराब पीते हैं, वे खुद कहते हैं कि खराब है: उस आदमी के साथ आप अन्याय करते हैं जिसका साधारण दिमाग नहीं बनता, आवाज नहीं उठा सकता, उसको लूटने के लिए मोनोपोली को बन्द किया जाय। सरकार का कोई फायदा नहीं, मिनिस्टर का कोई फायदा नहीं....

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

शराब–बन्दी के लिए संविधान में डाइरेक्टिव्ज हैं। उस डाइरेक्टिव को टाला जा सकता है, लेकिन कितने दिनों तक? जब संविधान बना तो डाइरेक्शन दिया, उसमें इस बात को माना है कि हम लोग इन डाइरेक्टिव्ज के तहत जल्दी से जल्दी शराब बंदी लाएंगे। उसके बारे में सिद्धांत रूप से कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति और जो दूसरी चीजें भी आती हैं उसके अंदर कोई कदम उठाए गए हों तो हम मानें। उसका कोई आॅल्टर्नेटिव इस सरकार ने सोचा कि यह आमदनी कैसे होगी, कितनी सालों में होगी, कौनसे टैक्सेज लाएं? जिस संविधान के लिए हमें इज्जत है, उनके डाइरेक्टिव्ज को पूरा करने के लिए सरकार ने शराबबंदी के लिए कितनी बार विचार किया कि आल्टर्नेटिव टैक्सेज क्या हों? अच्छा हो कि हम संविधान की इज्जत करें और उसके साथ जो ३० साल तक कांग्रेस वालों ने बेंतें खाई हैं, सत्याग्रह करके डंडे खाए हैं उन सारी चीजों को याद करें। इस के बावजूद भी मजबूरियां हैं। उस तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। इस सरकार से भी आपको उम्मीद रखनी चाहिये कि हम प्रोहिबिशन लायेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर आरम्भ में जो चर्चा हुई थी उसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया; उन्होंने इस बात की चेष्टा भी की कि सदन को इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि यह आर्डिनेन्स अनावश्यक कार्य के लिये इश्यू नहीं किया गया। उन्होंने जो दलील दी उसको भी हमने सुना। मुझे कुछ ऐसा लगता था कि वे स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जिस परिस्थिति को लेकर आर्डिनेन्स इश्यू किया गया वह परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं थी कि आर्डिनेन्स इश्यू करने का जो अधिकार है उस अधिकार का राज्य सरकार उपयोग करती। उन्होंने केवल एक बात कही कि भारत सरकार से लिखा हुआ आया था, प्रधान मंत्री से लिखा हुआ आया था; लेकिन उसकी सीरियसनेस कितनी थी यह वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं।

१६ तारीख को आर्डिनेन्स इश्यू हुआ और रूल मेकिंग पावर सरकार ने लिये हैं. वे उन्होंने ८ तारीख को बनाये। १८ दिन तो यों ही निकाल दिये। आर्डिनेन्स इश्यू होने मे १८ दिन तक वह लागू न हो उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब २६ तारीख को विधान सभा का अधिवेशन आ रहा था। आप १८ दिन के लिये इन्तजार नहीं कर सकते थे; मैं आपकी इस बेसब्री की दाद देता हूं। आपकी सरकार नोन सेंक्टीफाइड है, कान्स्टीट्यूशन में जो कुछ लिखा है उसके लैटर से इन्सपीरेशन लेना चाहती है। लेकिन उसकी स्प्रिट में नहीं जाना चाहती।

(हियर-हियर)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार विरोधी दल की आवाज सुनने के लिये कतई तैयार नहीं है और यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार कान्स्टीट्यूशन का उल्लंघन करने में भी कोई सानी नहीं रखती, उसमें भी कोई कमी नहीं रखती। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि रूल नहीं बने तो

(विराम)

कोई चिन्ता नहीं, एडवर्टाइजमेन्ट पेपर में न हो, इसलिये यह आर्डिनेन्स है। पेपर्स में शराब के लिये एडवर्टाइजमेन्ट न हो, सिद्धान्ततः पेपर में एडवर्टाइजमेन्ट न हो, पेपर में न जाय; मैं सहमत हूं। आपका इससे पर्पज सर्व हो गया। आर्डिनेन्स जारी करने से पेपर में कोई एडवर्टाइजमेन्ट नहीं आया। आप इस आर्डिनेन्स को विदा कर दीजिये। रात भर में पब्लिकेशन नहीं हो सकता, पेपर में पब्लिकेशन नहीं होगा। आर्डिनेन्स अनावश्यक है। आपने उसको रिट्रा किया है, यह परम्परा बदल दीजिये। आर्टिकल २१३ संविधान का है, वह ऐसा प्रावधान है जिसका आसानी से उपयोग न किया जाय। खुद, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल से परम्परा के नाम पर, नियमों के नाम पर, संविधान के नाम पर, प्रजातन्त्र के नाम पर, हर तरह से सहयोग की अपेक्षा रखने वाली सरकार अपनी ब्रूट मेजोरिटी पर इतनी जिद्द किये हुए है, इस मामूली बात पर सरकार की कोई हानि नहीं होने वाली है. सरकार की कोई प्रतिष्ठा गिरने वाली नहीं है. न कोई गवर्नर के पद को खतरा पैदा होने वाला है. विधान सभा पर किसी प्रकार की अड़चन आने वाली नहीं है, उस मामूली बात को स्वीकार करने के लिये यह सरकार इतनी ब्रूट मेजोरिटी पर, जिद्द पर अड़ी हुई है। हम एक ही बात कहते हैं। हमने आज तक आपका सहयोग किया है,

(श्री भैरोंसिंह)

इसके हमने परिणाम भोगे, अन्यथा हम परिणाम भोगने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि ऑपोजिशन असहयोग करता है तो यह जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। यह असहयोग भाषण तक ही सीमित नहीं होगा, राजस्थान सरकार तक नहीं होगा, आप छोटी सी बात की अवहेलना करके लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं; उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। हम यहां पर किसलिये बैठे हैं।

(विराम)

आप एक तरफ कहते हैं कि ऑपोजिशन की बात मानने के लिये तैयार हैं और जब वाजिब प्रश्न मानने का आता है तो उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होते। आखिर हम यहां पर किस लिये आये हैं? एडवर्टाइजमेन्ट इसके बन्द हों यह सबको स्वीकार है। फिर क्यों नहीं ऑर्डिनेन्स वापिस लें? यह गवर्नमेन्ट की प्रतिष्ठा का सवाल है इसको यह मान कर चलती है; तो गवर्नमेन्ट से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इसको कॉन्स्टीट्यूशनल स्पिरिट में लें। यह कन्वेंशन्स मे होता है, लेटर्स में नहीं। यह कोई सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है। संविधान है। रूल्स बने हुए नहीं हैं। धारायें हैं; उनके अनुसार कन्वेंशन्स बनाने होंगे, कन्वेंशन्स की एक नीति बनानी होगी। एक चेतावनी के नाते हम बाहर जाते हैं, अपीलें होती रहेंगी, लोकतन्त्र का पालन कीजिये, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कीजिये, उसका पालन करने में संकोच होगा। मैं वित्त मंत्रीजी से फिर कहता हूं कि इसमें प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है। लोकतान्त्रीय परम्पराओं को बनाये रखने के लिए आप इसको वापिस ले लीजिये। आप यदि नामंजूर कर रहे हैं तो हम इस सदन से वाकआउट करते हैं और चेतावनी देकर जाते हैं कि जो माइक पर बात की है वह प्रत्यक्ष में दिखाया जायगा।

(जनसंघ के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री जयनारायण खालेदिया (निर्दलीय): उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स के द्वारा शराब के प्रचार के लिए जो बात कही गई है वह सिर्फ एक ढोंग मात्र है और एक इस तरह का रास्ता है जिसके द्वारा एक इस प्रकार का प्रचार राज्य सरकार करना चाहती है कि हम इस शराब-बन्दी के मामले में अग्रसर होते जा रहे हैं। जैसा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्रकारों में एडवर्टाइजमेन्ट बन्द करने का ऑर्डिनेन्स है, यह एक ढोंग मात्र है और एक इस तरह की बात है जिससे शराब का [illegible] उसके पीने वालों में कोई कमी नहीं हो सकती है। जो शराब [illegible] अखबार में पढ़ते हैं। [illegible] कहूंगा कि शराब बन्द करनी है तो एक कदम उठायें कि आप रास्तों पर शराब की जो दुकानें हैं, स्कूल और कॉलेज और मन्दिरों के पास जो शराब की दुकानें हैं, मंत्री महोदय मैं ऐसी दुकानें रोज देखता हूं; मंत्री महोदय कहेंगे ऐसी दुकानें नहीं हैं लेकिन उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कि वे रोज हफ्ते में दो दफा टोंक पधारते हैं और आते समय मेन रोड पर ऐसी दुकानें हैं; हर कस्बे में और गांव में ऐसी दुकानें उनको मिलती होंगी। इस तरह की दुकानें मंत्री देखते रहे हैं, फिर अखबारों के जरिये एडवर्टाइजमेंट न हो और ऑर्डिनेन्स लाकर एक

(श्री जयनारायण सालोदिया)
क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं, यह केवल एक ढोंग मात्र है। मैं इन शब्दों के साथ स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों के साथ वाकआउट करता हूं।

(स्वतन्त्र दल के माननीय सदस्यों द्वारा (बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ! Shall I put it to vote.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : No, Sir.

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय अजमेर से आये माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं सारी बातें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। गारन्टी सिस्टम, इल्लिसिट डिस्टिलेशन को बन्द करने के लिए पहले ही बता चुका हूं। नसीराबाद से आये माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, अगर वह समझते हैं कि इसको लोग पास करके ठेलों पर और साइकिलों पर जारी किया जाय, यह बात नहीं है। चोरी जो करते हैं पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। इसमें यह कहना कि सरकार दोषी है, मैं उचित नहीं समझता। आप मेरे नोटिस में लाइये, मैं सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am sorry to interrupt the Hon. Minister. This thing, you know and everybody knows that it is with the connivance of the officers that it is being done. It has been discussed like anything and you know it perfectly. Don't try to dodge me.

श्री दामोदरलाल व्यास : Don't be dodge even if I try.

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सार्वजनिक स्थानों का सवाल है ऐसी दूकानें पब्लिक प्लेसेज पर होस्पिटल्स स्कूल्स, कॉलिजेज के यहां न रहें। हम इनको स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करेंगे कि वे दूकानें वहां पर न रहें।

मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह बिल बहुत ही इम्नोसेन्ट है, इस पर इतना ज्यादा वाद-विवाद होना ही नहीं चाहिये था।

आज प्रोहिबिशन पॉलिसी को वे एडवोकेट कर रहे हैं जिन्होंने कभी जिन्दगी में इसको सपोर्ट नहीं किया। इसके लिये मुझे इतना ही कहना है कि जो संविधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं और जो टेकचन्द कमेटी की सिफारिशें हैं उनके बारे में जो भी भारत सरकार निर्णय लेगी उसको हम फेथफुली एन्फोर्स करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : इस बिल को लाने के लिये महाराष्ट्र अठारह दिन और प्रतीक्षा कर लेते तो क्या हर्ज हो जाता ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १६६६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक ११ मार्च, १६६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ४० मिनिट पर दिनांक ११ मार्च, १६६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVT. & MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT (A) L. S. G.

NOTIFICATION

No. F. 19 (1) L. S. G. /51 dated the 4th October 1951 : Since constant representations have been received from all over Rajasthan against the relaxation of the ban on slaughtering of female animals in respect of 14 cities and towns (vide this Department Order No F. 19(1) LSG/51 dated 27. 7. 51) and in view of its adverse effect on the economic conditions, the Government have been pleased to cancel the said relaxation order with immediate effect.

By Order of the,
His Highness the Rajpramukh,

Sd/- Chandradhar Iswar,
Secretary to the Government

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिए आसकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका नाथद्वारा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

१७०. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) नाथद्वारा नगरपालिका के कितने कर्मचारियों को नवीनतम नियमों के अनुसार मंहगाई भत्ता मिल रहा है और कितने कर्मचारियों को नहीं ?

(२) म्युनिसिपैलिटिज् के कर्मचारियों को कितना मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए ?

उत्तर

श्रम विभाग द्वारा पालिका कर्मचारियो के लिए मिनिमम वेजेज निर्धारित कर दिये हैं। निर्धारित मिनिमम वेजेज में वेतन व महंगाई भत्ता अलग २ नहीं हैं। निर्धारित मिनिमम वेजेज से कम वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलता है।

स्थगित प्रश्न

(२-३-६६)

ग्राम नारायणपुरा में पीने के पानी की व्यवस्था

६२. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपलदा के ग्राम नारायणपुरा के ग्रामवासियों के लिए पीने के पानी की बड़ी कठिनाई है क्योंकि ग्राम में एक भी कुआ नहीं है और लोगों को पानी बहुत दूरी पर नदी से लाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्रामवासी बहुत गरीब हैं और कुआ बनवाने की स्थिति में नहीं हैं ?

(३) क्या सरकार अपनी ओर से इस ग्राम में कुआ बनवाने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पंचायत समिति ने इस ग्राम को पेय जल की योजना में ले लिया है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE.

1961 62		1962 63		1963 64		1964 65	
Income	Expenditure	Income	Expenditure	Income	Exp. nditure	Income	Expenditur
—	63,700	—	33,052	—	48,580	3,565	34,12

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक १० मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६१३	११	(प्रश्न संख्या १४४)	प्रश्न संख्या १४४
१६१४	अन्तिम से ८	श्री बालकृष्ण ,	श्री बालकृष्ण
१६१६	८	क	के
,,	१७	का	की
१६१७	१	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुल जब्बार
,,	७	करगयें	करवायें
१६१८	१४	लडढा	लड्ढा
१६१९	६	एक्स ी रियन्स	एक्सपीरियेन्स
,,	१३	दरख्वंस्तें	दर्ख्वास्तें
,,	२१	अब्दुल ब्बार	अब्दुल जब्बार
१६२०	अन्तिम से ५	(साद ी)	(सादड़ी)
१६२१	१५	ज श	जोशी
,,	१८	एजीक्यूटव	एग्जीक्यूटिव
१६२३	१६	नही	नहीं
,,	१९	? के	हो सके
,,	अन्तिम से ५	जुझ रसिंह	जुझारसिंह
१६२४	७	दि शराय डांगी	दिनेशराय डांगी
१६२७	अन्तिम से ९	पद	पदों
,,	,, ४	ह ना	होना
१६२८	३	रामप्रस द	रामप्रसाद
,,	४	म न	मान
१६२९-३०	शीर्षक	तारांकत	तारांकित
१६२९	५	—	१५४.
१६३०	अन्तिम से ९	व द	बाद
१६३२	४	डवलप्ड	डेवलप्ड
१६३५	१५	परिशिष्ट देखिये)	परिशिष्ट १ देखिये)
१६३६	अन्तिम से १३	सरण	सारण
१६३९	६	भैरोंसिह	भैरोंसिह
१६४०	१५	मांस	का मांस
,,	अन्तिम से ६	निर्घारित	निर्धारित
१६४१	९	पे डोंकी	पेड़ों को
१६४२	अन्तिम से १५	फैनला	फैसला
,,	,, ११	नाथूर म	नाथूराम
१६४३	,, ७	—	१५६.
१६४४	१५	उप-मंत्री स्वायत शासन,	उप-मंत्री, स्वायत शासन

१	२	३	४
१६४५	५	ओर	और
,,	६	श्री दौलेन राम	श्री दौलतराम
,,	अन्तिम से ७	मेरिड.पे.	मेरिट-पे.
१६४६	,, १४	... सन् १९६१ से	(३) ; सन् १९६१ से
,,	,, ११	इनका	इनकी
१६४७	४	जैसै	जैसे
१६४८	८	क्यां	क्यों
,,	अन्तिम से ४	नगरप लिका	नगरपालिका
१६५०	६	ओर	और
१६५१	१३	है	है
,,	अन्तिम से ६	डां	डांगी
१६५२	७	अया	आया
,,	१५	दिनेशरा य	दिनेशराय
१६५३	शीर्ष	मर्धा)	मिर्धा)
,,	४	को	की
,,	१५	गाधी	गांधी
,,	अन्तिम से ३	ोहूमल	पोहूमल
१६५४	१५	पोहमल	पोहूमल
,,	२०	सा ण	सारण
१६५६	शीर्षक	तांराकित	तारांकित
१६५८	अन्तिम से ८	लड्डा	लड्ढा
१६६०	८	रमप्रसाद	रामप्रसाद
,,	६	सम्ब ध	सम्बन्ध
१६६२	११	११०	१५०
१६६५	१	श्री अब्दल	श्री अब्दुल
,,	६	महोदया	महोदय
१६६७	१७	श्रा	श्री
१६७०	१	श्री भैरोंसिह	[श्री भैरोंसिंह
१६७२	अन्तिम से ७	पाये,	पाये,
१६७३	,, १५	सडकें	सड़कें
१६७४	१७	कास्ट	कोस्ट
१६७५	३	ड़ेवलपमेंन्ट	डेवलपमेन्ट
१६७६	अन्तिम से ६	आपा	आपने
,,	,, ४	ा	के
१६८०	,, ७	ढ़ोने	टोने
१६८७	१	मं	में
१६८६	अन्तिम से १	ं	में
१६९३	,, ५	lso	also
१६९४	शीर्षक	थ ा न	स्थगन
१६९६	१३	विधेयक, १९३३	विधेयक, १९६५
,,	अन्तिम से ६	म ल-कर	माल-कर
,,	,, ८	विधेयक, १९६७	विधेयक, १९६६

१ :

१	२	३	४
१६६७	अन्तिम से २०	(परनियत संकल्प इस प्रकार है)	[परनियत संकल्प इस प्रकार है:
१७००	,, २	उ के	उनके
१७०१	स्कम्भ	१७०१	१७०३
१७०२	,,	१७०२	१७०४
१७०३	,,	१७०३	१७०१
१७०४	,,	१७०४	१७०२
१७०६	शीर्षक	भूगृहादि (किराया नियन्त्रण तथा	भूगृहादि (किराया नियन्त्रण तथा
,,	७	क शिश	कोशिश
,,	१०	प ायदा	फायदा
१७१०	२	ए ्रीमेंट	एग्रीमेंट
१७१०	६	पार्टीज्र	पार्टीज
,,	१८	किय	किया
,,	२५	किरा ा	किराया
,,	२६	जार ा	जाता
,,	३०	करान	कराने
१७११	अन्तिम से १४	किनी	किसी
,,	,, १०	म	में
,,	,, ६	आन	आप
	,,		
१७१२	४	कहो	कहने
,,	१६	लानं	लाने
,,	१७	अ सेम्बरी	असेम्बली
,,	२१	जती	जाती
,,	अन्तिम से ५	सम	समय
१७१३	७	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
,,	६	डट्रोड्यूय	इन्ट्रोड्यूस
,,	१८	गए	गए
,,	२३	जब	—
,,	२७	भा	भी
१७१५	३	अयक्ष	अध्यक्ष
,,	,,	प्र न	प्रश्न
,,	१५	निरंत्रण	नियंत्रण
,,	अन्तिम से ६	पारि ा	पारित
,,	,, ५	अध्या	अध्यक्ष
,,	,, ५	प्र ताव	प्रस्ताव
१७१६	१	अनुा स्यित	अनुपस्थित
,,	३	रान ासाद	रामप्रसाद
,,	४	राजस्थ न	राजस्थान
,,	८	कोर्ट	कोर्ट
१७१७	२	रिक्वायरोंट्स	रिक्वायरमेन्ट्स
,,	१४	प्रोजिन	प्रोरोगेशन

१	२	३	४
१७१७	अन्तिम से १०	प्राब्जर्वेशिन दि ा	ऑब्जर्वेशन दिया
१७१८	४	रंइन्ट्रोड्यूस	रीइन्ट्रोड्यूस
,,	१३	ता	तो
,,	२१	गया।	जाय।
,,	२२	प्र ताव	प्रस्ताव
,,	२५, २६	अमेंडेंट	अमेंडमेंट
१७१९	३	ऑडिन्स	ऑर्डिनेन्स
,,	अन्तिम से ३	ऑडनेन्स	ऑर्डिनेन्स
१७२०	१२	जा	जाने
,,	१३	ऑडिन्स	ऑर्डिनेन्स
,,	अन्तिम से ३	टैस	टैक्स
१७२१	२	इसीलए	इसलिए
,,	१६	ऐपा	ऐसा
१७२२	१७	अवार	अवसर
१७२३	शीर्ष	(श्री अब्दुल अब्बार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
,,	१०	प्रतवंध ल या	प्रतिबंध लगाया
,,	११	कहो	कहते
१७२६	अन्तिम से ११	ेझा	बोझ
,,	,, ३	व ू ल	वसूल
१७२७	१८	वाद	बाद
,,	२१	की	कि
१७२८	१५	की	कि
१७३१	अन्तिम से ११	में	में
१७३३	१५	वेवल	केवल
१७३७	अन्तिम से २	स्टोन	स्टोन
१७४१	,, ११	हें तो	हैं तो
१७४७	शीर्षक	रालस्थान	राजस्थान
,,	१	ंकि	चूंकि
१७४९	अन्तिम से ८	duiring	during
१७५७	१८	जाय।	जाय?
१७५८	अन्तिम	व्वस्था	व्यवस्था
१७६०	८	अन-कांस्टीट् शनल	अन-कॉन्स्टिट्यूशनल
१७६१	अन्तिम से ६	वलिडेट	वेलिडेट
,,	,, ,, ४	अर्डिनेंस	ऑर्डिनेन्स
१७६२	१७	श्री राम।साद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम से ५	श्री सतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१७६३	२१	श्री सतोशचन्द्र प्र ।वाल	,,
,,	अन्तिम	Ju tice	Justice
१७६५	११	appe lants	appellants
१७६६	३	end lng	ending
१७७२	अन्तिम से ४	thi	this

१	२	३	४
१७७२	अन्तिम से २	hy	by
१७७३	शीर्षक	पाली	यात्री
१७७४	३	ऑडर	ऑर्डर
१७७५	५	अनकॉस्टिट्यूशन	अनकॉन्स्टिट्यूशन
,,	१६	श्री बृसुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
,,	१८	अमेंडाट	अमेन्डमेन्ट
,,	२०	राज थान यूनिवी।टी	राजस्थान यूनिवर्सिटी
,,	२३	यनिवर्सिट	यूनिवर्सिटी
,,	अन्तिम से ४	पो ट	पोस्ट
,,	,, ,, ३	म	में
१७७६	२२	कर	करदें
,,	२३	फक	फर्क
,,	२५	श्री बृजा न्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
,,	२६	श्री सती चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१७७७	८	श्री सती चन्द्र अग्र ाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१०	श्री बृ सुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
,,	१४	श्री ।तीशन्द्र अग्राल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१७७८	११	shal he	shall be
१७८३	४	ऑडिन्स	ऑर्डिनेन्स
१७८४	२४	श्री सा चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१७८५	२१	वह	वहां
,,	२२	रजिट्रार	रजिस्ट्रार
,,	अन्तिम से ४	करोडा	करोडों
,,	,, ,, २	वटाले	घोटाले
१७९६	२	इन्वेष्टमेन्ट	इन्वेस्टमेन्ट
१७९८	२	स्पोर्ट्समैन	स्पोर्ट्समेन
१८००	अन्तिम से ८	सविधान	संविधान
१८०५	३	तुरंत	तुरन्त
१८०६	अन्तिम से ४	अमेन्डमेंट	अमेन्डमेन्ट
१८०९	,, ,, २	श्री बृ ासुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
१८१२	१३	वह	वह
१८१५	अन्तिम	आर्डिन्स	ऑर्डिनेन्स
१८१७	६....	एमजेन्सी	एमर्जेन्सी
१८१९	१६	लोगो	लोगों
१८२०	१५	श्रीभैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	२५	होगे	होंगे
१८२२	१९	,, रीबों	की गरीबों
,,	२०	उसक	उसके
१८२५	९	Probihiting	prohibiting
,,	अन्तिम	क्लिश	पब्लिश
१८२६	१	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्डा
१८३५	१५	क	के

१	२	३	४
१८३५	अन्तिम	T hat	That
१८३७	अन्तिम से ३	bottl s	bottles
१८४०	,, ,, २	परसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
१८४३	शीर्ष	(श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
१८४४	२१	जिनक	जिनका
,,	२३	महदय	महोदय
,,	२६	कह	—
१८४६	अन्तिम से ७	सिद्ध न्तवादी	सिद्धान्तवादी
,,	अन्तिम से ५	म० ी मह य को	मन्त्री महोदय को
१८५०	अन्तिम से ३	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१८५२	१३	नही	नहीं
१८५३	२२	इटरेस्ट	इन्टरेस्ट
१८५४	शीर्षक	(संशो.।।)	(संशोधन)
,,	१८	लगों	लोगों
,,	२०	पच	पांच
,,	२३	वि भग	विभाग
१८५७	शीर्षक	मार्च	१० मार्च, १९६६
,,	१	यजर	जयपुर)
,,	२२	आर्ंि न्स	आॅर्डिनेन्स
१८५८	१८	डल	डाल
१८५९	२६	कन्वशन	कन्वेन्शन्स
,,	अन्तिम	वाल	सवाल
१८६०	४	चेतवनी	चेतावनी
,,	१६	कई की	कोई कमी
,,	अन्तिम से ६	रज हफ्ते	रोज हफ्ते
,,	अन्तिम से ६	टोक	टोंक
,,	अन्तिम से ४	उ को	उसको
,,	अन्तिम से २	अख रो	अखबार
१८६१	६	(वहिर्गमन)	बहिर्गमनों)
,,	अन्तिम से ८	i terrupt	interrupt
,,	अन्तिम से ८	M nister	Minister
,	अन्तिम से ७	yo	you
,,	अन्तिम से ४	dsu sed	discussed
१८६२	२	dodge	dodged
,,	४	सावजनिक	सार्वजनिक
,,	१३	जिन्ने	जिन्होंने
१८६३	अन्तिम से ३	His H ghness	His Highness
,,	अन्तिम	Secrtay	Secretary
१८६५	अन्तिम से ६	श्री लक्ष्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द